सत्यमेव जयते

भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिये

(राजस्व प्राप्तियाँ)

राजस्थान सरकार

©
भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक
2007

www.cag.gov.in
मुद्रकः राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि., जयपुर

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिये

(राजस्व प्राप्तियाँ)

राजस्थान सरकार

www.cag.gov.in

विषय सूची

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना		v
विहंगावलोकन		vii
अध्याय-I : सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति	1.1	1
बजट अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों में अन्तर	1.2	4
संग्रहण की लागत	1.3	5
राजस्व की बकाया का विश्लेषण	1.4	6
कर निर्धारणों में बकाया	1.5	8
कर का अपवंचन	1.6	8
राजस्व का अपलेखन एवं अधित्याग	1.7	9
प्रतिदाय	1.8	9
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.9	10
बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ-उत्तरदायित्व की कमी एवं जवाबदेही का अभाव	1.10	10
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें	1.11	11
ड्राफ्ट लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों के उत्तर	1.12	12
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति	1.13	13
स्वीकार किये गये प्रकरणों में राजस्व की वसूली	1.14	13
अध्याय-II : बिक्री कर		
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.1	14
अन्तर्राज्यीय विक्रय पर कर का कम आरोपण	2.2	15
शर्त के उल्लंघन पर लाभ वापस नहीं लेना	2.3	16
मार्बल कटिंग एवं पॉलिशिंग इकाईयों को अनियमित कर मुक्ति स्वीकृत करना	2.4	16
कर से गलत मुक्ति स्वीकृत करना	2.5	17
कर की अधिक मुक्ति स्वीकृत करना	2.6	18
निर्माण संविदा में ऐलीवेटरों की आपूर्ति/स्थापन पर कर का अनारोपण	2.7	18
स्टोन क्रशिंग इकाई को अनियमित मुक्ति देना	2.8	19

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
ब्याज की कम वसूली	2.9	19
व्यापारावर्त कर का अनारोपण/कम आरोपण	2.10	20
कुर्क सम्पत्तियों का निपटारा नहीं करना	2.11	21
प्रथम प्रभार के रूप में बिक्री कर की बकाया राशि की वसूली नहीं करना	2.12	22
अध्याय-III : मोटर वाहनों पर कर		
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.1	23
भार वाहनों के सम्बन्ध में मोटर वाहन कर एवं विशेष पथकर की अवसूली/कम वसूली	3.2	24
संविदा वाहनों से मोटर वाहन कर एवं विशेष पथकर की अवसूली/कम वसूली	3.3	24
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से विशेष पथ कर एवं शास्ति की अवसूली	3.4	26
यात्री वाहनों के सम्बन्ध में मोटर वाहन कर की अवसूली/ कम वसूली	3.5	26
मंजिली वाहनों के सम्बन्ध में विशेष पथ कर की अवसूली/ कम वसूली	3.6	27
डम्परों/टिप्परों के सम्बन्ध में मोटर वाहन कर की अवसूली	3.7	27
अध्याय-IV : मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क, भू-राजस्व		
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.1	29
मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण	4.2	30
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली	4.3	44
पट्टा विलेखों पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण	4.4	51
सरकारी भूमि के मूल्य की कम वसूली	4.5	52
अध्याय-V : राज्य आबकारी शुल्क		
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.1	54
बीयर पर आबकारी शुल्क की कम वसूली	5.2	55
भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर आबकारी शुल्क का कम आरोपण	5.3	55
देशी मदिरा के निर्माण में उपयोग में लिए गये स्वयं द्वारा उत्पादित शोधित प्रासव/एक्सट्रा न्यूट्राल एलकोहल पर शुल्क का अनारोपण	5.4	56
भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की खुदरा दुकानों से शुल्क की कम वसूली	5.5	57
शास्ति का कम आरोपण	5.6	57

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
अध्याय-VI : कर-इतर प्राप्तियाँ		
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.1	59
अ. वन विभाग		
पेड़ों को नहीं सौंपने के कारण राजस्व हानि	6.2	60
तेन्दू पत्तों का निस्तारण न होना	6.3	61
अदावी प्रतिभूति जमाऐं	6.4	62
ब. गृह (पुलिस) विभाग		
मांग कायम न करना	6.5	62
पुलिस बल के अधिक अभिनियोजन पर प्रभारों का वसूल न होना	6.6	63
पुलिस लागत की कम वसूली	6.7	64
स. खान एवं भू-विज्ञान विभाग		
ठेकेदारों द्वारा अनाधिकृत उत्खनन	6.8	64
संविदा राशि के संशोधन न करने/कम करने से राजस्व हानि	6.9	66
रायल्टी का कम निर्धारण	6.10	67
प्रीमियम प्रभारों की कम वसूली	6.11	68
ब्याज की मांग कायम न करना	6.12	68
देय रायल्टी के विरूद्ध आयकर के समायोजन के कारण हानि	6.13	70
बिना रवन्नाओं के खनिज संप्रेषण के कारण राजस्व की कम वसूली	6.14	71
दोषी ठेकेदारों से रायल्टी की कम वसूली	6.15	71
ईट-भट्टों द्वारा अनाधिकृत उत्खनन	6.16	72

प्रस्तावना

31 मार्च 2007 को समाप्त हुए वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत की जाती है। यह प्रतिवेदन प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के परिणाम प्रस्तुत करता है, जिसमें राज्य की बिक्री कर, मोटर वाहनों पर कर, भू-राजस्व, मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क, राज्य आबकारी शुल्क तथा अन्य कर एवं कर-इतर प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित मामले उनमें से हैं जो वर्ष 2006-07 के दौरान अभिलेखों की मापक लेखापरीक्षा के अनुक्रम में ध्यान में आए तथा उनमें से भी है जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे, किन्तु विगत प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके।

विंहगावलोकन

इस प्रतिवेदन में कर, ब्याज, शास्ति इत्यादि के अनारोपण/कम आरोपण से संबंधित दो समीक्षाओं सहित 41 अनुच्छेद हैं, जिनमें 315.25 करोड़ रुपये अन्तर्निहित है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे दिया गया हैः

I. सामान्य

वर्ष 2005-06 में 20,839.19 करोड़ रुपये के विरूद्ध वर्ष 2006-07 के दौरान राजस्थान सरकार की कुल प्राप्तियां 25,592.18 करोड़ रुपये थी। कर राजस्व 11,608.24 करोड़ रुपये तथा कर-इतर राजस्व 3,430.61 करोड़ रुपये का समाविष्ट करते हुए सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व की राशि 15,038.85 करोड़ रुपये थी। भारत सरकार से प्राप्तियां 10,553.33 करोड़ रुपये (संघ के विभाज्य करों में से राज्य का भागः 6,760.37 करोड़ रुपये तथा सहायतार्थ अनुदानः 3,792.96 करोड़ रुपये) थी। इस प्रकार, राज्य सरकार कुल राजस्व का 59 प्रतिशत एकत्रित कर सकी। वर्ष 2006-07 के दौरान कर एवं कर-इतर राजस्व के मुख्य स्रोत, बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर (6,272.15 करोड़ रुपये), राज्य आबकारी (1,591.09 करोड़ रुपये), मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क (1,293.68 करोड़ रुपये) तथा अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग (1,196.52 करोड़ रुपये) थे।

(अनुच्छेद 1.1)

वर्ष 2006-07 के अन्त में राजस्व के मुख्य शीर्षों के अंतर्गत कुल 3,342.62 करोड़ रुपये राजस्व की बकाया अवसूल रही। ये बकाया मुख्यतः बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर, राज्य आबकारी, वाहनों पर कर, मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क, भू-राजस्व, अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग, विविध सामान्य सेवाऐं-भूमि की बिक्री तथा पुलिस लागत से सम्बन्धित थी।

(अनुच्छेद 1.4)

वर्ष 2006-07 के दौरान बिक्री कर, मोटर वाहनों पर कर, मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क, भू-राजस्व, राज्य आबकारी, वन तथा अन्य कर-इतर प्राप्तियों के अभिलेखों की मापक जाँच से 16,676 प्रकरणों में, 1,422.63 करोड़ रुपये के राजस्व के अवनिर्धारण/कम आरोपण/हानि का पता चला। वर्ष के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 10,879 प्रकरणों में 133.86 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की। लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने पर वर्ष के दौरान 2,397 प्रकरणों में 13.86 करोड़ रुपये की वसूली भी की गई।

(अनुच्छेद 1.9)

वर्ष 2001-02 से 2005-06 के दौरान विभागों/सरकार ने 652.41 करोड़ रुपये अन्तर्निहित की लेखापरीक्षा टिप्पणियां स्वीकार की, जिनमें से 30 सितम्बर 2007 तक 104.16 करोड़ रुपये वसूल कर लिए गये।

(अनुच्छेद 1.14)

II. बिक्री कर

कर की रियायती दर की गलत स्वीकृति एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत मांगों में अनियमित कमी के परिणामस्वरूप 135.30 करोड़ रुपये के कर की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 2.2)

17 औद्योगिक इकाईयों द्वारा शर्त के उल्लंघन करने पर लाभ वापस नहीं लेने के परिणामस्वरूप 5.73 करोड़ रुपये के कर एवं ब्याज की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 2.3)

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत दो खाद्य तेल उद्योगों को कर से गलत मुक्ति स्वीकृत करने के परिणामस्वरूप 2.93 करोड़ रुपये के कर तथा ब्याज की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 2.5)

1998 योजना के अन्तर्गत एक औद्योगिक इकाई को 2.27 करोड़ रुपये के कर की अधिक मुक्ति स्वीकृत की गई।

(अनुच्छेद 2.6)

भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कुर्क सम्पत्तियों का 8 से 17 वर्षों के व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से निपटारा नहीं करने के परिणामस्वरूप 63.75 करोड़ रुपये के राजकीय बकाया की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 2.11)

III. मोटर वाहनों पर कर

1,399 भार वाहनों के स्वामियों से मोटर वाहन कर तथा विशेष पथ कर के 1.97 करोड़ रुपयों की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 3.2)

पंजीयन प्रमाण-पत्रों की समर्पण अवधि में संचालित पाये गये राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के 54 मंजिली वाहनों पर विशेष पथ कर एवं शास्ति की राशि 1.31 करोड़ रुपये का आरोपण नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 3.4)

IV. मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क, भू-राजस्व

'**मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का आरोपण** एवं संग्रहण' की समीक्षा से निम्न प्रकट हुआ:

लोक कार्यालयों के लिए विवरणी निर्धारण के अभाव के कारण विभाग कई ऐसे दस्तावेजों से अनभिज्ञ रहा जिन पर मद्रांक कर वसूलनीय था एवं जिनमें कमी पाई गई। इसके परिणामस्वरूप 68.36 करोड़ रुपये के मुद्रांक कर वसूल नहीं हो सका।

(अनुच्छेद 4.2.8)

निर्णयाधीन प्रकरणों के निपटारे के लिए समय सीमा निर्धारण के अभाव के परिणामस्वरूप सन्निहित 25.30 करोड़ रुपये के मुद्रांक कर के 3,145 प्रकरणों को अंतिम रूप नहीं दिया गया।

(अनुच्छेद 4.2.9)

सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के 5.89 करोड़ रुपये का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 4.2.11)

डवलपर इकरारनामों के अपंजीयन के परिणामस्वरूप 3.40 करोड़ रुपये के राजस्व की अवसूली रही।

(अनुच्छेद 4.2.12)

अधिसूचना जारी नहीं करने के कारण 575 मछली पकड़ने के ठेकों पर 2.27 करोड़ रुपये के मुद्रांक कर की कम वसूली ध्यान में आयी।

(अनुच्छेद 4.2.13)

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की समीक्षा से निम्न प्रकट हुआ:

विभाग में, कोई सूचना प्रौद्योगिकी नीति, आपात पुनर्व्यवस्था तथा कार्य प्रक्रिया सततता योजना विद्यमान नहीं थी।

(अनुच्छेद 4.3.5)

कार्य के नियमों को नहीं बनाए जाने के परिणामस्वरूप निर्माण पर मूल्य ह्रास की दर गलत रूप से लगाई गई तथा मुद्रांक कर का कम आरोपण हुआ, व्यक्तिगत महिलाओं को अनुमत्य छूट कृषि भूमि के क्रय के विलेखों पर मुद्रांक कर में दे दिए जाने एवं अन्य कमियों के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 4.3.6)

अपर्याप्त परिवर्तन प्रबन्धन नियन्त्रणों के परिणामस्वरूप जिला स्तरीय समिति की दरों को गलत रूप से लगाया गया जिसके कारण मुद्रांक कर की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 4.3.7)

भू-राजस्व

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उदयपुर में 70 बीघा माप की सरकारी भूमि वाणिज्यिक दर के स्थान पर कृषि भूमि की दर से आवंटित करने के परिणामस्वरूप 22.14 करोड़ रुपये कम वसूल हुए।

(अनुच्छेद 4.5)

V. राज्य आबकारी शुल्क

चार मद्यनिर्माण शालाओं में उत्पादित बीयर पर आबकारी शुल्क की राशि 18.38 करोड़ रुपये की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 5.2)

अद्धों एवं पव्वों में आपूर्तित भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर आबकारी शुल्क 11.46 करोड़ रुपये का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 5.3)

VI. कर-इतर प्राप्तियाँ

वन विभाग

इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पातन के लिए पेड़ों को नहीं सौपनें के परिणामस्वरूप 14.91 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 6.2)

तेन्दू पत्ता इकाईयों के निस्तारण नहीं होने के परिणामस्वरूप 4.49 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 6.3)

गृह (पुलिस) विभाग

विभाग द्वारा अवधि 2002-03 से 2005-06 में कुल 51.73 लाख रुपये के पुलिस लागत की मांग कायम नहीं की गई।

(अनुच्छेद 6.5)

खान एवं भू-विज्ञान विभाग

अधिक उत्खनन पर खनिजों की लागत राशि 5.08 करोड़ रुपये प्रभार्य नहीं किये।

(अनुच्छेद 6.8)

संविदा राशि के संशोधन न करने/कम करने के परिणामस्वरूप 3.36 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 6.9)

रायल्टी के कम निर्धारण के परिणामस्वरूप 3.02 करोड़ रुपये की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 6.10)

अध्याय-I: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति

1.1.1 राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 के दौरान वसूल किया गया कर एवं कर-इतर राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों में राज्य का भाग और सहायतार्थ अनुदान तथा गत चार वर्षों के तद्नुरूपी आंकड़े नीचे दर्शाए गये हैं:

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	विवरण	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
I.	**राज्य सरकार द्वारा वसूल किया गया राजस्व**					
	• कर राजस्व	6,253.34	7,246.18	8,414.82	9,880.23	11,608.27
	• कर-इतर राजस्व	1,569.00	2,071.64	2,146.15	2,737.67	3,430.61
	योग	**7,822.34**	**9,317.82**	**10,560.97**	**12,617.90**	**15,038.85**
II.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाजित होने वाले संघीय करों में राज्य का भाग	3,063.10	3,602.22	4,305.61	5,300.08	6,760.37
	• सहायतार्थ अनुदान	2,196.42	2,503.80	2,897.01	2,921.21	3,792.96
	योग	**5,259.52**	**6,106.02**	**7,202.62**	**8,221.29**	**10,553.33**
III.	**राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ (I और II)**	**13,081.86**	**15,423.84**	**17,763.59**	**20,839.19**	**25,592.18**[1]
IV	**III से I का प्रतिशत**	**60**	**60**	**59**	**61**	**59**

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2006-07 के दौरान राज्य सरकार द्वारा वसूल किया गया राजस्व, कुल राजस्व प्राप्तियों (25,592.18 करोड़ रुपये) का 59 प्रतिशत रहा, जो कि गत वर्ष 61 प्रतिशत रहा था। 2006-07 के दौरान प्राप्तियों का शेष 41 प्रतिशत भारत सरकार से था।

[1] ब्यौरे के लिए, कृपया राजस्थान सरकार के वर्ष 2006-07 के वित्त लेखे की 'विवरणी संख्या-11-लघु शीर्षवार राजस्व के विस्तृत लेखे' देखें। वित्त लेखों में 'क-कर राजस्व' के अन्तर्गत प्रदर्शित मद 0020-निगम कर, '0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0028 आय एवं व्यय पर अन्य कर, 0032-सम्पदा पर कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, 0044-सेवा कर एवं 0045-वस्तु एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क-शुद्ध प्राप्तियों में से राज्य को दिया गया भाग' के आंकड़ों को उपरोक्त विवरण में राज्य द्वारा वसूल किये गए राजस्व में से घटाया गया है एवं विभाजित होने वाले संघीय करों में 'राज्य का भाग' जोड़ा गया है।

1.1.2 निम्नलिखित तालिका वर्ष 2002-03 से 2006-07 की अवधि के दौरान वसूले गये कर राजस्व का विवरण प्रदर्शित करती है:

(करोड़ रुपयों मे)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2006-07 में 2005-06 पर प्रतिशत वृद्धि(+)/ कमी (-)
1.	• बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	3,229.79	3,751.80	4,500.78	5,245.41	6,272.15	(+) 20
	• केन्द्रीय बिक्री कर	208.11	233.63	296.75	348.23	448.56	(+) 29
2.	राज्य आबकारी शुल्क	1,142.34	1,163.15	1,276.07	1,521.80	1,591.09	(+) 5
3.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	515.73	611.77	817.83	1,031.79	1,293.68	(+) 25
4.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	239.85	280.29	442.76	471.35	515.88	(+) 9
5.	वाहनों पर कर	646.14	904.31	817.21	908.18	1,023.61	(+) 13
6.	माल एवं यात्रियों पर कर	130.44	150.50	144.01	236.71	247.60	(+) 5
7.	आय एवं व्यय पर अन्य कर, व्यवसाय, व्यापार, पेशा एवं रोजगार पर कर	17.23	20.11	1.85	0.25	0.06	(-) 76
8.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	47.12	46.85	47.56	31.70	46.04	(+) 45
9.	भू-राजस्व	57.98	71.44	68.86	84.30	116.71	(+) 38
10.	अन्य कर	18.61	12.33	1.14	0.51	52.86	(+) 10,265
	योग	**6,253.34**	**7,246.18**	**8,414.82**	**9,880.23**	**11,608.24**	(+) 17

सम्बन्धित विभागों ने वर्ष 2005-06 की तुलना में वर्ष 2006-07 के दौरान प्राप्तियों में वृद्धि /कमी के निम्नलिखित कारण बताये:

बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर तथा केन्द्रीय बिक्री कर:- विभाग के कर अपवंचन रोकथाम तथा वसूली प्रयासों के कारण वृद्धि (क्रमशः 20 प्रतिशत एवं 29 प्रतिशत) हुई।

मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क:-दस्तावेजों के पंजीयन में बढ़ोतरी तथा पुरानी बकायों की वसूली के कारण वृद्धि (25 *प्रतिशत*) हुई।

वाहनों पर कर:-वाहनों की कुछ श्रेणियों पर एकबारीय कर लागू करने तथा नये वाहनों के अधिक पंजीयन के कारण वृद्धि (13 *प्रतिशत*) हुई।

आय एवं व्यय पर अन्य कर, व्यवसाय, व्यापार, पेशा एवं रोजगार पर कर:-व्यवसाय कर समाप्त करने के कारण कमी (76 *प्रतिशत*) हुई।

वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्कः-वृद्धि (45 प्रतिशत) मनोरंजन / सिनेमा व्यवसाय मे बढोतरी के कारण हुई। विलासिता कर से राजस्व में वृद्धि, कमरों के किराये की दरों में बढोतरी एवं यात्रियों के प्रवाह में बढ़ोतरी के कारण हुई।

भू-राजस्वः-सरकारी सम्पदा एवं अनुपयोगी भूमि की बिक्री से अधिक प्राप्तियों के कारण वृद्धि (38 *प्रतिशत*) हुई।

अन्य करः- वर्ष 2006-07 के दौरान नया कर (भूमि कर) लगाने के कारण वृद्धि (10,265 प्रतिशत) हुई ।

1.1.3 निम्नलिखित तालिका वर्ष 2002-03 से 2006-07 की अवधि के दौरान राज्य द्वारा वसूल किये गये मुख्य कर-इतर राजस्व का विवरण प्रदर्शित करती हैः

(करोड़ रुपयों मे)

क्र. सं.	**राजस्व शीर्ष**	**2002-03**	**2003-04**	**2004-05**	**2005-06**	**2006-07**	**2006-07 में 2005-06 पर *प्रतिशत* वृद्धि (+)/ कमी (-)**
1.	ब्याज प्राप्तियाँ	607.04	685.12	754.94	990.21	1,072.72	(+) 8
2.	वानिकी एवं वन्य जीवन	41.63	39.53	39.41	40.07	45.24	(+) 13
3.	अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	449.38	513.70	645.35	814.08	1,196.52	(+) 47
4.	विविध सामान्य सेवाएं	43.88	340.50	90.47	305.87	528.28	(+)73
5.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	20.74	43.23	56.50	46.79	60.56	(+) 29
6.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	22.40	16.28	29.84	16.70	30.62	(+)83
7.	सहकारिता	7.90	6.93	8.71	14.79	22.23	(+)50
8.	सार्वजनिक निर्माण	19.69	16.45	17.85	27.86	47.47	(+)70
9.	पुलिस	57.59	46.16	54.04	75.86	42.61	(-)44
10.	अन्य प्रशासनिक सेवायें	38.21	50.65	91.79	54.02	54.84	(+) 2
11.	अन्य कर-इतर प्राप्तियाँ	260.54	313.09	357.25	351.42	329.52	(-) 6
	योग	**1,569.00**	**2,071.64**	**2,146.15**	**2,737.67**	**3,430.61**	**(+) 25**

सम्बन्धित विभागों ने वर्ष 2005-06 की तुलना में वर्ष 2006-07 के दौरान प्राप्तियों में वृद्धि/कमी के निम्नलिखित कारण बताये:

वानिकी एवं वन्य जीवन:- इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की नहर के किनारे वृक्षों के पातन से प्राप्त राजस्व के कारण वृद्धि (13 प्रतिशत) हुई।

अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग:- दरों में वृद्धि से जिंक पर अधिशुल्क के अधिक संग्रहण के कारण वृद्धि (47प्रतिशत) हुई।

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य- वृद्धि (83 प्रतिशत) मुख्यतः कर्मचारी राज्य बीमा निगम से वर्ष 2005-06 की अग्रिम प्रतिपूर्ति की अन्तिम किस्त की अतिरिक्त प्राप्ति एवं बीमित व्यक्तियों की बढ़ोतरी के कारण हुई।

सहकारिता:- वृद्धि (50 प्रतिशत) मुख्यतः राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से सहायतार्थ अनुदान की प्राप्ति के कारण हुई।

सार्वजनिक निर्माण:- सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा केन्द्रीय सरकार, अन्य सरकारों एवं स्थानीय निकायों के लिए किये गये "डिपोजिट वर्क्स" से अधिक प्राप्तियों के कारण वृद्धि (70 प्रतिशत) हुई।

पुलिस:अन्य सरकारों को पुलिस पूर्ति पर कम प्राप्तियों के कारण कमी (44 प्रतिशत) हुई।

गत वर्षो की तुलना में प्राप्तियों में अन्तर के कारणों से अवगत करायें जाने के लिए लिखे जाने (जून 2007) के बावजूद अन्य विभागों ने कारणों से अवगत नहीं कराया (सितम्बर 2007)।

1.2 बजट अनुमानों और वास्तविक आंकडों में अन्तर

वर्ष 2006-07 के लिए कर एवं कर-इतर राजस्व के मुख्य शीर्षो से संबंधित बजट अनुमानों और वास्तविक राजस्व प्राप्तियों के अन्तर नीचे दर्शाए गए है:

(करोड़ रुपयों मे)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक	अन्तर वृद्धि (+)/ कमी (-)	अन्तर का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
कर राजस्व					
1.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	6,240.00	6,720.71	(+) 480.71	(+) 8
2.	राज्य आबकारी शुल्क	1,600.00	1,591.09	(-) 8.91	(-) 1
3.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	1,200.00	1,293.68	(+)93.68	(+) 8
4.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	576.05	515.88	(-) 60.17	(-) 10
5.	वाहनों पर कर	950.00	1,023.61	(+) 73.61	(+) 8
6.	भू-राजस्व	110.06	116.71	(+) 6.65	(+) 6
7.	कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	0.01	52.86	(+)52.85	(+) 5,28,500
	योग	10,676.12	11,314.54	(+) 638.42	(+) 6

1	2	3	4	5	6
कर-इतर राजस्व					
1.	अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	850.00	1,196.52	(+) 346.52	(+) 41
2.	ब्याज प्राप्तियां	915. 75	1,072.72	(+)156.97	(+) 17
3.	विविध सामान्य सेवाऐं	159.71	528.28	(+) 368.57	(+) 231
4.	वानिकी एवं वन्य जीवन	42.75	45.24	(+) 2.49	(+) 6
5.	पुलिस	62.00	42.61	(-)19.39	(-) 31
	योग	**2,030. 21**	**2,885.37**	(+) **855.16**	(+) **42**

सम्बन्धित विभागों ने वर्ष 2006-07 के लिए बजट अनुमानों एवं राजस्व की वास्तविक प्राप्तियों में अन्तर के निम्नलिखित कारण बताये:

विद्युत पर कर एवं शुल्कः- विद्युत के उपभोग एवं विक्रय पर कर की कम प्राप्ति के कारण कमी (10 प्रतिशत) हुई।

कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर करः-मार्च 2007 में अग्रिम कर जमा होने के कारण वृद्धि हुई।

अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योगः- अधिक रॉयल्टी की प्राप्ति के कारण वृद्धि (41 प्रतिशत) हुई।

ब्याज प्राप्तिः- मुख्यतः नकद शेषों के निवेश पर ब्याज एवं उपशीर्ष "अन्य प्राप्तियों" के अन्तर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण वृद्धि (17 प्रतिशत) हुई।

विविध सामान्य सेवाऐं:- भारत सरकार द्वारा ऋण एवं ब्याज में राहत देने के कारण वृद्धि (231 प्रतिशत) हुई।

पुलिसः-उपशीर्ष "अन्य सरकारों को पुलिस पूर्ति" के अन्तर्गत कम प्राप्तियों के कारण कमी (31 प्रतिशत) हुई।

1.3 संग्रहण की लागत

वर्ष 2005-06 के लिए संबंधित अखिल भारतीय औसत प्रतिशत के साथ वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान प्रमुख राजस्व प्राप्तियों में सकल संग्रहण, संग्रहण पर किया गया व्यय और सकल संग्रहण के लिए किये गए ऐसे व्यय का प्रतिशत नीचे

दिया गया है:

(करोड़ रुपयों मे)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	वर्ष 2005-06 के लिये अखिल भारतीय औसत प्रतिशत
1.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	2004-05 2005-06 2006-07	4,797.53 5,593.64 6,720.71	41.85 52.42 60.05	0.9 0.9 0.9	0.91
2.	राज्य आबकारी शुल्क	2004-05 2005-06 2006-07	1,276.07 1,521.80 1,591.09	22.39 34.18 42.52	1.8 2.2 2.7	3.40
3.	वाहनों पर कर	2004-05 2005-06 2006-07	817.21 908.18 1023.61	13.30 13.67 15.56	1.6 1.5 1.5	2.67
4.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	2004-05 2005-06 2006-07	817.83 1,031.79 1,293.68	14.32 15.79 19.21	1.8 1.5 1.5	2.87

1.4 राजस्व की बकाया का विश्लेषण

31 मार्च 2007 को राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों के संबंध में राजस्व की बकाया की राशि 3,342.62 करोड़ रुपये थी जिसमें से 895.74 करोड़ रुपये पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जिसका विवरण नीचे दिया है:

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2007 को बकाया राशि	पांच वर्षों से अधिक बकाया राशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	2,633.55	620.88	2,633.55 करोड़ रुपयों में से 220.33 करोड़ रुपयों की मांग पर स्थगन था। 95.03 करोड़ रुपयों की मांग भू-राजस्व अधिनियम तथा राजस्व वसूली अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित थी। 10.33 करोड़ रुपये की मांग अपलिखित होने की संभावना थी तथा 251.39 करोड़ रुपये की मांग उन व्यापारियों, जिनका पता नहीं चल सका, के विरूद्ध बकाया थी। 55.32 करोड़ रुपये की वसूली सरकारी विभागों के विरूद्ध बकाया थी। 2,001.15 करोड़ रुपये की बकाया, वसूली के विभिन्न स्तरों पर थी।
2.	राज्य आबकारी शुल्क	223.51	180.91	223.51 करोड़ रुपयों में से 61.99 करोड़ रुपयों की वसूली न्यायालयों/न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी गई, 5.23 करोड़ रुपये अपलिखित होने की संभावना थी तथा 156.29 करोड़ रुपयों की माँग, वसूली के विभिन्न स्तरों पर थी।

1	2	3	4	5
3.	वाहनों पर कर	24.04	11.38	24.04 करोड़ रुपयों में से 2.38 करोड़ रुपयों की मांगें न्यायालय/सरकार द्वारा स्थगित कर दी गई। 19.85 करोड़ रुपये की मांगें वसूली प्रमाण-पत्रों के द्वारा आच्छादित थी। 1.18 करोड़ रुपयों की मांग भू-राजस्व अधिनियम तथा लोक ऋण वसूली अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित थी। 63 लाख रुपयों की बकाया, वसूली के विभिन्न स्तरों पर थीं।
4	यात्री एवं माल पर कर	1.90	1.90	जिस स्तर पर वसूली बकाया है, उसकी सूचना परिवहन विभाग द्वारा नहीं दी गई।
5.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	101.46	7.35	101.46 करोड़ रुपयों में से 62.68 करोड़ रुपयों की मांगें वसूली प्रमाण-पत्रों से आच्छादित थीं। 35.49 करोड़ रुपयों की मांगें उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी गई। 3.19 करोड़ रुपयों की मांगें सरकार द्वारा स्थगित कर दी गई। 10 लाख रुपयों की मांगें आवेदनों के संशोधन/ समीक्षा के कारण रोकी गई ।
6.	भू-राजस्व	80.50	10.83	80.50 करोड़ रुपयों में से 3.53 करोड़ रुपयों की मांगें सरकार द्वारा स्थगित कर दी गई तथा 20.58 करोड़ रुपयों की मांगें उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी गई थी। 56.39 करोड़ रुपयों की बकाया, वसूली के विभिन्न स्तरों पर थीं।
7	अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	90.62	29.37	90.62 करोड़ रुपयों में से 55.15 करोड़ रुपयों की मांगें उच्च न्यायालय/ अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी गईं तथा 1.42 करोड़ रुपये सरकार द्वारा स्थगित कर दिये गये। 25.36 करोड़ रुपयों की मांगें भू-राजस्व अधिनियम तथा लोक ऋण वसूली अधिनियम के अन्तर्गत वसूली प्रमाण पत्रों से आच्छादित थी। 1.89 करोड़ रुपयों की बकाया अपलिखित होने की संभावना थी। 6.80 करोड़ की मांगे व्यवहारियों के दिवालिया होने के कारण रुकी हुई थी।
8.	विविध सामान्य सेवाऐं- भूमि की बिक्री	142.80	19.82	142.80 रुपयों की बकाया, वसूली के विभिन्न स्तरो पर थी।
9	वृहद एवं मध्यम सिंचाई[2]	27.63	13.30	10.52 करोड़ रुपयों की बकाया, जो राजस्व मण्डल से संबंधित है, वसूली के विभिन्न स्तरों पर थी। 17.11 करोड़ रुपये की बकाया वसूली के स्तरों को आयुक्त, सिं.क्षे.वि., चम्बल, कोटा तथा मुख्य अभियन्ता इ.गा.न.प., बीकानेर द्वारा सूचित नहीं किये गये।
10	पुलिस लागत	16.61	शून्य	16.61 करोड़ रुपयों में से 14.96 करोड़ रुपये रेलवे से वसूली हेतु बकाया थे। 43.56 लाख रुपये अन्य राज्यों से वसूली हेतु बकाया थे। 32 लाख रुपये केन्द्रीय सरकार से, 22.66 लाख रुपये बैकों से तथा 12.69 लाख रुपये स्थानीय निकायों से वसूली हेतु बकाया थे। शेष 54 लाख रुपये की राशि, वसूली के अन्य विभिन्न स्तरों पर थी।
	योग	**3,342.62**	**895.74**	

[2] यह सूचना राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर (10.52 करोड़ रुपये); आयुक्त, सिंचित क्षेत्र विकास (सिं.क्षे.वि.) चम्बल, कोटा (12.13 करोड़ रुपये) तथा मुख्य अभियंता इंदिरा गांधी नहर परियोजना (इ.गा.न.प.), बीकानेर से (4.98 करोड़ रुपये) संबंधित है।

1.5 कर निर्धारणों में बकाया

वर्ष 2006-07 के आरंभ में लम्बित कर निर्धारणों, वर्ष के दौरान निर्धारण योग्य, वर्ष के दौरान निपटाये गये और वर्ष 2006-07 के अन्त में लम्बित प्रकरणों की संख्या गत चार वर्षो के आंकड़ों के साथ, जैसा कि विभागों द्वारा प्रेषित किया गया, नीचे दर्शायी गयी है:

वर्ष	प्रारंभिक शेष	निर्धारण योग्य नये प्रकरण	योग	वर्ष के दौरान निपटाये गये प्रकरण	वर्ष के अन्त में बकाया प्रकरण
बिक्री कर					
2002-03	1,44,443	11,121	1,55,564	1,55,486	78
2003-04	78	3,08,558	3,08,636	2,27,290	81,346
2004-05	81,346	2,12,397	2,93,743	2,28,913	64,830
2005-06	64,830	1,90,787	2,55,617	2,54,740	877
2006-07	877	2,43,771	2,44,648	2,43,618	1,030
मनोरंजन कर					
2002-03	2,182	3,020	5,202	2,629	2,573
2003-04	2,573	2,527	5,100	3,040	2,060
2004-05	2,060	2,514	4,574	2,606	1,968
2005-06	1,968	2,996	4,964	3,619	1,345
2006-07	1,345	2,193	3,538	2,546	992

1.6 कर का अपवंचन

वर्ष 2006-07 में विभागों द्वारा कर अपवंचन के पता लगाये गये प्रकरण, अन्तिम रूप दिये गये प्रकरण तथा अतिरिक्त कर की मांग कायमी का विवरण, जैसा कि विभागों द्वारा सूचित किया गया, नीचे दर्शाया गया है:

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	1 अप्रैल 2006 को प्रारम्भिक शेष	पता लगाये गये मामले	योग	निर्धारण/अन्वेषण पूर्ण किये गये तथा शास्ति आदि सहित अतिरिक्त मांग कायम शुदा मामले		31 मार्च 2007 को बकाया मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की राशि (करोड़ रुपयों में)	
1.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	185	12,508	12,693	12,577	45.87	116
2.	अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	8,805	1,349	10,154	2,242	उपलब्ध नहीं	7,912
3.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	8,823	10,498	19,321	13,842	50.27	5,479

इस प्रकार, राजस्व शीर्ष "अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग" के अधीन कुल प्रकरणों में से 78 प्रतिशत प्रकरण बकाया थे। इन प्रकरणों के निस्तारण हेतु प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

1.7 राजस्व का अपलेखन एवं अधित्याग

वर्ष 2006-07 के दौरान, जैसा कि विभागों द्वारा सूचित किया गया, 3,506 प्रकरणों में 22.72 करोड़ रुपये की मांगें अपलिखित/परित्याग/माफ की गई। विवरण नीचे दर्शाया गया है:

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्रकरणों की संख्या	राशि	कारण
1.	वाणिज्यिक कर	2,799	11.29	व्यवसाइयों की मृत्यु के कारण, चल/अचल सम्पत्ति नहीं होने, व्यवसाइयों द्वारा व्यावसायिक स्थल छोड़ने के कारण परित्याग की गई।
2.	पंजीयन एवं मुद्रांक	707	11.43	63 प्रकरणों में शास्ति की राशि 33.08 लाख रुपये माफ की गई तथा 638 प्रकरणों में 1,102.75 लाख रुपये की राशि अन्य कारणों से परित्याग/अपलिखित की गई।
	योग	**3,506**	**22.72**	

इस प्रकार, समय पर वसूली की कार्यवाही नहीं करने से मांगे अपलिखित/परित्याग करनी पड़ी, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई।

1.8 प्रतिदाय

वर्ष 2006-07 के प्रारम्भ में बकाया प्रतिदाय के प्रकरण, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान स्वीकृत प्रतिदाय तथा वर्ष 2006-07 के अन्त में बकाया प्रकरणों की संख्या, जैसी की विभागों द्वारा सूचित की गई, नीचे दर्शायी गई है:

(करोड़ रुपयों में)

विभाग का नाम	प्रारंभिक शेष		प्राप्त दावे		अनुमत्य दावे		अन्तिम शेष	
	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
वाणिज्यिक कर	1,362	6.57	5,865	79.60	6,599	71.62	628	14.55
पंजीयन एवं मुद्रांक	1,358	1.58	1,956	3.52	2,644	4.07	670	1.03
भू-राजस्व	7	0.07	2	0.004	3	0.006	6	0.07
उपनिवेशन	30	0.05	38	0.18	19	0.12	49	0.11
अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	154	0.30	15	32.21	166	29.58	3	2.93
योग	**2,911**	**8.57**	**7,876**	**115.514**	**9,431**	**105.396**	**1,356**	**18.69**

1.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2006-07 के दौरान बिक्री कर, भू-राजस्व, राज्य आबकारी शुल्क, मोटर वाहन कर, मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क, एवं अन्य कर-इतर प्राप्तियाँ के अभिलेखों की मापक जांच में 16,676 प्रकरणों में 1,422.63 करोड़ रुपयों की राशि के अवनिर्धारण, कम आरोपण तथा राजस्व हानि का पता चला। संबंधित विभागों द्वारा अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के निहित राशि 133.86 करोड़ रुपये के 10,879 प्रकरण स्वीकार किये गये, जिनमें से निहित राशि 54.74 करोड़ रुपये के 3,432 प्रकरण वर्ष 2006-07 की लेखापरीक्षा के दौरान और शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। वर्ष 2006-07 के दौरान लेखापरीक्षा के इंगित करने पर 2,397 प्रकरणों में 13.86 करोड़ रुपये की राशि विभागों ने वसूल कर ली।

इस प्रतिवेदन में कर, शुल्क, ब्याज एवं शास्ति इत्यादि के अनारोपण/कम आरोपण से संबंधित दो समीक्षाओं सहित 41 अनुच्छेद, जिनमें 315.25 करोड़ रुपये निहित है, सम्मिलित किए गए हैं। सरकार/विभागों ने 106.42 करोड़ रुपयों की लेखापरीक्षा टिप्पणियां स्वीकार की हैं जिसमें से 31.37 लाख रुपये जून 2007 तक वसूल हो चुके थे।

1.10 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ-उत्तरदायित्व की कमी एवं जवाबदेही का अभाव

करों, शुल्कों, फीस आदि का अवनिर्धारण, कम निर्धारण/वसूली पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ और प्रारंभिक लेखों के रख-रखाव में त्रुटियां, जिनका मौके पर निस्तारण नहीं हुआ है, निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से विभागाध्यक्षों को सूचित किए जाते हैं। अधिक महत्व की अनियमितताऐं भी निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से कार्यालय महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) द्वारा सरकार/विभागों को सूचित की जाती हैं, जिसके प्रथम उत्तर इनके प्रेषण होने के एक माह में भेजे जाने होते हैं।

31 दिसम्बर 2006 तक जारी किये गये राजस्व प्राप्तियों से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदन और लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ, जो 30 जून 2007 को विभागों से निपटारे हेतु बकाया थी, गत दो वर्षों के आंकडों सहित नीचे दर्शायी गयी हैं:

क्र. सं.	विवरण	30 जून को		
		2005	2006	2007
1.	निपटारे हेतु बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,800	2,370	2,313
2.	बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या	7,701	6,716	6,428
3.	निहित राजस्व राशि (करोड़ रुपयों में)	1,511.54	1,804.08	1,527.75

30 जून 2007 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा टिप्पणियों का विभागानुसार विवरण नीचे दर्शाया गया है:

क्र. सं.	विभाग	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपयों में)	सर्वप्रथम वर्ष जिससे निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित है	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या जिनकी प्रथम अनुपालना प्राप्त नहीं हुई
1.	वाणिज्यिक कर	383	1,338	683.87	1998-99	59
2.	भू-राजस्व	399	617	135.22	1994-95	25
3.	पंजीयन एवं मुद्रांक	625	1,598	61.48	1999-2000	62
4.	परिवहन	453	1,595	100.33	1995-96	35
5.	वन	141	345	3.04	1997-98	7
6.	खान एवं भू-विज्ञान	143	536	445.38	2000-01	4
7.	राज्य आबकारी शुल्क	117	310	95.96	1998-99	8
8.	भूमि एवं भवन कर	13	17	0.71	1997-98	शून्य
9.	विद्युत निरीक्षण	39	72	1.76	1995-96	शून्य
	योग	**2,313**	**6,428**	**1,527.75**		**200**

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि लेखापरीक्षा आपत्तियों के निपटान में लम्बित रहने की अवधि 6 से 12 वर्षों के मध्य थी। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 327(1) के अनुसार लेखापरीक्षा के बाद विभिन्न लेखांकन अभिलेखों की परिरक्षण अवधि एक वर्ष एवं तीन वर्ष के मध्य हैं। अभिलेखों की निर्धारित परिरक्षण अवधि में विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों के आक्षेपों की अनुपालना में विफलता के परिणामस्वरूप भविष्य में अभिलेखों के न मिलने के कारण उनके निस्तारण की संभावना क्षीण हो जाती है। यह भी, कि देरी के कारण राजस्व वसूली कालातीत या अत्यधिक कठिन हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप अन्ततः राजस्व की हानि होती है।

सरकार को मामले में यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान देना चाहिये कि लेखापरीक्षा आपत्तियों का उत्तर निर्धारित समय अनुसूची में प्रेषित करने में असफल रहने वाले अधिकारियों के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही हो, राजस्व वसूली की तथा लेखापरीक्षा आपत्तियों पर तुरन्त कार्यवाही एवं उचित उत्तर देने की पद्धति सरल एवं कारगर हो।

उपर्युक्त स्थिति अक्टूबर 2007 मे सरकार के ध्यान में लाई गई ।

1.11 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर उच्चतर प्रबन्धन द्वारा विचार विमर्श एवं उनके निस्तारण के लिए विभिन्न विभागों में लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया गया है। सरकार, विभाग तथा कार्यालय महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) इन समितियों में प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक विभाग द्वारा, एक वर्ष में चार बार तिमाही आधार पर

दिसम्बर तक, लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित करनी थी। वर्ष 2006 के दौरान लेखापरीक्षा समितियों की विभाग-वार आयोजित बैठकों की स्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विभाग का नाम	2006 के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या				
		मार्च 2006 को समाप्त पहली तिमाही	जून 2006 को समाप्त दूसरी तिमाही	सितम्बर 2006 को समाप्त तीसरी तिमाही	दिसम्बर 2006 को समाप्त चौथी तिमाही	योग
1.	वाणिज्यिक कर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	राज्य आबकारी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	परिवहन	1	1	1	1	4
4.	पंजीयन एवं मुद्रांक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	भू राजस्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	खान एवं भू विज्ञान	1	1	शून्य	1	3
	योग	**2**	**2**	**1**	**2**	**7**

सरकार द्वारा परिवहन तथा खान एवं भू-विज्ञान विभागों के अलावा शेष उन लेखापरीक्षा समितियों को पुनर्जीवित करने के तुरन्त उपाय करने की आवश्यकता है जो अप्रभावी तथा निष्क्रिय हो गई है।

1.12 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों के उत्तर

वित्त विभाग ने अगस्त 1969 में सभी विभागों को, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित ड्राफ़्ट लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के उत्तर उनकी प्राप्ति से तीन सप्ताह के अन्दर भिजवाने हेतु निर्देश जारी किये थे। ड्राफ्ट अनुच्छेद संबंधित विभागों के सचिवों को अर्द्धशासकीय पत्रों के माध्यम से, लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान दिलाये जाने तथा यह अनुरोध करते हुए भेजे जाते हैं कि वे अपने उत्तर तीन सप्ताह में भिजवा दें। सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं होने के तथ्य को, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक अनुच्छेदों के अन्त में आवश्यक रूप से दर्शाया जाता है।

31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित ड्राफ्ट अनुच्छेद संबंधित विभागों के सचिवों को जुलाई 2007 एवं अगस्त 2007 के मध्य प्रेषित किये गये थे। जारी किये गये 172 ड्राफ्ट अनुच्छेदों (इस प्रतिवेदन के 41 पैराग्राफ में सम्मिलित) में से 24 ड्राफ्ट अनुच्छेदों में विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया।

1.13 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति

वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सभी विभागों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखे जाने के तीन माह के अन्दर उसमें सम्मिलित अनुच्छेदों के संबंध में अपने व्याख्यात्मक पत्रक लेखापरीक्षा द्वारा जांचोपरान्त राजस्थान विधानसभा सचिवालय को प्रेषित करने होते हैं।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किये गये तथा 30 सितम्बर 2007 को चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेदों की स्थिति **परिशिष्ट 'अ'** में दर्शायी गई है। वर्ष 2002-03 से 2005-06 की अवधि से सम्बन्धित 85 अनुच्छेद जन लेखा समिति में चर्चा हेतु शेष थे।

राजस्थान राज्य विधानसभा की जन लेखा समिति के लिये वर्ष 1997 में बनाये गये नियम एवं कार्यविधि के अनुसार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर जन लेखा समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर, इनके विधानसभा में प्रस्तुत करने के छः माह के अन्दर क्रियान्विति विषयक टिप्पणी को प्रेषित करने हेतु संबंधित विभाग आवश्यक कार्यवाही करेगें। बकाया क्रियान्विति विषयक टिप्पणियों की स्थिति **परिशिष्ट 'ब'** में दर्शायी गयी है। इससे विदित होता है कि बकाया क्रियान्विति विषयक टिप्पणियों की अवधि 6 माह से 90 माह तक रही।

1.14 स्वीकार किये गये प्रकरणों में राजस्व की वसूली

वर्ष 2001-02 एवं 2005-06 के मध्य के वर्षों के दौरान सरकार/विभागों ने अन्तर्निहित 652.41 करोड़ रुपये की लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ स्वीकार की, जिसमें से 104.16 करोड़ रुपयों की वसूली 30 सितम्बर 2007 तक नीचे दर्शाये गये अनुसार कर ली गई:

(करोड़ रुपयों में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सकल धन मूल्य	स्वीकार किया गया धन मूल्य	की गई वसूली
2001-02	448.86	99.65	30.52
2002-03	382.52	207.91	20.94
2003-04	381.48	230.07	42.67
2004-05	276.63	15.02	4.37
2005-06	352.81	99.76	5.66
योग	**1,842.30**	**652.41**	**104.16**

इस प्रकार, गत पांच वर्षो में स्वीकार की गई राशि का केवल 16 प्रतिशत की वसूली हुई।

अध्याय-II: बिक्री कर

2.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2006-07 के दौरान वाणिज्यिक कर विभाग के कार्यालयों में अभिलेखों की की गई मापक जांच से 1,456 प्रकरणों में 611.86 करोड़ रुपयों के अवनिर्धारण आदि का पता चला जो विस्तृत रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	राजस्थान में बिक्री कर राजस्व का संग्रहण	1	319.00
2.	कर की गलत दर लगाने के कारण कर का कम आरोपण	201	83.62
3.	अनियमित छूट प्रदान करना	273	75.44
4.	कटौती की अनियमित या गलत स्वीकृति के कारण अवनिर्धारण	174	11.36
5.	कर योग्य व्यापारावर्त का निर्धारण नहीं करना	192	2.34
6.	शास्ति/ब्याज आरोपित नहीं करना	55	0.43
7.	क्रय कर आरोपित नहीं करना	36	0.13
8.	अन्य अनियमिततायें	524	119.54
	योग	**1,456**	**611.86**

वर्ष 2006-07 के दौरान विभाग ने 768 प्रकरण जिनमें 25.88 करोड़ रुपये अन्तर्निहित थे, में अवनिर्धारणों एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें से 103 प्रकरण जिनमें 64.86 लाख रुपये अन्तर्निहित थे वर्ष 2006-07 की लेखापरीक्षा के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। विभाग ने वर्ष 2006-07 के दौरान 74 प्रकरणों में 99.17 लाख रुपये वसूल किये जिनमें से 40,000 रुपये के तीन प्रकरण वर्ष 2006-07 से तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को दर्शाने वाले कुछ निदर्शी प्रकरण जिनमें 150.60 करोड़ रुपये अन्तर्निहित हैं, आगामी अनुच्छेदों में दिये गये हैं:-

2.2 अन्तर्राज्यीय विक्रय पर कर का कम आरोपण

2.2.1 केन्द्रीय बिक्री कर (के.बि.क.) अधिनियम, 1956 की धारा 8(5) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राज्य सरकार ने "सी" प्रपत्र में घोषणा प्रस्तुत किये बिना अनेक वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय विक्रय पर अनेक रियायती दरें, अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित की। केन्द्र सरकार ने 11 मई 2002 को धारा 8(5) में संशोधन किया जिसमें अनुबद्ध था कि अन्तर्राज्यीय विक्रय पर कर की रियायती दर का दावा करने के लिए "सी" प्रपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया था। ऐसे में घोषणा पत्रों के बिना समर्थित अन्तर्राज्यीय विक्रय पर निर्धारित दरों से कर आकर्षित होता है। उपरोक्त संशोधन के विपरीत आयुक्त, वाणिज्यिक कर (आ.वा.क.) ने ऐसे प्रपत्रों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता का त्याग करवाते हुए दिसम्बर 2005 में एक परिपत्र जारी किया।

ग्यारह वाणिज्यिक कार्यालयों[1] के कर निर्धारण अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 11 मई 2002 से मार्च 2004 से सम्बन्धित अवधि के 69 कर निर्धारण निर्धारित घोषणापत्रों से समर्थित नहीं थे। इसलिए, ये अन्तर्राज्यीय विक्रय, कर की रियायती दर के पात्र नहीं थे। लेकिन निर्धारण प्राधिकारियों (नि.प्रा.) ने मई 2004 से अप्रेल 2006 के मध्य कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय कर की रियायती दर आरोपित की। इसके परिणामस्वरूप 117.05 करोड़ रुपये के कर का कम आरोपण हुआ।

2.2.2 के.बि.क. अधिनियम के अन्तर्गत मांग में अनियमित कमी

के.बि.क. अधिनियम के अन्तर्गत संधारित मांग एवं वसूली पंजिका की 17 वृत्तों[2] में मापक जांच से प्रकट हुआ कि अन्तर्राज्यीय विक्रय के 129 प्रकरणों में जिन्हें 2004-05 एवं 2005-06 के मध्य अंतिम रूप दिया गया था, "सी" प्रपत्रों द्वारा समर्थित नहीं थे। नि.प्रा. ने निर्धारित दरों पर कर आरोपित किया एवं तदनुसार मांग कायम की। तथापि, उपरोक्त परिपत्र की अनुपालना में मांग 18.25 करोड़ रुपये से कम कर दी गई। मांग में कमी करना अनियमित था जिसके परिणामस्वरूप 18.25 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई।

प्रकरणों को ध्यान में लाये जाने पर, आयुक्त वाणिज्यिक कर ने बताया कि राजस्थान सरकार ने के.बि.क. अधिनियम की धारा 8(5) के अन्तर्गत करदाता को "सी" प्रपत्र प्रस्तुत करने की छूट से सम्बन्धित कुछ अधिसूचनाये जारी की थी एवं चूंकि इन अधिसूचनाओं को वापस नहीं लिया गया था, "सी" घोषणापत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिनांक 11 मई 2002 को के.बि.क. अधिनियम की

[1] विशेष अजमेर (1), विशेष भीलवाड़ा (3), विशेष राजस्थान (1), "सी" जयपुर(2), विशेष कोटा (1), विशेष पाली (4), विशेष अलवर (11), "ए" भरतपुर (20), विशेष I जयपुर (10), विशेष IV जयपुर (9) एवं किशनगढ़ (7)।

[2] विशेष अलवर (4), राजसमन्द (15), विशेष पाली (5), विशेष IV जयपुर (3), "सी" उदयपुर (1), नागौर (15), विशेष -II जयपुर (10), हनुमानगढ़ (9), विशेष V जयपुर (3), "ए" कोटा (4), विशेष कोटा (9), "बी" बीकानेर (12), विशेष-I जयपुर (8), विशेष अजमेर (6), विशेष भीलवाड़ा (3), "डी" जयपुर (3) एवं "ए" बीकानेर (19)।

धारा 8(5) में संशोधन के पश्चात् प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य सरकार द्वारा "सी" प्रपत्र प्रस्तुत करने की शर्त में शिथिलता के लिये जारी अधिसूचनायें स्वतः ही खण्डित या अप्रभावी थी एवं इस प्रकार बिना "सी" प्रपत्र के वस्तु का अन्तर्राज्यीय विक्रय 10 प्रतिशत या राज्य दर जो भी अधिक हो से कर योग्य था।

2.3 शर्त के उल्लंघन पर लाभ वापस नहीं लेना

उद्योगों के लिये बिक्री कर प्रोत्साहन/मुक्ति योजनायें 1987 एवं 1998 के अन्तर्गत योजना में निर्धारित अधिकतम मात्रा एवं लाभ की अवधि की शर्त पर औद्योगिक इकाईयों को उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के विक्रय पर कर के भुगतान की मुक्ति प्रदान की गई थी। योजनाओं में आगे प्रावधान था कि योजना का लाभ उठाने के बाद लाभार्थी औद्योगिक इकाईयों को अगले पांच वर्षो तक अपना उत्पादन जारी रखना था। शर्त के उल्लंघन के मामले में इकाईयों पर निर्मित वस्तुओं के विक्रय पर यह मानते हुए करारोपण किया जावेगा जैसे कोई कर मुक्ति थी ही नहीं । इसके अतिरिक्त, राजस्थान बिक्री कर (रा.बि.क.) अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत निर्धारित दरों से ब्याज भी आरोप्य था।

छः वाणिज्यिक कर कार्यालयों[3] में, मार्च 2006 एवं दिसम्बर 2006 के मध्य यह विदित हुआ कि 17 औद्योगिक इकाईयों को अक्टूबर 1994 एवं मई 2002 के मध्य पात्रता प्रमाणं पत्र जारी किये गये थे। इन इकाईयों द्वारा 1994-95 से 2003-04 के दौरान 2.57 करोड़ रुपयों की कर मुक्ति का लाभ उपभोग करने के उपरान्त अगले पांच वर्षो तक अर्थात 2005-06 से 2013-14 तक अपना उत्पादन जारी रखना आवश्यक था। इन इकाईयों ने 2001-02 एवं 2004-05 के मध्य अपना उत्पादन बन्द कर दिया किन्तु कर निर्धारण प्राधिकारियों ने इन इकाईयों द्वारा पूर्व में उठाई गई कर मुक्ति वापस लेने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की। इसके परिणामस्वरूप 3.16 करोड़ रुपये के ब्याज सहित कर के 5.73 करोड़ रुपयों की वसूली नहीं हुई।

प्रकरण अप्रेल 2006 एवं जनवरी 2007 के मध्य विभाग के ध्यान में लाये गये तथा सितम्बर 2006 एवं मार्च 2007 के मध्य सरकार को सूचित किये गये; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (सितम्बर 2007)।

2.4 मार्बल कटिंग एवं पालिशिंग इकाईयों को अनियमित कर मुक्ति स्वीकृत करना

उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक रूप से यह माना[4] गया था कि मार्बल कटिंग एवं पालिशिंग निर्माण प्रक्रिया नहीं है क्योंकि मार्बल, कटिंग एवं पालिशिंग के बाद मार्बल ही

[3] बाड़मेर (2), भिवाड़ी (7), "बी" बीकानेर (2), चुरू (2), "बी" जयपुर (2) एवं "सी" जयपुर (2)।

[4] सी.आई.टी. बनाम लक्की मिनरल्स (प्रा.) लिमिटेड आई.टी.आर. 226 (1996)।

मै. अमन मार्बल इण्डस्ट्रीज बनाम सी.सी.ई. जयपुर 2003 (58) आर.एल.टी. 595 (एस.सी)

रहता है । इस दृष्टिकोण की 2003 में दूसरे निर्णय में पुनरावृत्ति की गई थी। इन निर्णयों के परिपेक्ष्य में मार्बल कटिंग एवं पालिशिंग इकाईयां, योजनाओं के अन्तर्गत कर मुक्ति की पात्र नहीं है।

सात वाणिज्यिक कर कार्यालयों[5] में, मई 2006 एवं दिसम्बर 2006 के मध्य यह विदित हुआ कि 19 औद्योगिक इकाईयां जो मार्बल कटिंग में कार्यरत थी को अगस्त 1997 एवं जुलाई 2003 के मध्य गलत रूप से निर्माण इकाईयां मानते हुए कर प्रोत्साहन योजनाओं के अन्तर्गत 10.69 करोड़ रुपये की कुल कर मुक्ति प्रदान की गई। ये इकाईयां 1997-98 एवं 2003-04 के मध्य 3.35 करोड़ रुपये की कर मुक्ति का लाभ उपभोग कर चुकी थी। तथापि, मार्च 2005 एवं मार्च 2006 के मध्य कर निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय कर निर्धारण प्राधिकारियों ने उपरोक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में इन इकाईयों द्वारा उपभोग किया गया 3.35 करोड़ रुपये की कर मुक्ति का लाभ वसूल करने की कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की। इसके अतिरिक्त, भविष्य में उपयोग के लिये 7.34 करोड़ रुपये की शेष रही कर मुक्त राशि को भी वापस लिया जाना था।

ये प्रकरण जून 2006 एवं जनवरी 2007 के मध्य विभाग के ध्यान में लाये गये तथा सितम्बर 2006 एवं अप्रेल 2007 के मध्य सरकार को सूचित किये गये; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (सितम्बर 2007)।

2.5 कर से गलत मुक्ति स्वीकृत करना

रा.बि.क. अधिनियम के अन्तर्गत 6 जुलाई 1989 एवं 7 अप्रैल 1998 को जारी क्रमशः बिक्री कर नव प्रोत्साहन योजना 1989" एवं "उद्योगों के लिये बिक्री कर मुक्ति योजना 1998" के अन्तर्गत राज्य के अन्दर विक्रय के लिए तेल निकालने वाले या निर्माण करने वाले उद्योग मुक्ति के पात्र नहीं थे।

दो वाणिज्यिक कर कार्यालयों[6] में, नवम्बर 2006 एवं जनवरी 2007 के मध्य यह विदित हुआ कि दो औद्योगिक इकाईयों ने उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत मुक्ति प्राप्त की एवं 2003-04 वर्ष के दौरान 58.45 करोड़ रुपये मूल्य का खाद्य तेल राज्य के अन्दर विक्रय किया। यद्यपि ये इकाईयां इन विक्रय के लिए कर भुगतान मुक्ति की पात्र नहीं थी फिर भी नि.प्रा. ने कर निर्धारणों को अगस्त 2005 एवं फरवरी 2006 के मध्य अन्तिम रूप देते समय गलत रूप से मुक्ति प्रदान की। इसके परिणामस्वरूप कर तथा ब्याज की 2.93 करोड़ रुपये की गलत मुक्ति स्वीकृत की गई।

---

[5] विशेष-II जयपुर (1), "ई" जयपुर (2), चित्तौडगढ़ (7), किशनगढ़ (3), राजसमन्द (2), सिरोही (2), "सी" उदयपुर (2)।

[6] जयपुर एवं कोटा।

ये प्रकरण दिसम्बर 2006 एवं फरवरी 2007 के मध्य विभाग को ध्यान में लाये गये तथा मार्च 2007 में सरकार को सूचित किये गये; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (सितम्बर 2007)।

2.6 कर की अधिक मुक्ति स्वीकृत करना

"उद्योगो के लिये बिक्री कर मुक्ति योजना, 1998 " के अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयां जिनमें विनियोजन 1.50 करोड़ रुपये तक है पात्र स्थाई पूंजी विनियोजन[7] की 125 प्रतिशत तथा जहां यह 1.50 करोड़ रुपये से अधिक है वहां 100 प्रतिशत के लाभ की पात्र थी।

जयपुर में, अक्टूबर 2006 में यह विदित हुआ कि एक औद्योगिक इकाई जिसकी पात्र स्थाई पूंजी विनियोजन 9.09 करोड़ रुपये थी, उपरोक्त योजना के अन्तर्गत मुक्ति प्राप्त कर रही थी। इकाई, इस प्रकार पात्र स्थाई पूंजी विनियोजन की 100 प्रतिशत कर मुक्ति की पात्र थी। तथापि, इकाई के वर्ष 2003-04 के कर निर्धारण अभिलेख, जिन्हें कि नवम्बर 2005 में अंतिम रूप दिया गया था, की मापक जांच से प्रकट हुआ कि नि.प्रा. ने पात्र स्थाई पूंजी विनियोजन की 125 प्रतिशत का पात्रता प्रमाणपत्र गलत रूप से जारी कर दिये। इसके परिणामस्वरूप 2.27 करोड़ रुपये की अधिक मुक्ति स्वीकृत की गई।

प्रकरण दिसम्बर 2006 में विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को मार्च 2007 में सूचित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (सितम्बर 2007)।

2.7 निर्माण संविदा में ऐलीवेटरों की आपूर्ति/स्थापन पर कर का अनारोपण

29 मार्च 2001 को जारी अधिसूचना द्वारा, मुक्ति शुल्क के भुगतान करने पर निर्माण संविदा के निष्पादन में शामिल माल के रूप में सम्पत्ति हस्तांतरण पर सरकार ने कर की मुक्ति प्रदान की। न्यायिक रूप से यह माना[8] गया था कि ऐलीवेटरों की आपूर्ति एवं स्थापन विक्रय था एवं निर्माण संविदा की श्रेणी में शामिल नहीं होता था तथा ऐसे व्यवसायी निर्धारित दरों से विक्रय कर भुगतान करने के लिये उत्तरदायी थे न कि मुक्ति शुल्क के। ऐलीवेटरों के विक्रय पर 12 प्रतिशत कर के साथ कर की राशि पर 15 प्रतिशत अधिभार आरोपणीय था।

जयपुर में, नवम्बर 2006 में विदित हुआ कि निर्माण संविदा में शामिल दो ठेकेदारों ने 4.12 करोड़ रुपये राशि के ऐलीवेटर स्थापित किये। इनमें से एक ठेकेदार ने कर का

[7] इसमें भूमि, भवन, प्लांट एवं मशीनरी एवं अन्य विविध स्थाई परिसम्पत्तियों में किया गया निवेश सम्मिलित है जिसे जिला स्तरीय छानबीन समिति/राज्य स्तरीय छानबीन समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है।

[8] आंध्रप्रदेश बनाम मैसर्स कोन ऐलीवेटर्स (इंडिया) लिमिटेड 140 एस.टी.सी. 22 (एस.सी.)।

बिलकुल भुगतान नहीं किया जबकि दूसरे ने तीन प्रतिशत मुक्ति शुल्क का भुगतान करके मुक्ति का दावा किया जिसे स्वीकृत कर दिया गया। वर्ष 2003-04 के कर निर्धारणों को मार्च 2006 में अन्तिम रूप देते समय निर्धारण प्राधिकारी त्रुटि का पता लगाने में एवं कर आरोपित करने में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप 52.16 लाख रुपये के कर के अतिरिक्त 21.65 लाख रुपये के ब्याज का अनारोपण/कम आरोपण हुआ।

प्रकरणों को ध्यान में लाये जाने के पश्चात्, नि.प्रा. ने जून 2007 में सूचित किया कि एक प्रकरण में 11.93 लाख रुपये की मांग कायम कर दी गई थी। वसूली की प्रगति प्राप्त नहीं हुई। दूसरे प्रकरण में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2007)।

प्रकरण सरकार को सूचित (मार्च 2007) किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2007)।

2.8 स्टोन क्रशिंग इकाई को अनियमित मुक्ति देना

बिक्री कर प्रोत्साहन योजना 1989 के अन्तर्गत, निर्माण कर रही इकाईयां ही मुक्ति के लिये पात्र है। न्यायिक रूप से यह माना[9] गया है कि पत्थर गिट्टी[10] तैयार करना निर्माण गतिविधि नहीं है क्योंकि पत्थर, क्रशिंग के बाद भी पत्थर ही रहता है। तद्नुसार ऐसी इकाईयां योजना के अन्तर्गत कर मुक्ति के लाभ के लिये पात्र नहीं है।

जयपुर में, अक्टूबर 2006 में यह विदित हुआ कि स्टोन क्रशिंग के कार्य में लगी हुई एक इकाई को मई 2003 में कर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 45.26 लाख रुपये की कर मुक्ति का लाभ स्वीकृत किया गया जो कि गलत था। दिसम्बर 2005 में कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय कर नि.प्रा. त्रुटि का पता लगाने में असफल रहे। इकाई 2003-04 तक 6.50 लाख रुपये की कर मुक्ति का लाभ प्राप्त कर चुकी थी जो ब्याज सहित वसूली योग्य था। इसके अतिरिक्त 38.76 लाख रुपये की शेष बची मुक्ति राशि जो आगे उपभोग करने के लिये रखी गई थी को भी वापस लिया जाना था।

प्रकरण नवम्बर 2006 में विभाग के ध्यान में लाया गया तथा मार्च 2007 में सरकार को सूचित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (सितम्बर 2007)।

2.9 ब्याज की कम वसूली

रा.बि.क. अधिनियम के अन्तर्गत, यदि व्यवसायी ने विवरणी के अनुसार देय कर का भुगतान निर्धारित अवधि में नहीं किया है तो वह उस तिथि जिस तक उसे कर भुगतान

[9] कमीश्नर सेल्स टैक्स बनाम मै. लाल कुंआ स्टोन क्रशर प्रा. लि. (एस.सी.) (2000) 118 एस.टी.सी. 287
स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम महालक्ष्मी स्टोर्स (2003) 129 एस.टी.सी. 79 (एस.सी.)।

[10] पत्थर के बड़े टुकड़ों को तोड़कर प्राप्त किये गये पत्थर के छोटे टुकड़े।

करना था, से भुगतान किये जाने की तिथि तक ऐसी कर राशि पर समय-समय पर निर्धारित दर से ब्याज का भुगतान करने के लिये दायी था।

जयपुर के प्रतिकरापवंचन, जोन-I में, मार्च 2006 में सिरोही के एक व्यवसाई के कर निर्धारण अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, सिरोही द्वारा 13 सितम्बर 2002 को एक सर्वेक्षण किया गया तथा उसके द्वारा मार्च 2003 में 12.37 करोड़ रुपये के छूटे हुए व्यापारावर्त पर एक अनन्तिम कर निर्धारण आदेश पारित किया गया तथा 54.48 लाख रुपये का कर एवं अनन्तिम कर निर्धारण आदेश की दिनांक तक 7.18 लाख रुपये का ब्याज आरोपित किया । इसके पश्चात्, कर निर्धारण का क्षेत्राधिकार सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन जोन-I, जयपुर के पास चला गया एवं उसके द्वारा 9 फरवरी 2005 को अंतिम कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया गया। अनन्तिम कर निर्धारण आदेश को इस आदेश में समाहित कर दिया गया लेकिन आरोप्य ब्याज को अंतिम कर निर्धारण आदेश की दिनांक तक संशोधित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप 13.66 लाख रुपये के ब्याज का कम आरोपण हुआ।

प्रकरण अप्रैल 2006 में विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को मार्च 2007 में सूचित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (सितम्बर 2007)।

2.10 व्यापारावर्त कर का अनारोपण/कम आरोपण

सरकार ने 30 मार्च 2000 को अधिसूचित किया कि प्रत्येक व्यवसायी जिसका कुल व्यापारावर्त एक वर्ष में 50 लाख रुपये से कम नहीं था 0.25 प्रतिशत की दर से व्यापारावर्त कर एवं अधिभार के भुगतान करने का दायी होगा। आगे, सरकार ने 28 जून 2003 को एक अन्य अधिसूचना जारी कर अधिसूचित किया कि व्यवसायी जो व्यापारावर्त कर से मुक्ति चुनता है अपने व्यापारावर्त के आधार पर मुक्ति शुल्क जमा करायेगा।

वाणिज्यिक कर कार्यालय, बांसवाड़ा मे विदित हुआ कि एक व्यवसायी का वर्ष 2001-02 में व्यापारावर्त 14.91 करोड़ रुपये था। वह 4.29 लाख रुपये के व्यापारावर्त कर भुगतान करने के लिये दायी था, लेकिन उसका न तो व्यवसाई द्वारा भुगतान किया गया न ही दिसम्बर 2003 में कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय नि.प्रा. द्वारा निर्धारण किया गया। इसी तरह, अजमेर में, एक व्यवसायी का वर्ष 2003-04 में व्यापारावर्त 306.35 करोड़ रुपये था। व्यवसायी ने मुक्ति शुल्क का भुगतान चुना। वह नौ लाख रुपये की मुक्ति शुल्क भुगतान करने के लिये दायी था। तथापि, नि.प्रा. ने कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय गलत रूप से 4.50 लाख रुपये मुक्ति शुल्क आरोपित की। इसके परिणामस्वरूप 8.79 लाख रुपये के व्यापारावर्त कर एवं अधिभार का अनारोपण/कम आरोपण हुआ।

अक्टूबर 2005 एवं मार्च 2007 में प्रकरणों के ध्यान में लाये जाने के पश्चात् विभाग ने मई 2006 में सूचित किया कि बांसवाड़ा प्रकरण में, मई 2006 में ब्याज सहित

7.04 लाख रुपये की मांग कायम कर दी गई थी। अजमेर के प्रकरण में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2007)।

प्रकरण सरकार को सूचित (मार्च 2006 एवं मार्च 2007) किये गये; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (सितम्बर 2007)।

2.11 कुर्क सम्पत्तियों का निपटारा नहीं करना

रा.बि.क. अधिनियम में प्रावधान है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुरूप कुर्क सम्पत्ति के विक्रय की कार्यवाही सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से विक्रय उद्घोषणा में उल्लिखित समय/तिथि पर की जानी चाहिये। सम्पत्ति के विक्रय हेतु बोलीदाताओं को आकर्षित करने एवं अच्छा मूल्य प्राप्त करने के लिये व्यापक प्रचार करना चाहिये। वसूली अभिलेखों की लेखापरीक्षा में मापक जांच से प्रकट हुआ कि:

2.11.1 गंगापुर सिटी वृत्त में, एक फर्म एवं इसकी चार सहायक फर्मों के विरूद्ध 1970-71 से 1985-86 तक की अवधि से सम्बन्धित बिक्री कर की 21.52 करोड़ रुपये की मांग वसूली के लिये बकाया थी। विभाग ने दिसम्बर 1989 में फर्म की अचल सम्पत्ति कुर्क कर ली लेकिन उसके बाद सम्पत्ति की नीलामी कर बकाया राशि की वसूली के लिये कोई प्रयास नहीं किये। फर्म 30 नवम्बर 2005 को ब्याज के 38.25 करोड़ रुपये भुगतान करने के लिये भी दायी थी। इस प्रकार विभाग की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप 59.77 करोड़ रुपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

2.11.2 भिवाड़ी में, सात व्यवसाईयों के विरूद्ध मार्च 1995 एवं सितम्बर 1999 के मध्य की अवधि से सम्बन्धित 3.45 करोड़ रुपये की मांग बकाया थी। चूँकि व्यवसायी बकाया जमा कराने में असफल रहे, उनकी सम्पत्तियां विभाग द्वारा दिसम्बर 1998 एवं फरवरी 1999 के मध्य कुर्क कर ली गई लेकिन उसके पश्चात् कर वसूली हेतु उन सम्पत्तियों की नीलामी की कोई कार्यवाही नहीं की। इन प्रकरणों को 31 मार्च 2000 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में अनुच्छेद 2.2.8(ख) एवं (ग) में इंगित किया गया था। जन लेखा समिति में विचार विमर्श के दौरान सरकार ने बताया (सितम्बर 2003) कि इन सम्पत्तियों को शीघ्र नीलाम कर दिया जायेगा। तथापि, ऐसी कार्यवाही चार वर्षों के पश्चात् भी नहीं की गई थी।

2.11.3 जोधपुर "डी" वृत्त में, एक व्यवसाई के विरूद्ध 1990-91 से 1997-98 की अवधि से सम्बन्धित 52.74 लाख रुपये की मांग बकाया थी। चूंकि व्यवसायी बकाया जमा कराने में असफल रहा, कारखाना भवन को अगस्त 2000 में कुर्क कर लिया। यद्यपि सम्पत्ति को नीलामी के लिये अधिसूचित कर दिया लेकिन इसका अभी तक निस्तारण नहीं किया गया (सितम्बर 2007)।

इन प्रकरणों के ध्यान में लाये जाने के पश्चात् आयुक्त वाणिज्यिक कर ने इन तथ्यों को स्वीकार (जुलाई 2007)कर लिया कि विभाग भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कुर्क सम्पत्तियों का निस्तारण नहीं कर सका तथा बताया कि इन प्रकरणों को देखने के लिये एक अतिरिक्त आयुक्त का पद सृजित कर दिया गया है।

प्रकरण सरकार को मई 2007 में सूचित किये गये। सरकार ने जुलाई 2007 में बताया कि वसूली/नीलामी के प्रयास किये जा रहे हैं।

2.12 प्रथम प्रभार के रूप में बिक्री कर की बकाया राशि की वसूली नहीं करना

रा.बि.क. अधिनियम में प्रावधान है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत व्यवसायी द्वारा देय कोई भी कर की राशि या कोई अन्य राशि ऐसे व्यवसाई की सम्पत्ति पर प्रथम प्रभार होगी।

बकाय़ा बिक्री कर की राशि की वसूली से सम्बन्धित अभिलेखों की मापक जांच से प्रकट हुआ कि बैंको/वित्तीय संस्थानों ने व्यवसाईयों की सम्पत्तियों को नीलाम कर दिया एवं बिक्री कर का भुगतान किये बिना बिक्री प्राप्ति को रख लिया यद्यपि अधिनियम के अनुसार वैधानिक बकाया प्रथम प्रभार होते हैं । लेखापरीक्षा द्वारा दृष्टिगत् कुछ प्रकरणों को संक्षिप्त में नीचे वर्णित किया गया हैः

2.12.1 भीलवाडा "ए" वृत्त में एक व्यवसायी के विरूद्ध 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के विक्रय कर के 14.86 लाख रुपये बकाया थे । बैंक ने व्यवसायी की सम्पत्ति को नीलाम कर दिया एवं समस्त बिक्री प्राप्ति को रख लिया।

2.12.2 भीलवाड़ा "ए" वृत्त में एक व्यवसायी के विरूद्ध 1992-93 से 1997-98 तक की अवधि के विक्रय कर की 1.43 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी। राजस्थान वित्त निगम ने व्यवसायी की सम्पत्ति को स्वामित्व में लिया एवं इसे मार्च 2002 में नीलामी के द्वारा बेच दिया तथा विक्रय कर बकाया के रूप में केवल 90,000 रुपये जमा कराये।

2.12.3 भिवाडी वृत्त में, एक व्यवसायी के विरूद्ध 1988-89 से 1991-92 तक की अवधि के विक्रय कर के 1.42 करोड़ रुपये बकाया थे। व्यवसायी ने 1993 में अपना व्यवसाय बन्द कर दिया। उसकी सम्पत्ति को राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) ने कब्जे में कर लिया तथा अगस्त/सितम्बर 1998 में नीलामी द्वारा बेच दिया। रीको ने सम्पूर्ण विक्रय आय को रख लिया।

इस प्रकार, उपरोक्त प्रकरणों में विक्रय कर के प्रथम प्रभार के प्रावधानों की पालना नहीं करने के परिणामस्वरूप तीन करोड़ रुपये के कर की वसूली नहीं हुई।

प्रकरण विभाग/सरकार को मई 2007 में सूचित किये गये। सरकार ने जुलाई 2007 में बताया कि वसूली के प्रयास किये जा रहे थे।

अध्याय-III: मोटर वाहनों पर कर

3.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2006-07 के दौरान परिवहन विभाग के कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में की गई मापक जांच से 7,354 प्रकरणों में 24.92 करोड़ रुपयों के कर, शुल्क एवं शास्ति इत्यादि की कम वसूली का पता चला, जो विस्तृत रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	कर, शास्ति, ब्याज एवं प्रशमन शुल्क का भुगतान न करना/कम करना	6,792	23.97
2.	मोटर वाहन कर/विशेष पथ कर की संगणना न करना/कम करना	335	0.88
3.	अन्य अनियमिततायें	227	0.07
	योग	**7,354**	**24.92**

वर्ष 2006-07 के दौरान विभाग ने 6,937 प्रकरणों, जिनमें 13.11 करोड़ रुपये अन्तर्निहित थे, में पथ कर, विशेष पथ कर इत्यादि की संगणना न करना/कम करना को स्वीकार किया जिनमें से 5.55 करोड़ रुपये अन्तर्निहित के 2,612 प्रकरण वर्ष 2006-07 की लेखापरीक्षा के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। आगे, विभाग ने 367 प्रकरणों में 62.38 लाख रुपये वसूल किये जिनमें से 36.11 लाख रुपये के 264 प्रकरण वर्ष 2006-07 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को दर्शाने वाले कुछ निदर्शी प्रकरण, जिनमें 7.23 करोड़ रुपये का राजस्व अन्तर्निहित हैं, आगामी अनुच्छेदों में दिये गये हैं।

3.2 भार वाहनों के सम्बन्ध में मोटर वाहन कर एवं विशेष पथकर की अवसूली/कम वसूली

राजस्थान मोटर वाहन कर (रा.मो.वा.क.) अधिनियम, 1951 एवं इसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सभी मोटर वाहनों, जिनका राज्य में उपयोग किया गया है अथवा जो उपयोग हेतु रखे गये हैं, पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से मोटर वाहन कर का आरोपण एवं संग्रहण किया जावेगा। मोटर वाहन कर के अतिरिक्त, सभी परिवहन वाहनों पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों से विशेष पथकर भी देय होगा।

अठारह प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों (प्रा.प.कार्यालयों)/ जिला परिवहन कार्यालयों (जि.प.कार्यालयों)[1] में पंजीयन अभिलेखों एवं कर खातों की अप्रैल 2006 तथा फरवरी 2007 के मध्य की गई मापक जांच में विदित हुआ कि 1399 भार वाहनों के सम्बन्ध में इनके वाहन स्वामियों द्वारा अप्रैल 2001 से मार्च 2006 के मध्य की अवधि के लिए मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर का या तो भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान किया गया। अभिलेखों में इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं पायी गई कि उक्त वाहन सड़क पर नहीं चले अथवा किसी अन्य जिले/राज्य में स्थानान्तरित हो गये थे। कराधान अधिकारियों ने भी देय कर की वसूली हेतु कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप कर की राशि 1.97 करोड़ रुपये की अवसूली/कम वसूली हुई।

मई 2006 एवं अप्रैल 2007 के मध्य इन प्रकरणों को ध्यान में लाये जाने पर विभाग ने बताया (मई/जून 2007) कि बीकानेर, जयपुर (भार वाहन), जैसलमेर तथा सिरोही के 158 वाहनों के सम्बन्ध में 19.07 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है।

मामला जनवरी 2007 तथा अप्रैल 2007 के मध्य सरकार को सूचित किया गया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2007)।

3.3 संविदा वाहनों से मोटर वाहन कर एवं विशेष पथकर की अवसूली/कम वसूली

राजस्थान मोटर वाहन कर अधिनियम, 1951 एवं इसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत, 13 व्यक्तियों तक की बैठक क्षमता वाले संविदा वाहनों पर मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से, त्रैमासिक तथा उस तिमाही, जिससे कर सम्बन्धित है, के प्रथम माह के 10 वें दिन या उससे पूर्व अग्रिम में देय है। चालक एवं परिचालक को छोडकर 30 यात्रियों से ज्यादा बैठक क्षमता वाले संविदा वाहनों के सम्बन्ध में ये कर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर से उस माह, जिससे कर सम्बन्धित है, के सातवें दिन या उससे पूर्व अग्रिम में देय है।

---

[1] प्रा.प. कार्यालय, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, पाली तथा सीकर
जि.प. कार्यालय, बाड़मेर, भरतपुर, हनुमानगढ़, जयपुर (भार वाहन), जैसलमेर, जालोर, झुन्झुनू, करौली, कोटपुतली, नागौर, सिरोही तथा श्रीगंगानगर ।

3.3.1 तीस सीट से अधिक बैठक वाले संविदा वाहनों के सम्बन्ध में विशेष पथ कर की अवसूली/कम वसूली

दो प्रा.प. कार्यालयों[2] तथा तीन जि.प. कार्यालयों[3] में पंजीयन अभिलेखों, कर खातों एवं सामान्य सूची पंजिकाओं की मापक जांच में मई 2006 तथा नवम्बर 2006 के मध्य विदित हुआ कि 132 संविदा वाहनों के स्वामियों द्वारा अप्रैल 2004 तथा मार्च 2006 के मध्य की अवधि के लिए विशेष पथ कर का या तो भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान किया गया। कराधान अधिकारियों ने भी देय कर की वसूली हेतु कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप विशेष पथ कर की राशि 1.36 करोड़ रुपये कम वसूल हुए।

मामला मई 2006 तथा दिसम्बर 2006 के मध्य विभाग के ध्यान में लाया गया था एवं अगस्त 2006 तथा अप्रैल 2007 के मध्य सरकार को सूचित कया गया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2007)।

3.3.2 तेरह सीट तक बैठक क्षमता वाले संविदा वाहनों के सम्बन्ध में मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर की अवसूली/कम वसूली

तेरह प्रा.प. कार्यालयों/जि.प. कार्यालयों[4] में पंजीयन अभिलेखों एवं कर खातों की मापक जांच में अप्रैल 2006 एवं जनवरी 2007 के मध्य यह विदित हुआ कि संविदा वाहन अनुज्ञापत्रों पर संचालित 762 वाहनों के सम्बन्ध में वाहन स्वामियों द्वारा अप्रैल 2003 एवं मार्च 2006 के मध्य की अवधि के लिए मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर का या तो भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान किया गया। कराधान अधिकारियों ने भी देय कर की वसूली हेतु कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की । इसके परिणामस्वरूप मोटर वाहन कर एवं विशेष पथकर की राशि 1.27 करोड़ रुपये की अवसूली/कम वसूली हुई।

मई 2006 तथा फरवरी 2007 के मध्य इन प्रकरणों को ध्यान में लाये जाने पर विभाग ने बताया (जून 2007) कि अजमेर में 15 वाहनों के सम्बन्ध में 1.69 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है।

मामला अगस्त 2006 तथा अप्रैल 2007 के मध्य सरकार को सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2007)।

---

[2] प्रा.प. कार्यालय, जोधपुर एवं उदयपुर

[3] जि.प. कार्यालय, भरतपुर, जयपुर (संविदा वाहन) एवं सीकर ।

[4] प्रा.प. कार्यालय, अजमेर, जोधपुर, कोटा, पाली, सीकर तथा उदयपुर
जि.प. कार्यालय, बाड़मेर, जयपुर (संविदा वाहन), कोटपूतली, नागौर, सवाईमाधोपुर, सिरोही तथा श्रीगंगानगर ।

3.4. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से विशेष पथ कर एवं शास्ति की अवसूली

राजस्थान मोटर वाहन कर अधिनियम 1951 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत, वाहन उस अवधि के लिए कर के भुगतान हेतु दायी नहीं होते है जिस अवधि के लिए उनका पंजीयन प्रमाण-पत्र विभाग को समर्पित कर दिया जाता है। तथापि, जहां कोई वाहन पंजीयन प्रमाण-पत्र समर्पण किये जाने के बाद संचालित पाया जाता है तो ऐसे वाहन पर सम्पूर्ण समर्पण अवधि के कर के साथ-साथ कर के पांच गुणा के बराबर शास्ति चुकानी होगी।

प्रा.प. कार्यालय, जयपुर में पंजीयन प्रमाण-पत्रों के समर्पण से सम्बन्धित अभिलेखों का राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (रा.रा.प.प.नि.) द्वारा 2005-06 की अवधि के लिए संधारित विवरणियों/अभिलेखों से प्रति-परीक्षण में प्रकट हुआ कि पंजीयन प्रमाण-पत्रों की समर्पण अवधि में 54 मंजिली वाहन संचालित हुए लेकिन विशेष पथ कर की राशि 21.91 लाख रुपये तथा उक्त कर के पांच गुणा के बराबर शास्ति की राशि 1.10 करोड़ रुपये का आरोपण नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप 1.31 करोड़ रुपये के राजस्व की अवसूली रही।

प्रकरणों को दिसम्बर 2006 में विभाग के ध्यान में लाया गया था तथा अप्रैल 2007 में सरकार को सूचित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (सितम्बर 2007)।

3.5 यात्री वाहनों के सम्बन्ध में मोटर वाहन कर की अवसूली/कम वसूली

राजस्थान मोटर वाहन कर अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत बिना अनुज्ञा-पत्रों वाले यात्री वाहनों के सम्बन्ध में मोटर वाहन कर, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से देय होगा।

छः प्रा.प. कायालयों/जि.प. कार्यालयों[5] में, पंजीयन अभिलेखों, कर खातों तथा सामान्य सूची पंजिकाओं एवं अन्य अभिलेखों की मापक जांच में अप्रैल 2006 तथा नवम्बर 2006 के मध्य विदित हुआ कि 157 यात्री वाहनों के सम्बन्ध में वाहन स्वामियों द्वारा अप्रैल 2002 तथा मार्च 2006 के मध्य, जिसमें उनके वाहन बिना अनुज्ञा-पत्रों के थे, की अवधि के लिए मोटर वाहन कर का भुगतान नहीं किया गया। कर निर्धारण अधिकारियों ने भी देय कर की वसूली के लिए कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की । इसके परिणामस्वरूप मोटर वाहन कर की राशि 73.25 लाख रुपये की अवसूली रही।

मई 2006 तथा दिसम्बर 2006 के मध्य इन प्रकरणों को ध्यान में लाये जाने के बाद विभाग ने बताया (मई 2007) कि सीकर में एक वाहन के सम्बन्ध में 23,000 रुपये की वसूली की जा चुकी है।

[5] प्रा.प. कार्यालय, अजमेर एवं सीकर
जि.प. कार्यालय, हनुमानगढ़, जयपुर (संविदा वाहन), नागौर एवं श्रीगंगानगर ।

मामला मार्च 2007 एवं अप्रैल 2007 के मध्य सरकार को सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2007)।

3.6 मंजिली वाहनों के सम्बन्ध में विशेष पथ कर की अवसूली/कम वसूली

राजस्थान मोटर वाहन कर अधिनियम, 1951 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत, मंजिली वाहनों के सम्बन्ध में विशेष पथ कर निर्धारित दरों से मासिक अग्रिम रूप से प्रत्येक माह के सातवें दिन या इससे पूर्व देय है तथा वाहन स्वामी को प्रत्येक माह के 14 वें दिन या इससे पूर्व इससे संबन्धित घोषणा प्रस्तुत करनी होती है। यदि कर का सही भुगतान नहीं किया है या वाहन स्वामी ने विवरणी/घोषणा प्रस्तुत नहीं की है या विवरणी/घोषणा में गलत विवरण दिये है तो कराधान अधिकारी कर की गणना करके देय कर की राशि वसूल करने की कार्यवाही करेगा।

पांच प्रा. प. कार्यालयों/जि.प. कार्यालयों[6] में पंजीयन अभिलेखों, कर खातों एवं सामान्य सूची पंजिकाओं तथा अन्य अभिलेखों की मापक जांच में विदित हुआ कि 123 मंजिली वाहनों के सम्बन्ध में इनके स्वामियों द्वारा सितम्बर 2003 तथा मार्च 2006 के मध्य की अवधि के विशेष पथ कर का या तो भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान किया गया। जहां कर का भुगतान नहीं किया गया, वाहन स्वामियों द्वारा घोषणायें भी प्रस्तुत नहीं की गई। कराधान अधिकारियों ने भी देय कर की वसूली हेतु कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप विशेष पथ कर की राशि 42.63 लाख रुपये की अवसूली/कम वसूली हुई।

मामला मई 2006 तथा अक्टूबर 2006 के मध्य विभाग के ध्यान में लाया गया था तथा सितम्बर 2006 एवं अप्रैल 2007 के मध्य सरकार को सूचित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (सितम्बर 2007)।

3.7 डम्परो/टिप्परों के सम्बन्ध में मोटर वाहन कर की अवसूली

राजस्थान मोटर वाहन अधिनियम, 1951 एवं इसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत राज्य में उपयोग किये गये अथवा उपयोग हेतु रखे जाने वाले सभी मोटर वाहनों पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से मोटर वाहर कर का आरोपण एवं संग्रहण किया जायेगा।

प्रा.प. कार्यालय, बीकानेर तथा जि.प. कार्यालय, जैसलमेर में, पंजीयन अभिलेखों तथा कर खातों इत्यादि की मापक जांच में सितम्बर 2006 एवं दिसम्बर 2006 में विदित हुआ कि 59 डम्परों/टिप्परों के स्वामियों द्वारा अप्रैल 2003 तथा मार्च 2006 के मध्य की

[6] प्रा.प. कार्यालय, अलवर, सीकर एवं उदयपुर
जि.प. कार्यालय, भरतपुर एवं नागौर ।

अवधि के लिए मोटर वाहन कर की राशि 16.31 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया गया। करांधान अधिकारियों ने भी देय कर की वसूली हेतु कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की।

नवम्बर 2006 तथा फरवरी 2007 के मध्य इन प्रकरणों को ध्यान में लाये जाने के बाद विभाग ने बताया (जून 2007) कि बीकानेर एवं जैसलमेर में 17 वाहनों के सम्बन्ध में 3.22 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है। शेष प्रकरणों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की सूचना प्राप्त नहीं हुई (सितम्बर 2007)।

मामला जनवरी 2007 तथा अप्रैल 2007 में सरकार को सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2007)।

अध्याय-IV: मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क, भू-राजस्व

4.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2006-07 के दौरान पंजीयन एवं मुद्रांक तथा भू-राजस्व विभागों के अभिलेखों की मापक जांच में 5,847 प्रकरणों में 173.20 करोड़ रुपयों के मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की कम वसूली तथा भू-राजस्व की हानि एवं अवनिर्धारण प्रकट हुआ, जो विस्तृत रूप से निम्न श्रेणियों में आते हैः-

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
	(अ) मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क		
1.	**मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण (एक समीक्षा)**	1	78.77
2.	**पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (एक समीक्षा)**	1	1.92
3.	सम्पत्तियों का कम मूल्यांकन	2,573	18.89
4.	प्रलेखों का गलत वर्गीकरण	27	0.13
5.	अन्य अनियमितताएं	808	0.07
	(ब) भू-राजस्व		
6.	केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों/प्रतिष्ठानों से प्रीमियम और किराये की अवसूली	93	38.95
7.	सिंचित/असिंचित/निष्क्रान्त सीलिंग भूमि आदि की कीमत की अवसूली	653	3.03
8.	सरकारी भूमि पर अतिचारियों के प्रकरणों के नियमितिकरण का अभाव	1,396	0.68
9.	खातेदारों से रूपान्तरण प्रभारों की अवसूली	26	0.37
10.	अन्य अनियमितताएं	269	30.39
	योग	**5,847**	**173.20**

वर्ष 2006-07 के दौरान विभाग ने 1,863 प्रकरणों से सम्बन्धित राशि 25.91 करोड़ रुपये के कम निर्धारणों एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिनमें से राशि 22.33 करोड़ रुपये के 86 प्रकरण वर्ष 2006-07 के दौरान तथा शेष पूर्व के वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। आगे, विभाग ने 1,325 प्रकरणों में राशि 5.33 करोड़ रुपये वसूल किये, जिनमें राशि 6.81 लाख रुपये के 28 प्रकरण वर्ष 2006-07 से तथा शेष पूर्व वर्षों से संबंधित थे।

कुछ निदर्शी प्रकरण, दो समीक्षाओं **"मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण"** तथा **" पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली"** को सम्मिलित करते हुए, जिनमें 103.24 करोड़ रुपये सन्निहित हैं, अनुवर्ती अनुच्छेदों में उल्लेख किये गये हैं।

(अ) मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

4.2 मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण

मुख्य-मुख्य बिन्दु

लोक कार्यालयों के लिए विवरणी निर्धारण नहीं करने के कारण विभाग कई ऐसे दस्तावेजों से अनभिज्ञ रहा जिन पर मुद्रांक कर वसूलनीय था एवं जिनमें कमी पाई गई। इसके परिणामस्वरूप 68.36 करोड़ रुपये के मुद्रांक कर अवसूलनीय रहे।

(अनुच्छेद 4.2.8)

निर्णयाधीन प्रकरणों के निपटारे के लिए समय सीमा निर्धारण के अभाव के परिणामस्वरूप सन्निहित 25.30 करोड़ रुपये के मुद्रांक कर के 3,145 प्रकरणों को अंतिम रूप नहीं दिया गया।

(अनुच्छेद 4.2.9)

सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के 5.89 करोड़ रुपये का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 4.2.11)

डवलपर इकरारनामों के अपंजीयन के परिणामस्वरूप 3.40 करोड़ रुपये के राजस्व की अवसूली रही।

(अनुच्छेद 4.2.12)

अधिसूचना जारी नहीं करने के कारण 575 मछली पकड़ने के ठेकों पर 2.27 करोड़ रुपये के मुद्रांक कर की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 4.2.13)

4.2.1 प्रस्तावना

भारतीय मुद्रांक अधिनियम (आई.एस.एक्ट), 1899; भारतीय पंजीयन अधिनियम (आई.आर.एक्ट), 1908; राजस्थान मुद्रांक विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952; राजस्थान मुद्रांक अधिनियम (आर.एस. एक्ट), 1998 एवं इनके अधीन विरचित नियमों के अन्तर्गत राज्य में मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की प्राप्तियों की व्यवस्था की जाती है। लेख्य पत्र के निष्पादन पर मुद्रांक कर आरोपण योग्य है तथा पंजीयन शुल्क 21 मार्च 1998 से बाजार मूल्य पर रुपये 25,000 के अध्यधीन एक प्रतिशत की दर से देय है। सामान्यतया मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की अपवचंना सम्पत्तियों के कम मूल्यांकन, पंजीयन प्राधिकारी के कार्यालय में दस्तावेजों का अप्रस्तुतिकरण और निष्पादकों द्वारा

घोषित लोक कार्यालयों[1] के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों पर मुद्रांक कर के कम भुगतान करने के कारण होती है।

मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के आरोपण एवं संग्रहण प्रणाली की समीक्षा की गई। प्रणाली एवं अनुपालना की अनेक कमियाँ प्रकट हुई, जिनका अनुवर्ती अनुच्छेदों में उल्लेख है।

4.2.2 संगठनात्मक ढांचा

सरकार के स्तर पर नीति निर्धारण, निगरानी एवं नियन्त्रण का कार्य सचिव, वित्त विभाग (राजस्व) द्वारा किया जाता है। महानिरीक्षक (आई.जी.) विभाग के प्रमुख हैं। प्रशासनिक मामलों में अतिरिक्त महानिरीक्षक (ए.आई.जी.) तथा वित्तीय मामलों में वित्तीय सलाहकार (एफ.ए.) द्वारा इनकी सहायता की जाती हैं। संपूर्ण राज्य 13 वृत्तों में विभक्त है, जिसमें से 12 वृत्तों में उप महानिरीक्षक (डी.आई.जी.) एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक) प्रमुख है तथा जयपुर के एक वृत्त में अतिरिक्त कलक्टर (ए.सी.)(मुद्रांक) प्रमुख है। इसके अतिरिक्त 32 जिला पंजीयक (डी.आर.), 67 उप-पंजीयक (एस.आर.) और 289 पदेन उप-पंजीयक[2] हैं।

4.2.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं प्रणाली

महानिरीक्षक कार्यालय, 13 में से 6[3] वृत्त कार्यालयों, 32 में से 11[4] डी.आर. एवं 67 में से 34[5] एस.आर. के साथ मुख्य लोक कार्यालयों के वर्ष 2002-03 से 2005-06 तक की अवधि के अभिलेखों की समीक्षा मई 2006 से मार्च 2007 के दौरान की गई। इकाईयों का चयन, राजस्व संग्रहण एवं भौगोलिक क्षेत्र पर आधारित था।

4.2.4 आभार

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक सूचना एवं अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए वित्त विभाग एवं आई.जी. द्वारा दिए गए सहयोग के प्रति आभार प्रकट करता है। समीक्षा प्रतिवेदन का प्रारूप मई 2007 में सरकार एवं विभाग को प्रेषित किया गया तथा जुलाई 2007 में लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक में चर्चा की गई। सरकार का प्रतिनिधित्व वित्त सचिव (राजस्व) तथा विभाग का

---

[1] राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 16.12.1997 द्वारा केन्द्र और राज्य सरकार के सभी कार्यालयों, कम्पनी या निगम कार्यालयों तथा स्थानीय निकाय कार्यालयों आदि को लोक कार्यालय अधिसूचित किया है।

[2] तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को पदेन उप-पंजीयक घोषित किया गया है।

[3] जयपुर-I, जयपुर-II, कोटा, जोधपुर, पाली एवं उदयपुर।

[4] अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, भरतपुर, बीकानेर, चूरू, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर एवं उदयपुर।

[5] अजमेर-I, अजमेर-II, , अलवर, आमेर, भरतपुर, भिवाड़ी, बीकानेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौडगढ़, चूरू, हनुमानगढ़, झुन्झुनू , जयपुर-I, , जयपुर-II, , जयपुर-III, , जयपुर-IV, जयपुर-V, जयपुर-VIII, जोधपुर-I, जोधपुर-II, जोधपुर-III, जैसलमेर, कोटा-I, कोटा-II, पाली, राजसमन्द, श्रीगंगानगर, श्रीमाधोपुर, सांगानेर-I, सांगानेर-II, सुमेरपुर, उदयपुर-I एवं उदयपुर-II ।

प्रतिनिधित्व आई.जी. (पंजीयन एवं मुद्रांक) तथा एफ.ए. द्वारा किया गया। समीक्षा में सरकार/विभाग के दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया है।

4.2.5 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

समीक्षा यह पता लगाने हेतु की गई कि:

- निर्धारित नियमों और कार्यविधि के अनुसार मुद्रांक कर के आरोपण के सम्बन्ध में क्या घोषित लोक कार्यालय अपने कार्य का सम्पादन कर रहे हैं;
- निर्धारित नियमों और कार्यविधि के अनुसार अनुपालना कितनी है; एवं
- मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के उचित निर्धारण एवं वसूली के लिये क्या कोई उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली लागू है।

4.2.6 राजस्व प्राप्ति की प्रवृत्ति

मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के वर्ष 2002-03 से 2005-06 तक के बजट अनुमान एवं वास्तविक आय की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई तालिका में स्पष्ट की गई है:

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक	पिछले वर्ष से राजस्व में प्रतिशत वृद्धि	बजट अनुमानों से अंतर में प्रतिशत वृद्धि/कमी
2002-03	585	515.73	-	(-) 12
2003-04	675	611.77	19	(-) 9
2004-05	790	817.83	34	(+) 4
2005-06	1,000	1,031.79	26	(+) 3

गत तीन वर्षों के दौरान राजस्व संग्रहण में अत्यधिक बढ़ोत्तरी थी।

4.2.7 राजस्व की बकाया

विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार 31 मार्च 2006 को 76.80 करोड़ रुपये की वसूली बकाया थी। बकाया राशि का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राशि
2002-03 तक	11.67
2003-04	20.89
2004-05	13.21
2005-06	31.03
योग	**76.80**

इसे ध्यान दिलाये जाने के पश्चात् विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2007) कि 4.59 करोड़ रुपये वसूल कर लिये गये हैं जबकि 8.53 करोड़ रुपये की राशि न्यायालयों द्वारा माफ कर दी गई। कुल बकाया शेष 63.68 करोड़ रुपयों में से 38.41 करोड़ रुपयों की वसूली न्यायालयों द्वारा स्थगित थी। विभाग ने आगे सूचित किया कि उनके आदेश दिनांक 13 जून 2007 के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें समस्त वृत्त अधिकारियों को वसूली से बकाया राशि के शीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिये गये थे।

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष

प्रणाली की कमियां

4.2.8 लोक कार्यालयों के अभिलेखों के निरीक्षण में विफलता

सरकार द्वारा ऐसे सभी कार्यालयों को लोक कार्यालय घोषित (दिसम्बर 1997) किया जा चुका है जिनमें प्रलेख प्रस्तुत होते हैं। इन कार्यालयों द्वारा अमुद्रांकित प्रलेखों को कलक्टर (मुद्रांक) के ध्यान में लाना आवश्यक है। **उन प्रलेखों की संख्या पर जो प्रस्तुत हुए एवं जिनमें कमी पाई गई उनकी कोई विवरणी इन कार्यालयों द्वारा विभाग को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं था। इस विवरणी के अभाव में दस्तावेजों की संख्या जिस पर मुद्रांक कर वसूलनीय था साथ ही भुगतान किये गये मुद्रांक कर के विस्तृत विवरण की कोई सूचना पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में उपलब्ध नहीं थी।** आई.जी. ने अपने पत्र दिनांक 9 जनवरी 1998 से लोक कार्यालयों में संधारित अभिलेखों के निरीक्षण हेतु डी.आई.जी. (पंजीयन) को यह देखने के लिए अधिकृत किया कि क्या मुद्रांक कर का भुगतान सही प्रकार से किया जा रहा था। **लेखापरीक्षा में यह ज्ञात हुआ कि विभाग ने लोक कार्यालयों के निरीक्षण के लिए कोई मानदण्ड या लक्ष्य निर्धारित नहीं किए थे। डी.आई.जी. द्वारा किये गये निरीक्षणों की निगरानी के लिए आई.जी. द्वारा कोई विवरणी निर्धारित नहीं की।** वर्ष 2002-03 से 2004-05 में लोक कार्यालयों का निरीक्षण नहीं किया गया। 2005-06 में मात्र 89 लोक कार्यालयों का निरीक्षण हुआ। **निरीक्षण करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप कई अनियमितताएं हुई जो उजागर नहीं हो रही थी।** कुछ प्रकरणों का अनुवर्ती अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है।

4.2.8.1 विन्ड पॉवर परियोजनाओं के इकरारनामों का अपंजीयन

आर.एस.एक्ट की अनुसूची के अनुच्छेद 21(ii) में प्रावधान है कि चल सम्पत्ति का हस्तान्तरण होने पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर 0.5 प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर प्रभार्य है।

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम (आर.आर.ई.सी.) के अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि तीन[6] डवलपर कंपनियों ने सितम्बर 2002 से मार्च 2006 के मध्य 20 वर्ष के लिए विन्ड पॉवर परियोजनाओं के मालिकों के साथ विन्ड पॉवर जेनरेटर उपकरणों की आपूर्ति के साथ उनके स्थापन तथा रख-रखाव के लिए 230 इकरारनामें किये। इन 230

---

[6] सुजलोन, एनरकोन एवं एन.ई.पी.सी.।

परियोजनाओं का मूल्य 1,664.32 करोड़ रुपये[7] था। **यद्यपि सरकारी अधिसूचना दिनांक 16 दिसम्बर 1997 के द्वारा सभी कंपनियों एवं निगमों को लोक कार्यालय घोषित किया जा चुका था, फिर भी वे उनके कार्य निष्पादन में यह सुनिश्चित करने में विफल रहे कि प्रस्तुत दस्तावेज पर्याप्त रूप से मुद्रांकित हैं। वे इसे कलक्टर (मुद्रांक) के ध्यान में लाने में भी विफल रहे। लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि आर.आर.ई.सी. के अभिलेखों का निरीक्षण नहीं हुआ।** इकरारनामें समस्त विन्ड मिल मालिकों के द्वारा डवलपर्स के साथ निष्पादित हुए थे, पर उनका पंजीयन नहीं हुआ। विभाग द्वारा विलेखों के पंजीयन करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप 8.32 करोड़ रुपये के मुद्रांक कर की अवसूली रही।

प्रकरण ध्यान में लाये जाने के पश्चात् विभाग ने आपत्तियां स्वीकार की (जुलाई 2007)।

4.2.8.2 चल सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर मुद्रांक कर की अप्राप्ति

ग्यारह[8] कंपनियों/निगमों के लेखों की जांच में प्रकट हुआ कि इन कंपनियों द्वारा वर्ष 2002-03 से 2005-06 के दौरान 7,886.40 करोड़ रुपये मूल्य के संयंत्र एवं मशीनें क्रय की जिन पर 39.43 करोड़ रुपये के मुद्रांक कर प्रभार्य थे परन्तु उनके द्वारा जमा नहीं कराये गये। **यद्यपि समस्त कंपनियों एवं निगमों को लोक कार्यालय घोषित किया जा चुका था फिर भी ये उनके कार्य निष्पादन में इसे सुनिश्चित करने में विफल रहे कि प्रस्तुत दस्तावेज पर्याप्त रूप से मुद्रांकित हैं। वह इसे कलक्टर (मुद्रांक) के ध्यान में लाने में भी विफल रहे। डी.आई.जी. द्वारा भी इन कंपनियों का निरीक्षण नहीं किया गया। निरीक्षण में विफल रहने के परिणामस्वरूप विभाग बिक्री के सम्बन्ध में अनभिज्ञ रहा जिस पर मुद्रांक कर अभियाचनीय था।**

प्रकरणों को ध्यान में लाये जाने के पश्चात् विभाग ने बताया (जुलाई 2007) कि मुख्य रूप से राज्य/केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों से राशि वसूलनीय थी। ऐसे उपक्रमों से राशि वसूल करने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध कर दिया गया था।

4.2.8.3 ऋणियों द्वारा मुद्रांक कर जमा नहीं कराना

आर.एस. एक्ट की अनुसूची के अनुच्छेद 5(ब ब ब) में प्रावधान है कि ऋण या कर्ज के पुनर्भुगतान से सम्बन्धित इकारारनामों या इकरारनामें के ज्ञापन पर उक्त ऋण या कर्ज की राशि पर 0.1 प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर प्रभार्य है।

सात[9] कंपनियों/निगमों के वार्षिक लेखों की जांच में प्रकट हुआ कि कंपनियों/निगमों द्वारा वर्ष 2002-03 से 2005-06 के दौरान बैंको/वित्तीय संस्थाओं/राज्य सरकार से कुल 9,650.22 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया परन्तु ऋणी संस्थाओं द्वारा 9.65 करोड़

---

[7] राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम (आर.आर.ई.सी.) द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार।

[8] राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, भारत संचार निगम लि., हिन्दुस्तान जिंक लि., राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लि., हिन्दुस्तान कॉपर लि., श्री सीमेन्ट ब्यावर, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि., जोधपुर डिस्कॉम, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लि., जयपुर डिस्कॉम, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लि.।

[9] राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लि., जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लि., राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लि., अजमेर विद्युत वितरण निगम लि., जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.।

रुपये के मुद्रांक कर का भुगतान नहीं किया गया। डी.आई.जी. द्वारा इन कंपनियों/वित्तीय संस्थाओं का निरीक्षण नहीं किया गया। **लोक कार्यालयों के रूप में इन कंपनियों/निगमों द्वारा अपने कार्य के निष्पादन में विफल रहने के साथ ही निरीक्षणों के अभाव के परिणामस्वरूप ऐसी अनियमितताएं हुई जो उजागर नहीं हो रही थी।**

प्रकरणों को ध्यान में लाये जाने के पश्चात् विभाग ने बताया कि राज्य सरकार के उपक्रमों से राशि वसूलनीय थी। ऐसे उपक्रमों से राशि की वसूली हेतु राज्य सरकार से अनुरोध कर दिया गया।

4.2.8.4 बैंक गारंटियों पर मुद्रांक कर का कम आरोपण

आर.एस. एक्ट की अनुसूची के अनुच्छेद 50 में प्रावधान है कि उत्तरदायित्व के निर्वहन या समझौते के यथाविधि कार्य की सुरक्षा की प्रतिभूति के रूप में निष्पादित प्रतिभूति बॉण्डों पर दिनांक 26.5.2004 तक 0.1 प्रतिशत एवं उसके पश्चात् 0.5 प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर प्रभारित होगा।

चौदह जिला आबकारी कार्यालयों[10] (डी.ई.ओ.) से लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना से प्रकट हुआ कि जनवरी 2002 से मार्च 2006 के मध्य 89 प्रकरणों में 102.40 करोड़ रुपये की बैंक गारन्टियों का निष्पादन हुआ। राशि 24.98 लाख रुपये के मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क निष्पादकों को चुकाना था। तथापि मात्र 1.80 लाख रुपये मुद्रांक कर के चुकाये गये। इन डी.ई.ओ. का निरीक्षण डी.आई.जी. द्वारा नहीं किया गया। **लोक कार्यालय के रूप में इन डी.ई.ओ. द्वारा अपने कार्य के निष्पादन में विफल रहने के साथ ही निरीक्षणों के अभाव के परिणामस्वरूप ये अनियमितताएं हुई जो उजागर नहीं हो रही थी।** विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप 23.18 लाख रुपये के मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण हुआ।

मामला आई.जी. को सूचित किया (जनवरी 2007), उनके द्वारा आबकारी विभाग को कम आरोपित मुद्रांक कर जमा कराने को कहा गया।

4.2.8.5 विक्रय/पट्टा विलेखों का पंजीयन नहीं होना

आई.आर. एक्ट की धारा 17 में प्रावधान है कि 100 रुपये मूल्य या अधिक की अचल सम्पत्ति में अन्य वसीयत-भिन्न लेख्य-पत्रों, जिनमें कोई अधिकार, हक या हित बनाता हो, चाहे निहित अथवा आकस्मिक हो का पंजीयन अनिवार्य है।

कलक्टर कोटा एवं राजसमन्द, नगर निगम जयपुर, नगर परिषद अलवर तथा राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (आर.वी.पी.एन.एल.) के अभिलेखों से प्रकट हुआ कि 68 प्रकरणों में 30.23 करोड़ रुपये मूल्य के भूमि के लेख्य-पत्रों का हस्तान्तरण अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं के पक्ष में किया गया, जिनका पंजीयन आवश्यक था एवं 1.31 करोड़ रुपये मुद्रांक कर के प्रभार्य थे। तथापि, हस्तान्तरित लेख्य-पत्रों का पंजीयन नहीं हुआ, इसके परिणामस्वरूप 1.31 करोड़ रुपये के मुद्रांक कर एवं 5.91 लाख रुपये के

[10] अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बून्दी, नागौर, श्रीगंगानगर, पाली, सिरोही, हनुमानगढ़, जालौर, झालावाड़ एवं सवाईमाधोपुर।

पंजीयन शुल्क की अवसूली रही। इन लोक कार्यालयों का निरीक्षण डी.आई.जी. द्वारा नहीं किया गया। **निरीक्षण में कमी के परिणामस्वरूप ये अनियमितताएं हुई जो उजागर नहीं हो रही थी।**

प्रकरणों को ध्यान में लाये जाने के पश्चात् विभाग ने बताया कि उप महानिरीक्षकों द्वारा सम्बन्धित इकाईयों को नोटिस जारी किये गये एवं मुद्रांक कर के भुगतान हेतु उद्यमियों के साथ मामला उठाने हेतु सरकार से अनुरोध कर दिया गया था।

4.2.8.6 कस्टमस् बोन्डस् पर मुद्रांक कर का कम आरोपण

आर.एस. एक्ट के अनुच्छेद 25 के अन्तर्गत दिनांक 27 मई 2004 से कस्टमस् बोन्ड पर बोन्ड में बताई गई राशि पर एक प्रतिशत से मुद्रांक कर प्रभार्य है जो न्यूनतम 100 रुपये है। इससे पूर्व आई.एस. एक्ट के अन्तर्गत मुद्रांक कर 0.25 प्रतिशत प्रभार्य था।

सात[11] केन्द्रीय उत्पाद खण्डों तथा दो[12] सीमा शुल्क खण्डों से संकलित सूचना से प्रकट हुआ कि 27 मई 2004 से 31 मार्च 2006 के दौरान 491.12 करोड़ रुपये की अन्तर्निहित राशि के 355 बोन्डस् इन डिवीजनों द्वारा स्वीकार किये गए। इन पर प्रभार्य योग्य मुद्रांक कर 4.91 करोड़ रुपये के विरूद्ध 2.32 लाख रुपये के मुद्रांक कर आरोपण पर बोन्डस् स्वीकार किए गए। इसके परिणामस्वरूप 4.89 करोड़ रुपये का कम आरोपण हुआ। इन डिवीजनों का डी.आई.जी. द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया। **लोक कार्यालय के रूप में इन डिवीजनों द्वारा अपने कार्य के निष्पादन में विफल रहने के साथ ही निरीक्षणों के अभाव के परिणामस्वरूप ये अनियमितताएं हुई जो उजागर नहीं हो रही थी।**

प्रकरणों को ध्यान में लाये जाने के पश्चात् सरकार ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (जुलाई 2007)।

4.2.8.7 बोन्डस् पर मुद्रांक कर का भुगतान नहीं करना

आर.एस. एक्ट की अनुसूची में प्रावधान हैं कि बोन्डस् की राशि या सुरक्षित मूल्य पर पांच प्रतिशत मुद्रांक कर प्रभार्य है।

राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम (आर.एस.आर.डी.सी.) के वर्ष 2003-04 के वार्षिक लेखों की जांच में ज्ञात हुआ कि कंपनी ने 11.65 प्रतिशत ब्याज पर अपरिवर्तनीय[13] बोन्डस् जारी कर 56.88 करोड़ रुपये संग्रहित किए। आर.एस.आर.डी.सी. ने संग्रहण के पांच प्रतिशत की दर से राशि 2.84 करोड़ रुपये मुद्रांक कर के जमा नहीं कराए। डी.आई.जी. द्वारा इस निगम का निरीक्षण नहीं किया गया। **निरीक्षण के अभाव के परिणामस्वरूप यह अनियमितता हुई जो उजागर नहीं हो सकी।**

---

[11] अलवर, कोटा, अजमेर, जयपुर-I, उदयपुर, जोधपुर एवं भिवाड़ी।

[12] राजसीको सांगानेर (जयपुर) एवं सीकर।

[13] बोन्डस्, जो कि परिवर्तन योग्य नहीं हैं।

प्रकरण ध्यान में लाये जाने के पश्चात् सरकार ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए बताया (जुलाई 2007) कि वर्तमान में ऐसे प्रकरणों की पहचान/खोज के लिए कोई सूचना प्रणाली नहीं है। आई.जी. ने बताया(जुलाई 2007) कि प्रकरण को ए.डी.एम. (मुद्रांक) जयपुर के न्यायालय में अधिनिर्णय हेतु दर्ज कराया गया है।

4.2.8.8 नगर सुधार न्यासों (यू.आई.टी.) द्वारा कम मुद्रांक दस्तावेजों को स्वीकार करने के कारण राजस्व की हानि

आर.एस. एक्ट की धारा 39 में प्रावधान है कि कोई दस्तावेज किसी उद्देश्य के लिये साक्ष्य में स्वीकार नहीं होगा, जिस पर इस अधिनियम के अन्तर्गत कर प्रभार्य है, यदि ऐसा दस्तावेज पूर्ण मुद्रांकित न हो। आई.आर. एक्ट की धारा 17 (ब) में प्रावधान है कि 100 रुपये मूल्य के एवं अधिक के वसीयत भिन्न लेख्य-पत्रों, जिनमें वर्तमान में या भविष्य में कोई अधिकार, स्वामित्व या हित, चाहे निहित हो या आकस्मिक, जिसका अभिप्राय या कार्य अचल सम्पत्ति का सृजन, अभिवृद्धि, हस्तान्तरण का हो, का पंजीयन अनिवार्य है।

यू.आई.टी. श्रीगंगानगर एवं बीकानेर के अभिलेखों से प्रकट हुआ कि अप्रेल 2002 एवं मार्च 2006 के मध्य 12.31 करोड़ रुपये मूल्य की अचल सम्पत्ति अर्थात् भूखण्डों के हस्तान्तरण के 928 इकरारनामों का निष्पादन हुआ। इन इकरारनामों को हस्तान्तरण विलेख माना जाना था एवं मुद्रांक कर के 1.23 करोड़ रुपये प्रभार्य थे। तथापि, निष्पादनकर्त्ताओं द्वारा प्रत्येक इकरारनामे पर 100 रुपये की दर से 93,000 रुपये का भुगतान किया। यू.आई.टी., जो कि लोक कार्यालय है तथा जहां ये इकरारनामे निष्पादित हुए, गलती का पता लगाने में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप 1.22 करोड़ रुपये का कम आरोपण हुआ। डी.आई.जी. द्वारा इन नगर सुधार न्यासों का निरीक्षण नहीं किया गया। **ये नगर सुधार न्यास लोक कार्यालय के रूप में अपने कार्य का निष्पादन करने में विफल रहे साथ ही निरीक्षणों के अभाव के कारण ये अनियमितताएं हुई जो उजागर नहीं हो रही थी।**

प्रकरणों को ध्यान में लाये जाने के पश्चात् आई.जी. ने सूचित किया (जुलाई 2007) कि 888 प्रकरणों को सम्बन्धित कलक्टर (मुद्रांक) के न्यायालय में अधिनिर्णय हेतु दर्ज कराया गया है।

4.2.8.9 टोल ठेकों पर मुद्रांक कर की अप्राप्ति

आर.एस. एक्ट 1998 की धारा 2 (सी) के प्रावधानों के अनुसार कोई लेख्य-पत्र, जिसके द्वारा टोल को किराये पर दिया जाता है, को लीज माना जाता है। लीज पर कर की दर दिनांक 5 मार्च 2003 तक दो वर्ष के औसत किराये पर 11 प्रतिशत थी एवं उसके पश्चात् यह औसत वार्षिक प्रतिफल पर दो प्रतिशत है।

पांच[14] सार्वजनिक निर्माण विभाग के डिवीजनों से वर्ष 2002 से 2006 के मध्य निष्पादित छः टोल ठेकों के सम्बन्ध में संकलित सूचना की जांच में ज्ञात हुआ कि डिवीजनों द्वारा टोल टैक्स को प्राप्त करने के लिए ठेकेदारों को टोल नाकों (बूथों) का

[14] एन.एच. जयपुर, धौलपुर, भरतपुर-II, बांसवाड़ा- II एवं सागवाड़ा।

आवंटन किया गया। निष्पादनकर्त्ता 41.25 लाख रुपये के मुद्रांक कर के भुगतान हेतु उत्तरदायी थे। लेकिन इकरारनामों का पंजीयन नहीं होने के परिणामस्वरूप 41.25 लाख रुपये के मुद्रांक कर का अनारोपण हुआ। डी.आई.जी. द्वारा इन डिवीजनों का निरीक्षण नहीं किया गया। **इन डिवीजनों द्वारा लोक कार्यालय के रूप में अपने कार्य के निष्पादन में विफल रहने के साथ ही निरीक्षणों के अभाव के परिणामस्वरूप ये अनियमितताएं हुई जो उजागर नहीं हो रही थी।**

प्रकरणों को ध्यान में लाये जाने के पश्चात् विभाग ने बताया (जुलाई 2007) कि मुख्य अभियंता, सा.नि.वि. को राशि जमा कराने हेतु नोटिस जारी किया जा चुका है।

लोक कार्यालयों द्वारा विभाग को ऐसी विवरणी के निर्धारण पर सरकार को विचार करना चाहिए जो प्रस्तुत प्रलेखों की संख्या एवं पाई गई कमी पर हो। मुद्रांक कर के कम भुगतान के प्रकरण, जो उजागर नहीं किए जा रहे हैं, के सम्बन्ध में भी कार्यालयों को उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त डी.आई.जी. द्वारा लोक कार्यालयों के निरीक्षण हेतु मानदण्ड निर्धारित किये जाने चाहिए।

4.2.9 कमजोर आंतरिक नियंत्रणं

4.2.9.1 उप-पंजीयक कार्यालयों का निरीक्षण

विभाग द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं का अनुसरण हो रहा है एवं समुचित राजस्व संग्रहण की सुरक्षा पर्याप्त है, का पता लगाने के लिए प्रशासन के पास निरीक्षण एक मुख्य आन्तरिक नियंत्रण है। पंजीयन विभाग में वृत्त कार्यालयों का वार्षिक निरीक्षण आई.जी. द्वारा किया जाना अपेक्षित है। मुद्रांकों का विक्रय करने वाले कोषालयों का वार्षिक निरीक्षण ए.आई.जी. को करना होता है। वृत्त अधिकारियों (डी.आई.जी.) द्वारा ऐसे एस.आर. कार्यालयों जहां पूर्व के वर्ष में 500 से कम लेख्य-पत्रों का पंजीयन हुआ है, का वर्ष में एक बार एवं जहां 500 या अधिक लेख्य-पत्रों का पंजीयन हुआ है, का वर्ष में दो बार निरीक्षण किया जाना होता है। इसके अतिरिक्त, लोक कार्यालयों का निरीक्षण भी डी.आई.जी. द्वारा किया जाना अपेक्षित है। समस्त एस.आर. एवं डी.आई.जी. कार्यालयों का निरीक्षण एफ.ए. द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

न्यूनतम 356[15] इकाईयों के निरीक्षण किये जाने अपेक्षित थे। लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि निम्न उल्लेखानुसार 313 इकाईयों की कमी रही:

वर्ष	निरीक्षण की जाने वाली इकाइयां	किये गये निरीक्षण	कमी
2003-04	356	247	109
2004-05	356	260	96
2005-06	356	248	108

इस प्रकार, वर्ष 2003-04 से 2005-06 के दौरान निरीक्षणों में 27 से 31 प्रतिशत के मध्य कमी रही। उन प्रकरणों में भी जहां निरीक्षण हुए, लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाई गई गलतियों का पता लगाने में विभाग विफल रहा।

[15] एस.आर.-67 एवं पदेन एस.आर.-289 ।

4.2.9.2 पुनरीक्षण याचिका दायर नहीं करना

उन प्रकरणों में, जहां राजकीय राजस्व हित के विरूद्ध कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा निर्णय दिया गया हो एवं यह विश्वास करने का समुचित कारण एवं आधार हो कि उक्त निर्णय अभिलेखों में उपलब्ध तथ्यों पर नहीं है तो निर्णय के विरूद्ध 90 दिवसों में पुनरीक्षण याचिका दायर करने हेतु आर.एस.एक्ट की धारा 65 में प्रावधान है। **विभाग द्वारा पुनरीक्षण के मामलों के निष्पादन पर निगरानी हेतु कोई विवरणी निर्धारित नहीं थी।**

वृत्त जयपुर-II, जोधपुर एवं पाली के डी.आई.जी. एवं कलक्टर (मुद्रांक) के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि आई.जी. द्वारा जुलाई 2003 से नवम्बर 2004 के मध्य कलक्टर (मुद्रांक) के निर्णयों के विरूद्ध 10 एस.आर. के 14 प्रकरणों में पुनरीक्षण याचिका दायर करने की स्वीकृति प्रदान की। यह ध्यान में आया कि 10[16] एस.आर. ने निर्धारित समय सीमा में पुनरीक्षण याचिका दायर नहीं की थी। इसके फलस्वरूप इन प्रकरणों में मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का पता नहीं चल सका। विवरणी के अभाव में आई.जी. तथ्यों से अनभिज्ञ रहा एवं प्रकरणों का निष्पादन नहीं हुआ।

इन प्रकरणों को ध्यान में लाये जाने के पश्चात् विभाग ने जुलाई 2007 में बताया कि सात प्रकरणों में पुनरीक्षण याचिका दायर की जा चुकी है तथा शेष प्रकरणों में विभाग ने सम्बन्धित उप-पंजीयकों से स्पष्टीकरण मांगा है।

यह सिफारिश की जाती है कि विभाग द्वारा पुनरीक्षण के मामलों के निष्पादन पर निगरानी हेतु विवरणी निर्धारित की जावे।

4.2.9.3 अधिनिर्णय हेतु लंबित मामले

आर.एस. नियम 1955 एवं आर.एस. नियम 2004 के अधीन अवमूल्यांकित सम्पत्तियों या कम मुद्रांकित लेख्य-पत्रों को पंजीयन प्राधिकारी द्वारा कलक्टर(मुद्रांक) के अधिनिर्णय हेतु प्रेषित किया जाता है। इसके पश्चात्, सम्बन्धित व्यक्ति को नोटिस जारी करने के बाद कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा प्रकरण की पंजीयन तिथि से तीन माह की अवधि में संक्षिप्त जांच की जानी अपेक्षित है।

अधिनिर्णय से सम्बन्धित प्रकरणों को दायरा रजिस्टर (रेफरेन्स रजिस्टर) में दर्ज किया जाता है। उनको अंतिम रूप देने के पश्चात् प्रकरणों को रजिस्टर से हटा दिया जाता है एवं यदि कोई मांग हो तो उस पर मांग एवं संग्रहण पंजिका के माध्यम से निगरानी रखी जाती है। **निर्णयाधीन प्रकरणों के निपटारे हेतु न तो कोई समय सीमा निर्धारित की गई और न ही उच्च प्राधिकारियों को सूचना भेजने हेतु कोई विवरणी निर्धारित की गई।**

[16] जैतारण, सोजत सिटी, लूनी, कोटपूतली, जमवारामगढ़, दांतारामगढ़, बस्सी, फागी, दौसा एवं सिकराय ।

छः[17] वृत्त कार्यालयों के दायरा रजिस्टरों की मापक जांच में वर्ष 2002-03 से 2005-06 की अवधि के 25.30 करोड़ रुपये के 3,145 अधिनिर्णय[18] हेतु लंबित प्रकरणों का पता लगा। वर्षवार विवरण निम्नवत उल्लिखित हैः

(राशि लाख रुपयों में)

क्र. सं.	वृत्त कार्यालय	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		योग	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	भरतपुर	37	17.70	36	61.94	90	55.18	271	78.53	434	213.35
2.	जयपुर-II	351	66.72	68	40.99	241	101.15	331	467.71	991	676.57
3.	भीलवाड़ा	131	138.10	9	10.60	30	40.20	378	133.60	548	322.50
4.	पाली	7	274.54	18	22.35	41	80.13	163	324.91	229	701.93
5.	अलवर	107	40.17	161	59.42	75	92.04	312	169.24	655	360.87
6.	कोटा	21	20.67	10	68.03	50	46.66	207	119.57	288	254.93
	योग	**654**	**557.90**	**302**	**263.33**	**527**	**415.36**	**1,662**	**1,293.56**	**3,145**	**2,530.15**

यह प्रकरण ध्यान में लाये जाने के पश्चात् विभाग ने जुलाई 2007 में बताया कि कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा राशि 18.06 करोड़ रुपये के 3,084 प्रकरण निर्णित किये जा चुके हैं। मात्र 7.24 करोड़ रुपये के 61 प्रकरण निर्णय हेतु बकाया थे। तथापि, राजस्व वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई। प्रकरणों के निर्णय में समय लगने के परिणामस्वरूप राजस्व की वसूली में विलम्ब होता है एवं कुछ प्रकरणों में बकाया की वसूली की संभावना क्षीण हो जाती है। विभाग को राजस्व की सुरक्षा के लिए समस्त प्रकरणों में समीक्षा हेतु प्रभावशाली कदम उठाने चाहिए।

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विभाग पंजिकाओं की समीक्षा एवं सभी लंबित प्रकरणों का निपटारा शीघ्र सुनिश्चित करता है। सामयिक विवरणी निर्धारित करके उच्च स्तर पर निगरानी हो। इन प्रकरणों के निपटारे के लिए एक समय सीमा भी निर्धारित हो।

4.2.10 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा वित्त विभाग द्वारा की जाती है। तथापि, लेखापरीक्षा के विस्तार से सम्बन्धित सूचना, उठाये गये विषय तथा पालना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं होती। इस प्रकार लेखापरीक्षा आंतरिक लेखापरीक्षा की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता पर टिप्पणी करने में असमर्थ है।

अनुपालना में कमियां

4.2.11 सम्पत्तियों के कम मूल्यांकन के कारण मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण

राजस्थान मुद्रांक (आर.एस.) अधिनियम, 1998 के अनुसार, मुद्रांक कर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर प्रभार्य है। आर.एस. नियम में प्रावधान है कि सम्पत्ति के बाजार मूल्य

[17] भरतपुर, जयपुर-II, भीलवाड़ा, पाली, अलवर एवं कोटा ।

[18] अधिनिर्णय - उचित मुद्रांक कर का निर्धारण ।

का निर्धारण जिला स्तरीय समिति (डी.एल.सी.) द्वारा अनुशंषित दरों या महानिरीक्षक (आई.जी.) मुद्रांक द्वारा अनुमोदित दरों में जो भी उच्चतम हो, के आधार पर किया जावेगा।

4.2.11.1 तेरह[19] एस.आर. कार्यालयों के अभिलेखों की मापक जांच में प्रकट हुआ कि अचल सम्पत्तियों में 45.40 करोड़ रुपये के कम मूल्यांकन के 38 प्रलेखों को मूल्यांकन हेतु कलक्टर (मुद्रांक) को मई 2006 एवं मार्च 2007 के मध्य प्रेषित नहीं किया गया। गलती के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के 4.61 करोड़ रुपये का कम आरोपण हुआ।

प्रकरणों को ध्यान में लाये जाने के पश्चात् विभाग ने मई 2007 एवं जुलाई 2007 में उप-पंजीयक, खानपुर के एक प्रकरण को छोड़कर समस्त प्रकरणों को स्वीकार किया एवं बताया कि 4.50 करोड़ रुपये के 34 प्रकरणों को अधिनिर्णय हेतु प्रेषित कर दिया गया है।

खानपुर के प्रकरण में विभाग ने अप्रेल 2007 में बताया कि परिपत्र संख्या 2/2004 के संदर्भ में भूमि के बाजार मूल्य की गणना कृषि दर से की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भारत पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा सर्विस स्टेशन की स्थापना के लिए व्यावसायिक प्रयोजन हेतु भूमि क्रय की थी, जिसकी जानकारी पंजीयन से पूर्व ही विभाग को थी।

4.2.11.2 एस.आर. जयपुर-II एवं IV के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि उप पंजीयकों ने चार बहु-मंजिला इमारतों के 219 प्रलेखों पर डी.एल.सी. द्वारा क्षेत्र के लिए अनुमोदित दरों के स्थान पर निम्नतर दर लागू (अगस्त 2004 से नवम्बर 2005) की। इसके परिणामस्वरूप 1.28 करोड़ रुपये के मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण हुआ।

प्रकरणों को ध्यान में लाये जाने के पश्चात् विभाग ने बताया कि 219 में से 103 प्रकरणों को अधिनिर्णय हेतु कलक्टर (मुद्रांक) के न्यायालय में दर्ज कराया गया है। शेष प्रकरणों के सम्बन्ध में आगे की गई कार्यवाही को सूचित नहीं किया गया (सितम्बर 2007)।

4.2.12 डवलपर इकरारनामों का अपंजीयन

आर.एस.एक्ट की अनुसूची के अनुच्छेद 5(ब ब ब ब) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी प्रमोटर या किसी डवलपर, जिसे किसी भी नाम से बोला जावे, को किसी अचल सम्पत्ति के निर्माण या विकास के लिए अधिकार या शक्ति देने से सम्बन्धित इकरारनामों या इकरारनामों के ज्ञापन पर मुद्रांक कर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर एक प्रतिशत की दर से एवं पंजीयन शुल्क निर्धारित दर से प्रभार्य है।

[19] अलवर, बांसवाड़ा, जयपुर-II, जयपुर-IV, जोधपुर-III, जैसलमेर, राजसमन्द, सायला, सुमेरपुर, सांगानेर-I, उदयपुर-I, खानपुर एवं कुचामन सिटी।

4.2.12.1 चार एस.आर. कार्यालयों[20] के अभिलेखों की मापक जांच से प्रकट हुआ कि विक्रेता अ और क्रेता ब के बीच निर्मित फ्लैट्स को खरीदने हेतु जनवरी 2005 एवं सितम्बर 2005 के मध्य 20 लेख्यपत्रों का निष्पादन हुआ। विलेखों के विवरणों से प्रकट हुआ कि बहु मंजिला फ्लैट्स का निर्माण डवलपर द्वारा कराया गया एवं भूखण्ड के मालिक एवं डवलपर के मध्य बिक्री में हिस्सेदारी थी। तथापि, न तो कोई पृथक इकरारनामा पंजीकृत हुआ न ही उप-पंजीयकों द्वारा इस भिन्न मद पर कर आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप 72.62 लाख रुपये के राजस्व की अवसूली रही।

प्रकरणों को ध्यान में लाये जाने के पश्चात् विभाग ने जुलाई 2007 में बताया कि सम्बन्धित उप महानिरीक्षकों को राशि वसूल करने हेतु मई 2007 को निर्देश जारी किए जा चुके है। आगे यह बताया गया कि जून 2007 को समस्त उप महानिरीक्षकों को यह निर्देश दिए गये हैं कि कुर्की एवं नीलामी के द्वारा वसूली हेतु विशेष अभियान चलाया जावे।

4.2.12.2 बिल्ड, ऑपरेट एवं ट्रांसफर (बी.ओ.टी.) इकरारनामों के अपंजीयन के परिणामस्वरूप राजस्व की हानि

मुख्य अभियंता (सड़क), सार्वजनिक निर्माण विभाग (सा.नि.वि.) राजस्थान, जयपुर से संकलित सूचना से प्रकट हुआ कि राजस्थान सरकार द्वारा 12 सड़कों/पुलों की परियोजना सुविधाओं के विकास के लिए अनुसंधान, अध्ययन, रूपरेखा, अभियांत्रिकी, प्रबन्ध, वित्त, निर्माण, परिचालन एवं रख-रखाव के अधिकार प्रदान करने हेतु वर्ष 2002-03 से 2005-06 के दौरान इकरारनामें किए। 12 कार्यों की परियोजना लागत की गणना 267.08 करोड़ रुपये पर हुई। तथापि, यह ध्यान में आया कि सम्बन्धित उप पंजीयकों द्वारा आई.आर. एक्ट के अधीन दस्तावेजों का पंजीयन नहीं किया था। ये समस्त दस्तावेज डवलपर इकरारनामें थे जिन पर 2.67 करोड़ रुपये के मुद्रांक कर प्रभारित किए जाने योग्य थे। तथापि उप-पंजीयकों द्वारा मुद्रांक कर वसूल करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप 2.67 करोड़ रुपये की सीमा तक राजस्व की अवसूली रही।

प्रकरणों को ध्यान में लाये जाने के पश्चात् विभाग ने जुलाई 2007 में बताया कि ए.डी.एम. (मुद्रांक) जयपुर द्वारा मुख्य अभियंता, सा.नि.वि. को राशि जमा कराने हेतु नोटिस जारी कर दिया गया।

4.2.13 मछली पकड़ने के ठेकों पर मुद्रांक कर की कम वसूली

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय (1995) 6-एस.सी.सी. 520 में घोषित किया कि तालाब से मछली पकडना एक लाभदायक व्यवसाय है, जो कि अचल सम्पत्ति की श्रेणी में आता है। आर.एस. एक्ट की अनुसूची के अनुच्छेद 33 में प्रावधान है कि यदि मछली पकडने के पट्टे का मूल्य 100 रुपये से अधिक हो एवं वार्षिक रूप से स्वीकृत किया जाता हो तो इस पर निर्धारित दरों से मुद्रांक कर लगेगा।

निदेशक, मत्स्य विभाग से संकलित सूचना से प्रकट हुआ कि विभाग ने वर्ष 2002-03 से 2005-06 के दौरान 22.29 करोड़ रुपये की लागत के 575 मछली पकड़ने के ठेके

[20] जयपुर-I एवं II, जोधपुर- II तथा कोटा- II

(प्रत्येक 100 रुपये से अधिक) दिए। निर्धारित दरों से मुद्रांक कर के 58,000 रुपये के स्थान पर 2.28 करोड़ रुपये प्रभारित किए जाने थे, इसके परिणामस्वरूप 2.27 करोड़ रुपये कम वसूल हुए।

प्रकरणों को ध्यान में लाये जाने के पश्चात् विभाग ने बताया (जुलाई 2007) कि अधिसूचना दिनांक 15 फरवरी 1955 के अनुसार मछली पकडने के ठेकों पर मुद्रांक कर की छूट थी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना जारी करने के प्रकरण को अप्रेल 2006 में राज्य सरकार को प्रेषित किया गया था। लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बावजूद राजस्व सुरक्षा के हित में अधिसूचना जारी नहीं की गई (सितम्बर 2007)।

4.2.14 निष्कर्ष

मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण कर राजस्व है। मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की अपवंचना सामान्यतया सम्पत्तियों के कम मूल्यांकन, पंजीयन प्राधिकारी के कार्यालय में प्रलेखों का अप्रस्तुतिकरण और निष्पादकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर मुद्रांक कर के कम भुगतान करने के कारण होती है। यद्यपि, विभाग द्वारा समस्त कार्यालयों को लोक कार्यालय घोषित करके इसे रोकने का प्रयत्न किया है फिर भी लोक कार्यालयों द्वारा विवरणी निर्धारित न होने एवं विभाग द्वारा निरीक्षण के अभाव में अपेक्षित प्रभाव को प्राप्त करने में वह असफल रहा। प्रणाली की असफलता से व्यापक रूप से राजस्व का रिसाव हुआ, जिसका पता नहीं लग सका। विभाग का आंतरिक नियंत्रण बहुत कमजोर है जो कि अपेक्षित निरीक्षणों की संख्या की न्यूनता से सुस्पष्ट है। निर्णयाधीन प्रकरणों के निष्पादन हेतु न तो कोई समय-सीमा निर्धारित की गई और न ही उच्च प्राधिकारियों को सूचना भेजने हेतु कोई विवरणी निर्धारित की गई। इसके परिणामस्वरूप बहुत वृहद् रूप से प्रकरण बकाया रहे जिनमें भारी राजस्व अन्तर्निहित था।

4.2.15 सिफारिशों का सार

सरकार, प्रणाली तथा अन्य विषयों में सुधार हेतु निम्न कार्यवाही करने पर विचार करेः

- लोक कार्यालयों द्वारा विभाग को एक विवरणी निर्धारित की जाये जो प्रस्तुत दस्तावेजों की संख्या एवं पाई गई कमी पर हो। कम मुद्रांक कर भुगतान के प्रकरणों, जो उजागर नहीं किए जा रहे हैं, के सम्बन्ध में भी कार्यालयों को उत्तरदायी बनाया जावे। इसके अतिरिक्त डी.आई.जी. द्वारा लोक कार्यालयों के निरीक्षण हेतु मानदण्ड निर्धारित हो;

- विभाग द्वारा पुनरीक्षण के प्रकरणों के निस्तारण पर निगरानी हेतु विवरणी निर्धारित हो; तथा

- यह सुनिश्चित हो कि विभाग पंजिकाओं का निरीक्षण करें एवं अधिनिर्णय वाले लंबित प्रकरणों का निपटारा शीघ्र हो। सामयिक विवरणी निर्धारित करके उच्च स्तर पर निगरानी हो। इन प्रकरणों के निपटारे हेतु एक समय सीमा निर्धारित हो।

4.3 पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली

मुख्य मुख्य बिन्दु

विभाग में कोई सूचना प्रौद्योगिकी नीति, आपात पुनर्व्यवस्था तथा कार्य प्रक्रिया सततता योजना विद्यमान नहीं है।

(अनुच्छेद 4.3.5)

कार्य के नियमों को नहीं बनाए जाने के परिणामस्वरूप निर्माण पर मूल्य ह्रास की दर गलत रूप से लगाई गई तथा मुद्रांक कर का कम आरोपण हुआ, व्यक्तिगत महिलाओं को अनुमत्य छूट कृषि भूमि के क्रय के विलेखों पर मुद्रांक कर में दे दिए जाने एवं अन्य कमियों के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 4.3.6)

अपर्याप्त परिवर्तन प्रबन्धन नियंत्रणों के परिणामस्वरूप जिला-स्तरीय समिति (डीएलसी) की दरों को गलत रूप से लगाया गया जिसके कारण मुद्रांक कर की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 4.3.7)

4.3.1 परिचय

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग (विभाग) में राजस्व संग्रहण प्रमुख रूप से मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के रूप में किया जाता है जो कि निर्धारित दस्तावेजों पर प्रभारित किए जाने योग्य होता है तथा जो भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899, पंजीयन अधिनियम, 1908, राजस्थान मुद्रांक विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952, राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 तथा इनके अधीन विरचित नियमों के अन्तर्गत विनियमित की जाती है। जनवरी 2003 में, विभाग द्वारा अपने कार्य में दक्षता एवं प्रभावकारिता में सुधार लाने के लिए कम्प्यूटरीकरण को अपनाया। पूरे राज्य में क्रियान्वित किए जाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा रुपये 2.49 करोड़ की लागत (हार्डवेयर को शामिल करते हुए) से विकसित किए गए डेटाबेस के रूप में एक्सेल तथा फ्रन्ट-एण्ड पर विजुअल बेसिक को प्रयुक्त करते हुए एक एप्लीकेशन सोफ्टवेअर डिजाईन किया गया था। वर्तमान में यह सोफ्टवेअर 12 वृत्तों के 56 उप-पंजीयक कार्यालयों में स्टैण्ड-अलोन कम्प्यूटरों में कार्य कर रहा है। जयपुर मण्डल में उपर्युक्त एप्लीकेशन-सोफ्टवेअर को वर्ष 2006 के दौरान बैक-एण्ड के रूप में ओरेकल आर.डी.बी.एम.एस. प्लेटफार्म को प्रयुक्त करते हुए पुनः अभियांत्रित किया गया था।

कम्प्यूटरीकरण की गतिविधि की देखभाल सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा की जा रही है। अपनी कम्प्यूटरीकरण गतिविधियों की देखभाल करने के लिए विभाग के पास कोई पदाभिधानित अधिकारी नहीं है।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की आई.टी. लेखापरीक्षा किए जाने का निर्णय किया गया था। समीक्षा में इस प्रणाली की कई कमियां उजागर हुई जिन पर उत्तरवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

4.3.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

लेखापरीक्षा के क्षेत्र में आई टी एप्लीकेशन नियंत्रणों तथा संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में इस आई.टी. प्रणाली की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया जाना शामिल किया गया। आँकड़ों की पूर्णता, नियमितता तथा क्रमबद्धता का विश्लेषण एवं परीक्षण किए जाने के लिए 11 उप-पंजीयक कार्यालयों[21] के अप्रेल 2004 से जनवरी 2006 तक के संबंधित आँकड़ों एवं पांच उप-पंजीयक कार्यालयों[22] के अप्रेल 2004 से दिसम्बर 2006 तक के सम्बन्धित आँकड़ों का चयन किया गया था, जिसे कम्प्यूटर एडेड ऑडिट टूल्स (सी.ए.ए.टी.) प्रयुक्त करते हुए दिसम्बर 2006 तथा मई 2007 के बीच सम्पादित किया गया था।

4.3.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा के उद्देश्य यह मूल्यांकन तथा आंकलन करने के लिए थे कि क्याः

- विभाग में कोई आई.टी. पॉलिसी है;
- प्रणाली में शामिल आँकड़े पूर्ण एवं समग्र रूप से सही थे;
- प्रणाली में उपलब्ध इनपुट प्रक्रिया तथा आऊटपुट नियंत्रण पर्याप्त थे;
- एप्लीकेशन सोफ्टवेअर में विभाग द्वारा सुसंगत कार्य-नियमों को सम्मिलित किया गया है;
- आन्तरिक नियंत्रण ढांचा तथा अनुश्रवण कार्य प्रणाली पर्याप्त थी; तथा
- उपयुक्त अन्तःस्थापित सुरक्षा नियंत्रण एवं कार्य-सततता योजना विद्यमान थी।

4.3.4 आभार

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक सूचना एवं अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा दिए गए सहयोग के प्रति आभार प्रकट करता है। प्रणाली एवं अभिलेखों की नमूना जांच के परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा में जो बिन्दु पाए गए, उन्हें सरकार को जुलाई 2007 में सूचित किया गया था, परन्तु उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2007)।

---

[21] उप-पंजीयक जयपुर I से VIII, आमेर, सांगानेर I, सांगानेर II

[22] उप-पंजीयक जोधपुर-I, II तथा III, उप पंजीयक उदयपुर I एवं II

लेखापरीक्षा टिप्पणियां

प्रणाली की कमियाँ

मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क सरकार के लिए राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि इनपुट नियंत्रणों के अभाव सहित सुसंगत कार्य-नियमों को पूर्ण तथा उचित रूप से एप्लीकेशन में मानचित्रित नहीं किया गया था, जिसका परिणाम अपूर्ण एवं गलत आँकड़ों के रूप में हुआ तथा जिसका राजस्व संग्रहण पर भी प्रभाव पड़ा। यह भी पाया गया कि सुरक्षा नियंत्रण विशेषताएं अपर्याप्त एवं कमजोर थी। इन कमियों को निम्नलिखित अनुच्छेदों में उल्लेखित किया गया है।

4.3.5 सामान्य नियंत्रण

4.3.5.1 आई.टी. नीति का अभाव

विभाग वर्ष 2003 से आई.टी. एप्लीकेशन को प्रयुक्त कर रहा था परन्तु अभी तक विभाग द्वारा कोई आई.टी. नीति तथा दीर्घकालीन/मध्यमकालीन आई.टी. रणनीति बनाना एवं प्रलेखीकृत करना शेष है। **विभाग द्वारा प्रणालीबद्ध तरीके से आई.टी. एप्लीकेशन के क्रियान्वयन की मोनीटरिंग करने के लिए स्पष्ट भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों सहित कोई योजना/ संचालन समिति का भी गठन नहीं किया गया है।**

4.3.5.2 पर्याप्त "आपात् पुनर्व्यवस्था एवं कार्य सततता योजना" का अभाव

विभाग द्वारा कोई आपात् पुनर्व्यवस्था तथा कार्य सततता योजना का प्रलेखीकरण नहीं किया गया है। आपातकालीन हॉट-साईट्स, सिस्टम सोफ्टवेअर के सही/नवीन रूपान्तरों इत्यादि की न तो पहचान की न ही उनको प्रलेखीकृत किया गया था। यह भी पाया गया कि समय-समय पर सावधिक अन्तरालों पर बैक-अप्स नहीं लिए गए थे तथा जो बैक-अप्स लिये गये थे उन्हें अलग से किसी सुरक्षित स्थान पर नहीं रखा गया था।

4.3.5.3 अपर्याप्त लेखापरीक्षा संकेत

डेटाबेस के विश्लेषण पर पाँच कार्यालयों[23] में फीस रसीद संख्याओं के सम्बन्ध में 11 अन्तराल[24], चार कार्यालयों[25] में दस्तावेज क्रम संख्याओं के सम्बन्ध में 106 अन्तराल तथा चार कार्यालयों[26] में दस्तावेज पंजीयन संख्याओं में 139 अन्तराल पाए गए थे। **विलोपन के प्रयत्नों का पता लगाने के लिए कोई आन्तरिक नियंत्रण कार्य-प्रणाली नहीं थी, जिसके कारण अनाधिकृत विलोपन द्वारा छल-कपट की जोखिमें बढ़ गई थी।**

[23] उप-पंजीयक जयपुर I, आमेर, जोधपुर I एवं III तथा उदयपुर II

[24] डेटा डिलीट कर दिए गए/रिकार्ड नहीं किए गए (लुप्त)।

[25] उप-पंजीयक जयपुर VII, जोधपुर-I एवं III, तथा उदयपुर I

[26] उप-पंजीयक आमेर, जोधपुर I एवं III तथा उदयपुर I

यही नहीं, लेन-देनों की पूर्व की स्थिति का पता लगाने में सहायक होने वाले लेखापरीक्षा संकेतों, जैसे "अप-डेटेड बाई," "अप-डेटेड आन," "अप-डेटेड फ्रॉम ," "डिलिटेड बाई " तथा " द्वारा प्राधिकृत " संकेतों को सम्मिलित नहीं किया गया था।

प्रकरण को ध्यान में लाये जाने के पश्चात् विभाग द्वारा मई 2007 में उत्तर दिया गया कि विलोपन कर दिए जाने के पीछे जो कारण रहे थे, उनकी जानकारी नहीं थी।

सरकार लेन-देनों को ढूँढने तथा आँकड़ों में आपवादिक फेर-बदल को अनुश्रवण करने के लिए लेखापरीक्षा संकेतों को डिजाईन करने एवं उन्हें सम्मिलित करने के बारे में विचार करें।

4.3.6 एप्लीकेशन नियंत्रण

4.3.6.1 इनपुट नियंत्रण

इनपुट नियंत्रण यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रक्रिया हेतु प्राप्त आँकड़े वास्तविक, पूर्ण, उचित रूप से प्राधिकृत हैं तथा बिना दोहराव के सही-सही प्रविष्ट किए जाते हैं तथा पहले से ही प्रक्रिया किए हुए नहीं हैं। कम्प्यूटरीकरण सिस्टम में गलती या कपट का पता लगाने या उनकी रोकथाम करने में इनपुट नियंत्रण एक प्रभावी उपाय के रूप में भी सहायक होते हैं।

यह पाया गया कि महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे कि दावेदारों के नाम, आयु, लिंग इत्यादि को अनिवार्य नहीं बनाया गया जिसके परिणामस्वरूप डेटाबेस अपूर्ण रह गए। उदाहरण के लिए उप-पंजीयक कार्यालय, आमेर में 49 संव्यवहारों में दावेदारों के नाम प्रविष्ट नहीं किए गए थे, जिसके कारण आवश्यकता पड़ने पर दावेदार को ढूँढना कठिन हो गया था।

4.3.6.2 कार्य-नियमों का मानचित्रण

समस्त सुसंगत कार्य-नियमों एवं कार्यविधियों की पहचान किया जाना एवं एप्लीकेशन में समुचित रूप से सम्मिलित किया जाना आवश्यक होता है। डेटा विश्लेषण में उजागर हुआ कि कार्य-नियमों के मानचित्रण न होने के परिणामस्वरूप राजस्व हानियां हुई, जिन्हें निम्नानुसार उल्लिखित किया गया है:

- **निवेश संवर्धन स्कीम, 2003 के तहत मुद्रांक कर में अनियमित छूट**

राज्य सरकार की अधिसूचना[27] (28 जुलाई, 2003) के अनुसार, किसी औद्योगिक इकाई को स्थापित करने के प्रयोजन के लिए भूमि के क्रय/लीज के विलेखों पर प्रभारित किए जाने योग्य मुद्रांक कर को 50 प्रतिशत की सीमा तक कम किया जा सकेगा, यदि राजस्थान निवेश संवर्धन स्कीम, 2003 के तहत विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसा किया जाना अनुमोदित कर दिया जाए। **अन्तिम अंकित मूल्य पर छूट अनुमत्य किए जाने का कोई प्रावधान नहीं था।**

[27] अधिसूचना सं0 एफ4(18)एफडी/टैक्स डिवीजन/2001-74, दिनांक 28, जुलाई 2003

आठ उप पंजीयक कार्यालयों[28] में लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि केवल भूमि के मूल्य पर छूट अनुमत्य किए जाने के विहित मापदण्ड को एप्लीकेशन में सम्मिलित नहीं किया गया था, यद्यपि ऐसा दस्तावेजों/डेटाबेस में उपलब्ध था, जिसके परिणामस्वरूप केवल भूमि के बजाए सम्पत्ति के अन्तिम अंकित मूल्य[29] पर 50 प्रतिशत की छूट अनुमत्य हो गयी थी, जिससे 141 प्रकरणों में रुपये 40.17 लाख के मुद्रांक कर का कम आरोपण हुआ।

- **प्रतिलिपि, स्केनिंग तथा निरीक्षण फीस (सी.एस.आई.)का आरोपण नहीं करना**

राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना दिनांक 5 दिसम्बर 2002 के तहत पृष्ठांकन की नकल किए जाने, कम्प्यूटर या मैन्युअल द्वारा पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतिलिपि/स्केनिंग किए जाने तथा दस्तावेजों के तथ्यों का सत्यापन किए जाने के लिए स्थल निरीक्षण के लिए भारतीय पंजीयन अधिनियम, 1908 के अनुच्छेद (vii)के तहत सी.एस.आई. फीस को समाहित किया गया था। फीस के ढाँचे में फीस, सम्पत्ति के बाजार मूल्य के आधार पर विहित की गई थी अर्थात् जहाँ बाजार मूल्य रुपये 50,000 से अधिक न हो वहां रुपये 100 तथा उसके पश्चात् सम्पत्ति के मूल्यांकन एवं बाजार मूल्य की सम्भावना के आधार पर रुपये 200 होगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एप्लीकेशन में सी.एस.आई. फीस दर को समाविष्ट नहीं करने के कारण नौ उप-पंजीयक कार्यालयों[30] में कृषि प्रयोजनों हेतु बंधक-पत्र से सम्बन्धित 9,303 प्रकरणों में जिनमें प्रत्येक का बाजार मूल्य 50,000 रुपये से अधिक था, पर सी.एस.आई. फीस प्रभारित नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप रुपये 18.61 लाख की राजस्व की वसूली नहीं हुई।

- **मूल्य ह्रास की गलत गणना**

सौलह उप-पंजीयक कार्यालयों[31] के सम्बन्ध में डेटाबेस की संवीक्षा में, यह पाया गया कि विभाग द्वारा मूल्य ह्रास की गणना के लिए ऊँची तरफ पूर्णांकन के गलत पैरामीटरों को अपनाया गया, जिसके परिणामस्वरूप सम्पत्ति के निर्मित-भाग का कम मूल्यांकन हुआ।

एप्लीकेशन सोफ्टवेअर में मूल्य ह्रास फार्मूले के गलत मानचित्रण के कारण अप्रेल 2004 तथा दिसम्बर 2006 के बीच निष्पादित 17,199 दस्तावेजों का विभाग द्वारा रुपये 877.61 करोड़ की बजाए रुपये 863.51 करोड़ पर मूल्यांकन किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर रुपये 14.92 लाख तथा पंजीयन शुल्क रुपये 1.67 लाख का कम आरोपण हुआ।

---

[28] उप-पंजीयक जयपुर I, III, IV, V, VII एवं VIII, सांगानेर I तथा सांगानेर II

[29] अन्तिम अंकित मूल्य में भूमि का मूल्य, निर्माण-क्षेत्र, चार-दीवारी, टिन-शेड तथा कामन रिक्त स्थान शामिल है।

[30] उप-पंजीयक जयपुर III, आमेर, सांगानेर I, सांगानेर II, जोधपुर I, II एवं III तथा उदयपुर I एवं II

[31] उप-पंजीयक जयपुर I से VIII, आमेर, सांगानेर I एवं II जोधपुर I से III तथा उदयपुर I एवं II

- **महिलाओं से भिन्न वर्ग को कृषि भूमियों के क्रय पर मुद्रांक कर की अनियमित छूट**

सरकारी अधिसूचना दिनांक 14 जनवरी 2004 के अनुसार महिलाओं के नाम से कृषि भूमि के क्रय के विलेखों पर प्रभारित किए जाने योग्य मुद्रांक कर को कम करके 11 से 5.5 प्रतिशत कर दिया गया था। उपर्युक्त शुल्क को आगे 1.4.2006 से कम करके 5 प्रतिशत कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आठ उप-पंजीयक कार्यालयों[32] में एप्लीकेशन के अन्तर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था, जो कि कम्पनी या पुरूष स्वामी या पुरूष एवं महिला द्वारा संयुक्त स्वामित्व के नाम से पंजीकृत सम्पत्ति दस्तावेज पर छूट को प्रतिबन्धित/अस्वीकृत कर सके। इस प्रकार सिस्टम द्वारा कृषि भूमि के क्रय के ऐसे विलेखों को व्यक्तिगत महिलाओं के रूप में मानते हुए उन पर छूट अनुमत्य कर दी गई, जो कि कम्पनी/पुरूष/पुरूष एवं महिला के संयुक्त नाम के नाम से अन्तरित किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप 45 प्रकरणों में रुपये 17.71 लाख के मुद्रांक कर का कम आरोपण हुआ।

- **आवासीय सम्पत्ति पर कृषि छूट अनुमत्य किया जाना**

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 10 उप पंजीयक कार्यालयों[33] में विभाग द्वारा सम्पत्तियों का मूल्यांकन आवासीय के रूप में किया था परन्तु उन आवासीय सम्पत्तियों पर कृषि छूट अनुमत्य कर दी गई, बावजूद इस तथ्य के, कि कृषि छूट केवल कृषि भूमि पर ही अनुमत्य किए जाने योग्य थी। इसके परिणामस्वरूप 195 प्रकरणों में रुपये 1.04 करोड़ के मुद्रांक कर का कम आरोपण हुआ।

- **मुद्रांक कर दर का गलत लगाया जाना**

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 3 के अनुसार मुद्रांक कर दस्तावेज के निष्पादन के समय विहित दरों पर प्रभारित किए जाने योग्य होता है। एप्लीकेशन सोफ्टवेअर के अन्तर्गत दस्तावेज के निष्पादन की दिनांक के अनुसार मुद्रांक कर लगाए जाने का कोई प्रावधान नहीं था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नौ उप-पंजीयक कार्यालयों[34] में सोफ्टवेअर में उपर्युक्त कमी होने के कारण मुद्रांक कर की वसूली निष्पादन दिनांक के अनुसार नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप 224 प्रकरणों में रुपये 6.64 लाख के मुद्रांक कर का कम आरोपण हुआ।

---

[32] उप-पंजीयक आमेर, सांगानेर I, सांगानेर II, जोधपुर I, II एवं III तथा उदयपुर I एवं II

[33] उप-पंजीयक जयपुर I, III, VI, आमेर, सांगानेर I एवं सांगानेर II,जोधपुर I, II एवं III तथा उदयपुर I

[34] उप-पंजीयक जयपुर III, IV, V, आमेर, सांगानेर I, जोधपुर I एवं II तथा उदयपुर I एवं II

- पंजीयन शुल्क का कम आरोपण

लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि चार उप-पंजीयक कार्यालयों[35] में पंजीयन शुल्क का कम भुगतान किए जाने की स्थिति में पंजीयन किए जाने वाले दस्तावेज को स्वीकार करने सम्बन्धी अन्तःस्थापित जांचें सहित सिस्टम को डिजाईन नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि 15 प्रकरणों में कुल रुपये 16,232 के पंजीयन शुल्क के कम आरोपण पर दस्तावेजों का पंजीयन किया गया।

मामला जुलाई 2007 में विभाग के ध्यान में लाया गया तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया था। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (सितम्बर 2007)।

मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की सही राशि के संग्रहण को सुनिश्चित किए जाने के लिए सोफ्टवेअर में आवश्यक नियंत्रणों को समाहित किए जाने पर सरकार विचार करें।

4.3.7 परिवर्तन प्रबन्धन सम्बन्धी नियंत्रण

किसी भी सूचना प्रणाली में एक अच्छी परिवर्तन प्रबन्धन कार्यविधि का होना आवश्यक होता है जो प्रणाली के निरन्तर संधारण, प्रणाली में होने वाले परिवर्तनों को अभिलेखित एवं निष्पादित करने के लिए मानक पद्धति पर नियंत्रण को आच्छादित करती हो, जिसे प्रशासन के उपयुक्त स्तर पर प्राधिकृत किया जाना आवश्यक होता है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि विभाग में परिवर्तन प्रबन्धन के नियंत्रणों, जांच मानकों, गुणवत्ता आश्वासन तथा प्रलेखीकरण से सम्बन्धित कोई नीति विद्यमान नहीं थी। यह देखा गया था कि परिवर्तन नियंत्रण पर किसी नीति का अभाव होने के कारण जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) द्वारा निर्धारित दर के गलत लगाए जाने के कारण मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण हुआ।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 10 उप-पंजीयक कार्यालयों[36] में डेटाबेस में जैसे ही संशोधित/नई डी.एल.सी. दरें प्रविष्ट की गई, पुरानी डी.एल.सी. दरों को सिस्टम द्वारा आरकाईव में नहीं डाला गया था। यह पाया गया कि उपयोगकर्ताओं को या तो पुरानी या नई दरें लगाने का विकल्प उपलब्ध कराया गया, जिसके कारण 180 प्रकरणों में सम्पत्ति का मूल्य पुरानी दरों पर निर्धारित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर रुपये 34.58 लाख एवं पंजीयन शुल्क रुपये 2.88 लाख का कम आरोपण हुआ।

4.3.8 निष्कर्ष

सिस्टम की दक्षता एवं प्रभावकारिता को सुधारने के उद्देश्य से विकसित किए गए मुद्रांक एवं पंजीयन सिस्टम में कमजोर इनपुट-नियत्रणों जैसी कमियां विद्यमान थी। सम्पत्तियों के पंजीयन के लिए संव्यवहारों में कार्य-नियमों का लागू किया जाना सुनिश्चित नहीं

[35] उप-पंजीयक जयपुर V, जोधपुर I एवं II तथा उदयपुर I

[36] उप-पंजीयक जयपुर III, IV, V , VI , VII, VIII, आमेर, जोधपुर I, III तथा उदयपुर I

किया गया था। ऐसी कमियों के कारण अनियमित एवं गलत मुद्रांक कर का आरोपण हुआ। विभाग द्वारा सिस्टम के अन्तर्गत डेटा इनपुट की शुद्धता एवं पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कोई अनुश्रवण कार्यपद्धति भी तैयार नहीं की गई। विभाग द्वारा सिस्टम की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई, जहाँ लेखापरीक्षा परीक्षण जांचों के संकेतों के अभाव के कारण डेटाबेस में अन्तराल आ गए। सिस्टम को उपयुक्त रूप से बैक-अप भी नहीं किया गया था तथा न ही सिस्टम के निरन्तर रूप से प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए क्रियान्वित की जाने वाली कोई योजना ही विद्यमान थी। इस प्रकार, सिस्टम के क्रियान्वयन से अभीष्ट प्रभावकारिता तथा दक्षता की प्राप्ति नहीं हुई। सिस्टम द्वारा सही राजस्व वसूली को भी सुनिश्चित नहीं किया गया।

4.3.9 अनुशंषाओं का सार

प्रणाली को सही करने एवं अन्य मुद्दों के लिए निम्नलिखित कार्यवाही पर सरकार विचार करे:-

- डेटा में आपवादिक परिवर्तन किए जाने के अनुश्रवण के उद्देश्य से संव्यवहारों को ढूंढने के लिए लेखापरीक्षा संकेतों को सिस्टम में डिजाईन एवं समाहित किया जाए; तथा

- मुद्रांक कर की सही राशि के संग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए सोफ्टवेअर के अन्तर्गत आवश्यक नियंत्रणों की प्रोग्रामिंग की जाए।

4.4 पट्टा विलेखों पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998, के अधीन राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2004 में जारी स्पष्टीकरण के अनुसार निजी शैक्षणिक संस्थाओं को वाणिज्यिक संस्थाएं माना जाना है। अधिनियम में आगे प्रावधान है कि जहां पट्टा 20 वर्ष से अधिक अवधि का है वहां मुद्रांक कर हस्तान्तरण विलेख की तरह सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर प्रभार्य है।

तीन उप-पंजीयक कार्यालयों की मई 2006 एवं नवम्बर 2006 के मध्य की गई मापक जांच में यह ज्ञात हुआ कि फरवरी 2005 एवं जून 2005 के मध्य पंजीकृत 20 वर्ष से अधिक की अवधि के पट्टा विलेखों से सम्बन्धित प्रकरण में मुद्रांक कर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तान्तरण विलेख की तरह वसूल नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप 1.18 करोड़ रुपये के मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण हुआ जैसा कि आगामी अनुच्छेदों में उल्लेखित है:

4.4.1 बिरला शैक्षणिक संस्थान, जोधपुर द्वारा शैक्षणिक संस्था की स्थापना हेतु 50 वर्ष के लिए एक पट्टा विलेख का निष्पादन किया। यह व्यावसायिक गतिविधि होने के कारण सम्पत्ति का मूल्यांकन 6.27 करोड़ रुपये अर्थात् व्यावसायिक प्रयोजन हेतु लागू दर से होना था। परन्तु निष्पादकों के विलेख का मूल्यांकन 10.50 लाख रुपये अर्थात् कृषि प्रयोजन हेतु निर्धारित दर से किया गया। उप-पंजीयक कार्यालय, पाली गलती का

पता लगाने में विफल रहा एवं 50.43 लाख रुपये के स्थान पर 94,500 रुपये मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के आरोपित किये, परिणामस्वरूप 49.49 लाख रुपये की कम वसूली हुई।

4.4.2 आर.एल.यादव शैक्षणिक समिति, कोटपूतली (जयपुर) द्वारा शैक्षणिक संस्था की स्थापना हेतु 30 वर्ष के लिए एक पट्टा विलेख का निष्पादन किया। यह व्यावसायिक गतिविधि होने के कारण सम्पत्ति का मूल्यांकन 5.81 करोड़ रुपये अर्थात् व्यावसायिक प्रयोजन हेतु लागू दर से होना था। परन्तु विलेख का मूल्यांकन 3.60 लाख रुपये अर्थात् 30 वर्ष के पट्टा किराये के एक प्रतिशत पर किया गया। उप-पंजीयक कार्यालय, कोटपूतली (जयपुर) गलती का पता लगाने में विफल रहा एवं 46.75 लाख रुपये के स्थान पर 7,200 रुपये मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के आरोपित किये, परिणामस्वरूप 46.68 लाख रुपये की कम वसूली हुई।

4.4.3 एस्सार ऑयल लिमिटेड जामनगर, गुजरात द्वारा निष्पादित एक 19 वर्ष 10 माह एवं दूसरा 19 वर्ष 11 माह के दो पट्टा विलेख, जो पक्षों की किसी आगे की कार्यवाही के बिना स्वतः समान अवधि के लिए नवीनीकृत हो जायेंगे, के प्रावधान के साथ उप-पंजीयक कार्यालय, वैर (भरतपुर) में पंजीकृत हुए। चूंकि पट्टा 20 वर्ष से अधिक की निरन्तर अवधि का होने के कारण मुद्रांक कर के उद्देश्य के लिये इसका मूल्यांकन 2.68 करोड़ रुपये पर होना था परन्तु उप-पंजीयक कार्यालय द्वारा पट्टा 20 वर्ष से कम की अवधि का मानते हुए दो वर्ष के औसत किराये के आधार पर 1 लाख रुपये पर भूमि का मूल्यांकन किया। फलस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के 21.90 लाख रुपये का कम आरोपण हुआ।

उक्त अनियमितताएं जून 2006 एवं दिसम्बर 2006 के मध्य विभाग के ध्यान में लाई गई। विभाग ने अप्रेल/मई 2007 में बताया कि इन प्रकरणों को कलक्टर (मुद्रांक) के यहां अधिनिर्णय हेतु दर्ज कराया गया है। आगे की गई कार्यवाही की सूचना प्राप्त नहीं हुई।

सरकार, जिसे मामला फरवरी एवं मार्च 2007 में प्रतिवेदित किया था, ने पाली एवं कोटपूतली के प्रकरणों में विभाग के उत्तर की पुष्टि की (मई 2007)। अन्य मामले में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2007)।

(ब) भू-राजस्व

4.5 सरकारी भूमि के मूल्य की कम वसूली

राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 2 मार्च 1987 को जारी परिपत्र के अनुसार, केन्द्रीय सरकार के विभागों तथा इसकी एजेन्सियों को शहरी क्षेत्र एवं उसकी परिधि में वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ सरकारी भूमि के आवंटन पर भूमि का मूल्य, जिला स्तरीय समिति (डी.एल.सी.) द्वारा अनुमोदित वाणिज्यिक दर से प्रभार्य था।

तहसील वल्लभनगर (उदयपुर) में सितम्बर 2006 में ज्ञात हुआ कि उदयपुर के शहरी क्षेत्र (टूस-डांगियान) में 70 बीघा (16,27,920 वर्ग फीट) माप की सरकारी भूमि एक एरोड्रम के निर्माण हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, डबोक (उदयपुर) को 65 लाख रुपये के कुल मूल्य पर जनवरी 2006 में आवंटित की गई थी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एक वाणिज्यिक संस्थान होने के कारण शहरी क्षेत्र या उसकी परिधि में भूमि की कीमत वाणिज्यिक दर से प्रभार्य थी। तद्नुसार डी.एल.सी. द्वारा अनुमोदित 140 रुपये प्रति वर्ग फीट की वाणिज्यिक दर से भूमि के मूल्य की गणना 22.79 करोड़ रुपये होती है। इस प्रकार भूमि के कम मूल्यांकन के परिणामस्वरूप 22.14 करोड़ रुपये की कम वसूली हुई।

अक्टूबर 2006 में प्रकरण ध्यान में लाये जाने के पश्चात् राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर ने अप्रेल 2007 में सूचित किया कि अप्रेल 2007 में 22.79 करोड़ रुपये की मांग कायम की जा चुकी है। राशि की वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई (सितम्बर 2007)।

सरकार, जिसे मामला मार्च 2007 में प्रतिवेदित किया था, ने जून 2007 में विभाग के उत्तर की पुष्टि की।

अध्याय-V: राज्य आबकारी शुल्क

5.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

राज्य आबकारी कार्यालयों के अभिलेखों की वर्ष 2006-07 के दौरान मापक जाँच में 171 प्रकरणों में राशि 51.67 करोड़ रुपये के आबकारी राजस्व की अवसूली/कम वसूली का पता चला जो विस्तृत रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में आते है:

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	आबकारी शुल्क एवं अनुज्ञा फीस की अवसूली/कम वसूली	84	45.13
2.	मदिरा की अधिक छीजत से आबकारी शुल्क की हानि	14	0.12
3.	अन्य अनियमिततायें	73	6.42
	योग	**171**	**51.67**

वर्ष 2006-07 के दौरान विभाग ने 187 प्रकरणों में अन्तर्निहित 21.04 करोड़ रुपये की कम वसूली तथा अन्य कमियां स्वीकार कीं जिसमें से 12.90 करोड़ रुपये अन्तर्निहित के 74 प्रकरण लेखापरीक्षा में वर्ष 2006-07 के दौरान तथा शेष पूर्व के वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। विभाग ने 56 प्रकरणों में 77 लाख रुपये की वसूली की जिसमें से 27 लाख रुपये अन्तर्निहित के नौ प्रकरण लेखापरीक्षा में वर्ष 2006-07 के दौरान तथा शेष पूर्व के वर्षों में ध्यान में लाये गये थे।

लेखापरीक्षा में ध्यान में आये कुछ महत्वपूर्ण प्रकरण, जिनमें 19.88 करोड़ रुपये अन्तर्निहित है, अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं।

5.2 बीयर पर आबकारी शुल्क की कम वसूली

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (आर.ई.एक्ट) के अन्तर्गत राज्य सरकार ने अधिसूचित किया कि वर्ष 2005-06 के लिए बीयर पर मूल्यानुसार 140 प्रतिशत आबकारी शुल्क आरोपित किया जायेगा।

24 जिला आबकारी कार्यालयों (डी.ई.ओं.)[1] के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि चार[2] मद्यनिर्माण शालाओं में बीयर पर आबकारी शुल्क या तो उस विक्रय मूल्य पर आरोपित किया गया जो प्रभारित विक्रय मूल्य से कम था या उस विक्रय मूल्य में अन्तर लागत[3] जैसे तत्व शामिल नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप आबकारी शुल्क राशि 18.38 करोड़ रुपये की कम वसूली हुई ।

प्रकरण को ध्यान में लाये जाने के पश्चात् सरकार ने बताया (जून/जुलाई 2007) कि आबकारी शुल्क प्रतिपूर्ति की गई वास्तविक लागत पर आरोपित नहीं किया जाना था। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिसूचना में मूल्यानुसार आबकारी शुल्क आरोपण करने का प्रावधान है तथा आबकारी शुल्क के आरोपण से किसी तत्व को मुक्त नहीं किया गया है।

5.3 भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर आबकारी शुल्क का कम आरोपण

वर्ष 2005-06 की आबकारी नीति के अनुसार भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर आबकारी शुल्क मदिरा की किस्म एवं विक्रय मूल्य के आधार पर प्रभारित किया जाना था। राज्य सरकार ने आबकारी शुल्क की दरें निम्नानुसार अधिसूचित कीः

क्र.सं.	मदिरा निर्माताओं द्वारा घोषित क्वार्ट बोतलों के प्रति कार्टून का अधिकतम विक्रय मूल्य	आबकारी शुल्क की दर (रुपये प्रति लन्दन प्रुफ लीटर)
1	400 रुपये तक	170
2	400 रुपये से अधिक 600 रुपये तक	210
3	600 रुपये से अधिक 900 रुपये तक	250

अद्धों एवं पव्वों[$] के अधिकतम विक्रय मूल्य पर आरोपित किए जाने वाले आबकारी शुल्क को सरकार ने अधिसूचित नहीं किया। तद्नुसार विभाग द्वारा क्वार्ट बोतलों[#] के विक्रय मूल्य के ही घोषणा पत्र प्राप्त किए गए।

[1] जिला आबकारी कार्यालय, अजमेर, अलवर, बारां, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बून्दी, चित्तौडगढ़, चुरू, हनुमानगढ़, जयपुर, जालौर, झालावाड़, झुन्झुनू, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टौंक तथा उदयपुर।

[2] माउन्ट शिवालिक, रोचीज ब्रेवरी, विनसम ब्रेवरी तथा दिवान्स ब्रेवरी।

[3] अन्तर लागत में बीमा, उतराई-चढ़ाई एवं टूट--फूट प्रभार सम्मिलित है।

[$] पाउच/बोतल जिसमें मदिरा विक्रय होती है, अद्धाः 375 मिली लीटर, पव्वाः 180 मिली लीटर।

[#] मदिरा की इकाई जो गैलन के चौथाई या दो अद्धों के समान है।

मदिरा पर चुकाए गए आबकारी शुल्क के विवरण एवं निर्माताओं द्वारा जारी किए गए विक्रय बिलों के सत्यापन में पता चला कि अद्धों एवं पव्वों के 4,35,636 कार्टून घोषित मूल्य से उच्च मूल्य पर विक्रय किए गए। अद्धों एवं पव्वों पर देय आबकारी शुल्क की दरों को अधिसूचना में घोषित नहीं किए जाने के कारण अद्धों एवं पव्वों पर भी क्वार्ट बोतलों के घोषित मूल्य के आधार पर विभाग द्वारा आबकारी शुल्क प्रभारित किया, जिसके परिणामस्वरूप निम्न विवरणानुसार राशि 11.46 करोड़ रुपये के आबकारी शुल्क की अपवंचना हुईः

भा.नि.वि.म. के अद्धे एवं पव्वे के कार्टूनों के घोषित मूल्य का वर्ग	अद्धे एवं पव्वे के कार्टूनों की संख्या	अन्तर्निर्हित कुल एल.पी.एल.	प्रति एल.पी.एल. आरोपणीय आबकारी शुल्क (रुपये)	प्रति एल.पी.एल. प्रभारित आबकारी शुल्क (रुपये)	प्रति एल.पी.एल. आबकारी शुल्क का अन्तर (रुपये)	आबकारी शुल्क का कम आरोपण (करोड़ रुपयों में)
400 रुपये से उपर लेकिन 600 रुपये तक	3,83,726	25,25,492.25	210	170	40	10.10
600 रुपये से उपर लेकिन 900 रुपये तक	51,910	3,39,213.96	250	210	40	1.36
योग	**4,35,636**	**28,64,706.21**	-	-	-	**11.46**

इसे ध्यान में लाये जाने के पश्चात् सरकार ने बताया (जुलाई 2007) कि अधिसूचना में "क्वार्ट बोतल" शब्द का उल्लेख किया गया है और समान ब्रॉड पर शुल्क की भिन्न दर आरोपित नहीं की जा सकती है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आबकारी नीति में मदिरा की किस्म एवं विक्रय मूल्य पर आबकारी शुल्क प्रभारित करने का प्रावधान है।

5.4 देशी मदिरा के निर्माण में उपयोग में लिए गये स्वयं द्वारा उत्पादित शोधित प्रासव/एक्सट्रा न्यूट्राल एलकोहल पर शुल्क का अनारोपण

राजस्थान आबकारी नियम, 1956 (आर.ई. रूल्स) के नियम 69-बी के अनुसार, किसी आसवनी द्वारा देशी मदिरा के निर्माण में स्वयं द्वारा उत्पादित शोधित प्रासव/एकस्ट्रा न्यूट्राल एलकोहल का उपयोग करने पर 2.50 रुपये प्रति बल्क लीटर (बी.एल.) के शुल्क का भुगतान करना होगा।

चार जिला आबकारी कार्यालयों[4] में, यह विदित हुआ कि वर्ष 2005-06 के दौरान देशी मदिरा के निर्माण में पांच आसवनियों ने स्वयं द्वारा उत्पादित 45,66,909.46 बल्क

[4] जिला आबकारी कार्यालय, अलवर, जयपुर, सीकर एवं श्रीगंगानगर।

लीटर शोधित प्रासव/एक्स्ट्रा न्यूट्राल एलकोहल का उपयोग किया। तथापि, 1.14 करोड़ रुपये के शुल्क का न तो भुगतान किया गया और न ही विभाग द्वारा मांग की गई।

मामला नवम्बर 2006 एवं फरवरी 2007 के मध्य विभाग के ध्यान में लाया गया तथा फरवरी 2007 एवं अप्रैल 2007 के मध्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (सितम्बर 2007)।

5.5 भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की खुदरा दुकानों से शुल्क की कम वसूली

आर.ई.एक्ट के सह-पठित भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की खुदरा बिक्री के अनुज्ञापत्र की शर्तो के अनुसार, 1 अप्रेल 2005 से नगरपालिका/शहरी समुदाय क्षेत्र में स्थित दूकानों के लिए वार्षिक अनुज्ञापत्र शुल्क 3 लाख रुपये तथा आवेदन शुल्क 3,000 रुपये प्रति दुकान और ग्रामीण क्षेत्र में स्थित दुकानों के लिए वार्षिक अनुज्ञापत्र शुल्क 25000 रुपये तथा आवेदन शुल्क 250 रुपये प्रति दुकान आरोपणीय था। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 8 नवम्बर 2001 द्वारा अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ जोधपुर शहरी क्षेत्र में 86 गांवों को सम्मिलित किया गया।

जोधपुर में विदित हुआ कि वर्ष 2005-06 में एक समूह को आठ[5] गावों में 11 दूकानों के अनुज्ञापत्र दिये गये। ये गांव दिनांक 8 नवम्बर 2001 की अधिसूचना के द्वारा जोधपुर शहरी क्षेत्र में सम्मिलित कर लिए गये थे। विभाग ने अनुज्ञापत्र शुल्क एवं आवेदन शुल्क नगरपालिका की दर से 33.33 लाख रुपये के स्थान पर ग्रामीण दर से 2.78 लाख रुपये प्रभारित किये। इसके परिणामस्वरूप 30.55 लाख रुपये का कम आरोपण हुआ।

मामला जनवरी 2007 में विभाग के ध्यान में लाया गया तथा अप्रैल 2007 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (सितम्बर 2007)।

5.6 शास्ति का कम आरोपण

आर.ई.एक्ट. के सह-पठित भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर/देशी मदिरा के खुदरा अनुज्ञापत्र के नियमों एवं शर्तो में अनुबद्ध है कि यदि अनुज्ञाधारी या उसका प्रतिनिधि मदिरा का अनाधिकृत परिवहन करता पाया जाता है तो किए गए प्रत्येक अपराध के लिए अलग से, कम से कम 5 लाख रुपये की शास्ति आरोपित करनी है।

---

[5] ढाणी को सम्मिलित करते हुए दैजर, बनाड, बिनायकिया, झालामन्ड, पाल, मोगदा खुर्द, बोरानाड़ा एवं तानावाड़ा।

आबकारी आयुक्त (उदयपुर) के अभिलेखों की मापक जांच में प्रकट हुआ कि कोटा समूह के क्षेत्र में देशी मदिरा के अवैध परिवहन के लिए बारां के देशी मदिरा के अनुज्ञाधारी के विरूद्ध दो अपराधिक मामले पंजीकृत किये गये थे। विभाग ने दो अपराधों को एक प्रकरण माना तथा किये गये अपराध की संख्या के आधार पर 10 लाख रुपये के स्थान पर 5 लाख रुपये की शास्ति आरोपित की। इसके परिणामस्वरूप 5 लाख रुपये की शास्ति का कम आरोपण हुआ।

प्रकरण सितम्बर 2006 में विभाग के ध्यान में लाया गया तथा फरवरी 2007 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (सितम्बर 2007)।

अध्याय-VI: कर-इतर प्राप्तियाँ

6.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2006-07 के दौरान वन, गृह (पुलिस) एवं खान एवं भू विज्ञान विभागों के अभिलेखों की मापक जांच में 1,848 प्रकरणों में 560.98 करोड़ रुपये की राशि के राजस्व की अवसूली/कम वसूली प्रकट हुई जो मुख्यतः निम्न श्रेणियों में आती हैः

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
अ. वन विभाग			
1.	वन प्राप्तियाँ	1	80.16
ब. गृह (पुलिस) विभाग			
2.	पुलिस प्राप्तियाँ	1	17. 99
स. खान एवं भू-विज्ञान विभाग			
3.	स्थिर भाटक एवं अधिशुल्क की अवसूली/कम वसूली	643	104.86
4.	अनाधिकृत उत्खनन	406	85.19
5.	शास्ति/ब्याज का अनारोपण	155	7.05
6.	धरोहर राशि का जब्त न करना	490	0.49
7.	अन्य अनियमितताऐं	152	265.24
	योग	**1,848**	**560.98**

वर्ष 2006-07 के दौरान, 1,124 प्रकरणों में 47.92 करोड़ रुपये की कम वसूली एवं अन्य कमियों को विभाग ने स्वीकार किया जिसमें से 13.31 करोड़ रुपयों के 557 प्रकरण वर्ष 2006-07 के दौरान तथा शेष पूर्व के वर्षों में ध्यान में लाये गये। विभाग ने 575 प्रकरणों में 6.14 करोड़ रुपये की वसूली की जिसमें से 1.50 करोड़ रुपयों के 122 प्रकरण लेखापरीक्षा में वर्ष 2006-07 के दौरान तथा शेष पूर्व के वर्षों में ध्यान में लाये गये थे।

ड्राफ्ट पैरा जारी होने के बाद, 2006-07 के दौरान ध्यान में लाये गये एक प्रकरण में विभाग ने 7.16 लाख रुपये वसूल कर लिये।

कुछ निदर्शी प्रकरणों जिनमें 34.30 करोड़ रुपये अन्तर्निहित थे, के मुख्य महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाया गया हैः

अ. वन विभाग

वन प्राप्तियाँ राज्य सरकार की कर-इतर प्राप्तियों के मुख्य स्रोतों में से एक है । तेन्दू पत्तों की नीलामी या विभागीय विक्रय, बांसो का विदोहन एवं इमारती व जलाऊ लकड़ी की बिक्री कुछ महत्वपूर्ण वन प्राप्तियां हैं।

6.2 पेड़ों को नहीं सौंपने के कारण राजस्व हानि

इंदिरा गांधी नहर परियोजना (इ.गा.न.प.) के प्रथम चरण में 1962 से 1988 के दौरान रोपित पेड़ों के पातन के लिए कार्य आयोजना 7 जून 2000 को अनुमोदित हुई। चिन्हित पेड़ों का वर्षवार विदोहन योजना में सन्निहित था। सम्बन्धित प्रादेशिक मण्डलों द्वारा पेड़ों को बीकानेर व सूरतगढ़ विभागीय कार्य मण्डलों (वि.का.म.) को सौंपा जाना था।

दो वि.का.म. के 2001-02 से 2005-06 की अवधि के अभिलेखों की मापक जांच में प्रकट हुआ कि 2001-02 से 2005-06 के दौरान 179 पातन श्रेणियों(स्थानों) में 3,90,999 पेड़ कम सौंपे गये जिनका विवरण निम्न प्रकार है:

क्रम संख्या	मण्डल का नाम	वर्ष	स्थानों की संख्या	कार्य आयोजना अनुसार पातन के लिये अनुमोदित पेड़ों की संख्या	पातन के लिए सौंपे गये पेड़ों की संख्या	कम सौंपे गये पेड़ों की संख्या
1.	वि.का.म., बीकानेर	2001-02	11	88,017	47,601	40,416
		2002-03	9	50,964	25,419	25,545
		2003-04	16	61,293	41,991	19,302
		2004-05	24	1,02,317	55,711	46,606
		2005-06	43	2,32,323	1,01,885	1,30,438
	योग		**103**	**5,34,914**	**2,72,607**	**2,62,307**
2.	वि.का.म., सूरतगढ़	2001-02	3	8,990	6,957	2,033
		2002-03	22	62,094	43,035	19,059
		2003-04	6	50,675	35,802	14,873
		2004-05	31	1,18,370	54,931	63,439
		2005-06	14	61,847	32,559	29,288
	योग		**76**	**3,01,976**	**1,73,284**	**1,28,692**
	कुल योग		**179**	**8,36,890**	**4,45,891**	**3,90,999**

विभाग ने पेड़ों को कम सौपनें के कोई कारण प्रस्तुत नहीं किये। पेड़ों को नहीं सौपने से न्यूनतम कुल हानि[1] 14.91[2] करोड़ रुपये हुई ।

---

[1] न्यूनतम किस्म की लकडी की दरें लागू करने पर अर्थात् जलाऊ लकडी

[2] कार्य योजना अनुसार : एक पेड का वजन = 5 क्विंटल

बीकानेर एवं सूरतगढ़ के लिए प्रति क्विंटल दर क्रमशः 73 रुपये एवं 83 रुपये

2,62,307 x 5 x 73 = 9.57 करोड़

1,28,692 x 5 x 83 = 5.34 करोड़

कुल 14.91 करोड़

मामला विभाग व सरकार को जून व जुलाई 2007 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2007)।

6.3 तेन्दू पत्तों का निस्तारण न होना

वनों में उपलब्ध तेन्दू पत्तों का निस्तारण सार्वजनिक नीलामी द्वारा किया जाता है। विभाग की आरक्षित मूल्य, निर्धारण समिति द्वारा प्रत्येक इकाई के लिए नीलामी हेतु आरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के औसत उत्पादन के आधार पर समिति प्रत्येक इकाई के उत्पादन का अनुमान लगाती है।

जन लेखा समिति ने राज्य राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2000-01 पर चर्चा करते समय अगस्त 2003 में सिफारिश की थी कि तेन्दू पत्तों का विक्रय एक वाणिज्यिक क्रिया है इसलिए विभाग को भविष्य के लेन-देनों में लाभ/हानि का ध्यान रखने हेतु समुचित निर्देश जारी करने चाहिए।

मुख्य वन संरक्षक (तेन्दू पत्ता) द्वारा लेखापरीक्षा को तेन्दू पत्तों के विक्रय से राजस्व वसूली से संबंधित उपलब्ध कराई गई सूचनाओं से प्रकट हुआ कि पिछले पांच वर्षों के दौरान नीचे दर्शाये अनुसार राजस्व में तेजी से गिरावट आयीः

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	वर्ष	इकाईयों की संख्या	राशि	पिछले वर्ष की तुलना में कम संग्रहण	पूर्व वर्ष के राजस्व संग्रहण पर कमी का प्रतिशत
1.	2001-02	221	12.03	-	-
2.	2002-03	218	8.53	3.50	29.09
3.	2003-04	195	7.18	1.35	15.83
4.	2004-05	194	4.56	2.62	36.49
5.	2005-06	194	2.26	2.30	50.43

वर्ष 2001-02 के स्तर के संदर्भ में आगामी वर्षों में राजस्व में सतत् गिरावट के कारण लेखापरीक्षा द्वारा मांगे जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये। लेखापरीक्षा को प्रस्तुत 2005-06 के अभिलेखों से प्रकट हुआ कि वर्ष 2005-06 के दौरान नीलामी हेतु नियुक्त एक समिति द्वारा 2.26 करोड़ रुपये पर 64 इकाइयों को नीलाम किया गया। समिति ने निश्चय किया था कि शेष इकाइयों को पूर्ववर्ती वर्ष के मूल्य के नीचे नहीं बेचा जावे। यह भी सिफारिश की थी कि सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त कर तेन्दू पत्तों का विभागीय संग्रहण करें। शेष बची इकाईयों को यद्यपि नीलाम किया गया किन्तु न्यूनतम आरक्षित मूल्य पर बेचने में असफल रहें। तत्पश्चात्, तेन्दू पत्तों के विभागीय संग्रहण के लिए कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई।

इसके परिणामस्वरूप पिछले तीन वर्षो के दौरान औसत आरक्षित मूल्य 6.75 करोड़ रुपये के आधार पर 4.49 करोड़ रुप्ये की न्यूनतम हानि हुई।

प्रकरणों को ध्यान दिलाये जाने के बाद, मुख्य वन संरक्षक (तेन्दू पत्ता) ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि तेन्दू पत्तों का विभागीय संग्रहण लागत प्रभावी नहीं था। तथापि, विभाग द्वारा तथ्यों को न तो सरकार के ध्यान में लाया गया ना ही कोई प्रस्ताव तेन्दु पत्तों की इकाइयों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य से कम प्रस्तावित मूल्य को राजस्व हानि की प्रवृति को बदलने हेतु सरकार को भेजे गये।

6.4 अदावी प्रतिभूति जमाऐं

सार्वजनिक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 601 के अनुसार "जमाऐं" शीर्ष के अन्तर्गत समस्त शेषों, जो कि तीन वर्षो से अधिक तक अदावी रहती है, को व्यपगत जमाओं के रूप में "राजस्व" शीर्ष में जमा की जानी हैं।

10 वन मण्डलों[3] की मापक जांच के दौरान, यह ज्ञात हुआ कि अवधि 1995-96 व 2002-03 के मध्य 202 जमाकर्ताओं द्वारा कुल 9.24 लाख रुपये की प्रतिभूति जमाऐं अदावी रही। विभाग ने नियमानुसार जमाओं को राजस्व मद में जमा कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की।

उपरोक्त के अतिरिक्त, 1.99 लाख रुपये की प्रतिभूति जमाऐं तीन वर्षो से अधिक तक अदावी रही लेकिन विभाग के पास जमाओं का विवरण उपलब्ध नहीं था। आवश्यक विवरण प्राप्त करने के पश्चात् राशि को जब्त करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई।

ब. गृह (पुलिस) विभाग

6.5 मांग कायम न करना

पुलिस अधिनियम, 1861 के अनुच्छेद 13 के अन्तर्गत गृह (पुलिस) विभाग ने निर्देश (मई 1998) जारी किये कि विभिन्न संगठनों को पुलिस बलों के अभिनियोजन की लागत की वसूली के सम्बन्ध में बिल बनाये जाने चाहिए एवं जिला स्तर पर भुगतान की निगरानी रखनी चाहिए।

दो पुलिस अधीक्षकों (पु.अ.) के कार्यालयों की मापक जांच में प्रकट हुआ कि अवधि 2002-03 से 2005-06 के लिए डाक घरों एवं बैंकों में 178 पुलिस कर्मियों को अभिनियोजित किया गया था। तथापि, नीचे दर्शाये अनुसार इन संगठनों के विरूद्ध

[3] मण्डल वन अधिकारी, अजमेर, बांसवाडा, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौडगढ, डूंगरपुर, जयपुर (सी), जयपुर (एस), झालावाड़ एवं कोटा।

51.73 लाख रुपयों की पुलिस लागत की मांग कायमी के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गईः

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	कार्यालय/संस्था का नाम	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	योग
1	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, श्रीगंगानगर	0.04	0.42	0.25	0.16	0.87
2	मुख्य डाक घर					
	• जवाहर नगर,जयपुर	2.75	3.01	3.31	3.64	12.71
	• शास्त्रीनगर, जयपुर	2.75	3.01	3.31	3.64	12.71
	• एम.आई. रोड, जयपुर	5.49	6.03	6.63	7.29	25.44
	योग	**11.03**	**12.47**	**13.50**	**14.73**	**51.73**

प्रकरणों का ध्यान दिलाये जाने बाद सरकार ने अगस्त 2007 में तथ्य स्वीकार किये तथा बताया कि वसूली हेतु प्रयास किये जा रहे थे (सितम्बर 2007) ।

6.6 पुलिस बल के अधिक अभिनियोजन पर प्रभारों का वसूल न होना

भारतीय रेलवे वित्त संहिता खण्ड-I के प्रावधानों के अनुसार, राजकीय रेलवे पुलिस (जी.आर.पी.) की लागत राज्य सरकार व रेलवे के मध्य 50:50 के आधार पर समानरूप से विभाजित की जाती है। यह इस शर्त के अधीन था कि राजकीय रेलवे पुलिस की संख्या रेलवे के अनुमोदन पर निर्धारित होगी। राजकीय रेलवे पुलिस की लागत में कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन अंशदान शामिल हैं।

महानिदेशक पुलिस जयपुर के अभिलेखों की मापक जाँच में प्रकट हुआ कि पुलिस विभाग ने स्वीकृत संख्या से अधिक 71 पुलिस कर्मियों को 1996 से रेलवे में अभिनियोजित किया। अधिक अभिनियोजन के सम्बन्ध में विभाग या सरकार ने रेलवे से उनकी अनुमोदन प्राप्ति के लिए प्रकरण को मार्च 2003 तक नहीं उठाया। इसके पश्चात्, यद्यपि पुलिस विभाग द्वारा रेलवे पर 52.43 लाख रुपये के दावे पेश किये लेकिन इन कर्मियों के सम्बन्ध में रेलवे द्वारा पुनर्भरण नहीं किया गया। इस प्रकार, रेलवे के अनुमोदन के बिना पुलिस कर्मियों के अभिनियोजन के परिणामस्वरूप जी.आर.पी. की 52.43 लाख की राशि का कम पुनर्भरण हुआ।

प्रकरण ध्यान दिलाये जाने के पश्चात् सरकार ने अगस्त 2007 में तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि अधिक अभिनियोजन की रेलवे बोर्ड से अनुमोदन प्राप्ति एवं विचाराधीन दावों के पुनर्भरण के लिए प्रयास किये जावेंगे (सितम्बर 2007)।

6.7 पुलिस लागत की कम वसूली

गृह विभाग ने मई 1998 में पुलिस कर्मियों के अभिनियोजन की लागत को संशोधित किया जो 1 जनवरी 1998 से प्रभावी थी। दरें मुख्य आरक्षी के लिए 200 रुपये से 300 रुपये प्रतिदिन एवं आरक्षी के लिए 175 रुपये से 250 रुपये प्रतिदिन संशोधित की गई। इन आदेशों में आगे यह भी अनुबद्ध किया गया कि दरें 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ाई जावेंगी।

तीन[4] पुलिस अधीक्षक कार्यालयों की मापक जांच में प्रकट हुआ कि जनवरी 2002 के पश्चात् 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि को जोड़े बिना बैंकों के विरूद्ध बिल बनाये गये। जिसके परिणामस्वरूप अप्रेल 2002 से मार्च 2006 की अवधि के दौरान 7.28 लाख रुपये की पुलिस लागत की कम वसूली हुई।

प्रकरण ध्यान में दिलाये जाने के पश्चात्, सरकार ने अगस्त 2007 में तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि 3.61 लाख रुपये की वसूली कर ली गई है तथा शेष राशि की वसूली के प्रयास किये जा रहे थे (सितम्बर 2007)।

(स) खान एवं भू-विज्ञान विभाग

6.8 ठेकेदारों द्वारा अनाधिकृत उत्खनन

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत (आर.एम.एम.सी.) नियमों के नियम 63(6) में प्रावधान है कि ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्य में उपयोग लिए जाने वाले खनिजों के लिए संबंधित खनि अभियन्ता(ख.अ.)/सहायक खनि अभियन्ता (स.ख.अ.) से अग्रिम में अल्पावधि अनुमति पत्र (एस.टी.पी.) प्राप्त करना होगा। यदि परमिट धारक ने एस.टी.पी. में स्वीकृत मात्रा के 25 प्रतिशत से अधिक मात्रा में उत्खनन किया है एवं खनिज हटाया है तो परमिट में स्वीकृत मात्रा से अधिक उत्खनित एवं हटाई गई समस्त मात्रा को अनाधिकृत उत्खनन माना जावेगा एवं परमिट धारक ऐसे अधिक उत्खनित एवं हटाये गये खनिज का मूल्य भुगतान करने का दायी होगा जो कि आर.एम.एम.सी. नियमों के नियम 48 के अनुसार निर्धारित प्रचलित दरों पर रायल्टी का 10 गुणा होगा।

खनि अभियन्ता बून्दी-II, उदयपुर एवं सहायक खनि अभियन्ता, जालौर के अभिलेखों की संवीक्षा में अगस्त एवं नवम्बर 2006 के मध्य प्रकट हुआ कि ठेकेदारों ने बिना एस.टी.पी. अथवा एस.टी.पी. में अनुमत्य मात्रा से अधिक खनिज का उत्खनन/उपयोग किया। खनिज का मूल्य राशि 5.08 करोड़ रुपये यद्यपि वसूली योग्य थे जो नीचे

[4] जैसलमेर, सवाईमाधोपुर, सीकर

दर्शाये अनुसार वसूल नहीं किये गये:

(लाख रुपयो में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	निर्माण कार्यो की संख्या	खनिज	अनुमत्य मात्रा (मै.टन)	उपयोग की मात्रा (मै.टन)	अधिक उपयोग की मात्रा (मै.टन)	खनिज का मूल्य (रुपये/ मै.टन)	कुल वसूली योग्य मूल्य
1.	ख.अ., बून्दी II	1	सैण्ड	-	1,42,290	1,42,290	80	113.83
			मिट्टी	-	20,47,039	20,47,039	15	307.06
								420.89
टिप्पणीः- विभाग से एस.टी.पी. प्राप्त किये बिना ही सैण्ड एवं मिट्टी अनाधिकृत रूप से हटायी गयी थी। प्रकरण इंगित करने के पश्चात् खनि अभियन्ता ने अप्रेल 2007 में 4.21 करोड़ रुपये की मांग कायमी कर दी एवं बताया कि भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत वसूली की जा रही थी।								
2.	ख.अ., उदयपुर	2	मिट्टी	2,89,800	8,00,062	5,10,262	15	76.54
			पत्थर	708	4,609	3,901	50	1.95
			बजरी	635	2,073	1,438	60	0.86
			गिट्टी	-	1,052	1,052	50	0.53
								79.88
टिप्पणीः- एस.टी.पी. प्राप्त किये बिना खनिज अनाधिकृत रूप से या तो हटाया गया या अनुमत्य से अधिक ले जाया गया। 7.99 लाख रुपये की रायल्टी के समायोजन के बाद राशि रुपये 71.89 लाख की वसूली खनि अभियन्ता द्वारा अपेक्षित थी। प्रकरण ध्यान दिलाये जाने के पश्चात् खनि अभियन्ता ने संबंधित ठेकेदार को मूल्य की वसूली के लिए अप्रेल 2007 में नोटिस जारी कर दिया।								
3.	स.ख.अ., जालौर	2	मिट्टी	-*	39,105	39,105	15	5.86
			पत्थर	1,610	2,410	800	80	0.64
			सैण्ड	490	786	296	80	0.24
								6.74
टिप्पणीः- प्रकरण ध्यान दिलाये जाने के पश्चात् खनि अभियन्ता ने संबंधित ठेकेदार को कीमत वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिया।								
				योग				**507.51**

मामला सरकार को दिसम्बर 2006 एवं फरवरी 2007 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2007)।

* विभाग से एस.टी.पी. प्राप्त किये बिना खनिज मिट्टी अनाधिकृत रूप से हटायी गयी।

6.9 संविदा राशि के संशोधन न करने/कम करने से राजस्व हानि

6.9.1 आर.एम.एम.सी. नियमों के अनुसार ठेकेदार द्वारा प्रतिवर्ष संदत्त की जाने वाली रायल्टी, ठेका स्वीकृति हेतु अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जावेगी। यदि सरकार द्वारा रायल्टी की दरें बढ़ा दी जाती हैं तो ठेकदार संविदा की शेष अवधि के लिए ऐसी वृद्धि की तारीख से बढ़ी हुई संविदा राशि संदाय करने का दायी होगा। विभिन्न खनिजों की रायल्टी की दरें 25 मई 2004 व 12 जून 2004 से प्रभावी की जाकर बढ़ाई गई थी।

पाँच कार्यालयों में, यह विदित हुआ कि अधिशुल्क निर्धारण अधिकारियों द्वारा खनिज संगमरमर, चूना पत्थर, ग्रेनाइट ब्लॉक, खण्डा[5] तथा चिनाई के पत्थर के निर्गमन पर 24 मई 2004 को वार्षिक रूप से 27.53 करोड़ रुपये की रायल्टी का संग्रहण किया गया जिसमें से 6.52 करोड़ रुपये पट्टेधारियों द्वारा संदत्त स्थिर भाटक के पेटे समायोजित किया जाना था। शेष 21.01 करोड़ रुपये अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका (ई.आर.सी.सी.)[6] के द्वारा संग्रहित वार्षिक ठेका राशि थी। रायल्टी की दरों में संशोधन के कारण कुल वार्षिक रायल्टी 25 मई 2004 से प्रभावी होकर 38.01 करोड़ रुपये एवं 12 जून 2004 से प्रभावी की जाकर 34.24 करोड़ रुपये पर होती है। पट्टेधारियों द्वारा संदत्त वार्षिक स्थिर भाटक को समायोजित करने के पश्चात् वार्षिक ठेका राशि क्रमशः 31.49 करोड़ रुपये एवं 27.72 करोड़ रुपये पर संशोधित होनी थी। इसके स्थान पर विभाग ने वार्षिक ठेका राशि क्रमशः 28.41 करोड़ रुपये एवं 25.54 करोड़ रुपये पर संशोधित की। इसके परिणामस्वरूप अवधि 25 मई 2005 से 31 मार्च 2006 तक 3.26 करोड़ रुपये की हानि हुई।

प्रकरण मार्च 2007 में विभाग के ध्यान में लाया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2007)।

6.9.2 आर.एम.एम.सी. नियमों के अनुसार वार्षिक ठेका राशि का 12.5 प्रतिशत प्रतिभूति जमा के रूप में ठेकेदार द्वारा विभाग को जमा किया जाना आवश्यक होता है।

सोजत शहर में, एक ठेकेदार के सम्बन्ध में ई.आर.सी.सी. को 25 मई 2004 से संशोधित नहीं किया गया था। ठेकेदार संशोधित दर के अनुसार 23.91 लाख रुपये जमा कराने का दायी था उसने पूर्व संशोधित दर के अनुसार 15.23 लाख रुपये जमा कर दिये। ठेकेदारं द्वारा भुगतान योग्य अतिरिक्त प्रतिभूति जमा 8.68 लाख रुपये वसूल नहीं किये गये। किश्तों के जमा नहीं कराने के कारण विभाग द्वारा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए ठेका समाप्त कर दिया गया। ई.आर.सी.सी. का संशोधन न करने के परिणामस्वरूप प्रतिभूति के 8.68 लाख रुपये की हानि हुई। इसके अतिरिक्त ठेका राशि के संशोधन के 1.33 लाख रुपये ठेकेदार से वसूल नहीं किये गये।

---

[5] संगमरमर जिनका आयाम 35 से.मी. से अधिक न हो

[6] निर्दिष्ट खनिज एवं क्षेत्र के लिए स्थिर भाटक से अधिक अधिशुल्क का संग्रहण करने हेतु दी गई संविदा

प्रकरण ध्यान दिलाये जाने के पश्चात् विभाग ने लेखापरीक्षा आक्षेप को स्वीकार कर लिया और दिसम्बर 2006 में बताया कि ठेकेदार के विरूद्ध 10.01 लाख रुपये की मांग कायम की जा चुकी है।

प्रकरण सरकार को नवम्बर 2006 एवं मार्च 2007 के मध्य सूचित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2007)।

6.10 रायल्टी का कम निर्धारण

आर.एम.एम.सी. के नियमों के नियम 18(9)(स) में प्रावधान है कि पट्टेदार विभागीय मुद्रांकित रवन्ना[7] के बिना खान से खनिज को न तो हटायेगा या निर्गमन करेगा या उपयोग में लायेगा। मार्च 2002 से प्रवर्तित संगमरमर नीति के अनुसार, इस नीति के आरम्भ होने की दिनांक से एक वर्ष के अन्दर पट्टेधारियों को खनन योजना प्रस्तुत करना आवश्यक था।

ऋषभदेव (उदयपुर) में, नवम्बर 2006 में यह ज्ञात हुआ कि संगमरमर के लिए एक खनन पट्टा अक्टूबर 1981 में एक पट्टेधारी को स्वीकृत किया गया। पट्टेधारी द्वारा प्रस्तुत एवं अतिरिक्त निदेशक(भू विज्ञान) द्वारा नवम्बर 2003 में अनुमोदित खनन योजना से ज्ञात हुआ कि 1981-82 से 2002-03 में पट्टेधारी ने 1,59,408 मैट्रिक टन संगमरमर ब्लॉक एवं 1,59,408 मैट्रिक टन लफर[8] का उत्खनन किया। खनि अभियन्ता ने निर्धारण वर्ष 1981-82 से 2002-03 तक के लिए 25,966 मैट्रिक टन संगमरमर ब्लाक पर पट्टेधारी का निर्धारण किया। स.ख.अ. ने पट्टेधारी द्वारा प्रस्तुत खनन योजना का अधिशुल्क निर्धारण के साथ खनन योजना अनुमोदित होने अर्थात् नवम्बर 2003 तक प्रति सत्यापन नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप 3.02 करोड़ रुपये मूल्य के 1,33,442 मैट्रिक टन संगमरमर ब्लाक व 1,59,408 मैट्रिक टन लफर का कम निर्धारण हुआ।

प्रकरण ध्यान दिलाये जाने के बाद, विभाग ने जुलाई 2007 में बताया कि लेखापरीक्षा आपत्ति खनन योजना में दर्शित कुल उत्पादन पर आधारित थी जिसमें अपशिष्ट की सम्भावना को शामिल नहीं किया गया। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि पूर्व में किये कार्य के आधार पर उत्पादन का 40 प्रतिशत अपशिष्ट पहले ही खनन योजना में शामिल किया गया है।

प्रकरण जनवरी 2007 में सरकार को सूचित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (सितम्बर 2007)।

---

[7] खानों से खनिज निर्गमन या हटाने के लिए डिलीवरी चालान

[8] संगमरमर, सरपेन्टाइन एवं अन्य कम सजावटी पत्थरों के असामान्य ब्लाक जिनका एक आयाम 35 सेन्टीमीटर से कम और दूसरा आयाम 60 सेन्टीमीटर से कम हो।

6.11 प्रीमियम प्रभारों की कम वसूली

राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 27 अप्रेल 2005 से 14 विभिन्न क्षेत्रों में जिप्सम के उत्खनन/निर्गमन के लिए राज्य सरकार की एक कम्पनी एवं केन्द्रीय सरकारी निगम[9] को अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया। प्रत्येक क्षेत्र से प्रत्येक माह 2000 टन की न्यूनतम मात्रा में जिप्सम का उत्पादन एवं निर्गमन किया जाना अभिकर्ताओं के लिए आवश्यक था, जिसमें असफल होने पर इन अभिकर्ताओं द्वारा न्यूनतम प्रीमियम प्रभार 40,000 रुपये खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता को भुगतान करना होगा।

खनि अभियन्ता (बीकानेर) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान फरवरी 2007 में यह प्रकट हुआ कि मई 2005 से दिसम्बर 2006 के मध्य विभिन्न अवधि में अभिकर्ता उनको आवंटित 14 क्षेत्रों में न्यूनतम मात्रा 2000 टन जिप्सम प्रत्येक माह उत्पादन करने एवं निर्गमन करने में असफल रहे। इस प्रकार, न्यूनतम प्रीमियम प्रभार के 97.60[10] लाख रुपये की न तो मांग कायमी की गई और न ही वसूली की गई।

प्रकरण ध्यान दिलाये जाने के बाद, विभाग ने स्वीकार किया (फरवरी 2007) कि लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान मे लाई गई अवधि के दौरान कोई उत्खनन नहीं हुआ। तथापि, प्रीमियम प्रभारों के आरोपण के बारे में उत्तर मौन था।

प्रकरण सरकार को सूचित किया (मार्च 2007) उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2007)।

6.12 ब्याज की मांग कायम न करना

6.12.1 आर.एम.एम.सी. नियमों के नियम 37(2) के अन्तर्गत अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका की निबन्धनों एवं शर्तो के अनुसार, ठेकेदार को संविदा में निहित बन्धनों के अनुरूप ठेका राशि की किश्त का भुगतान करना होता है और यदि देय तिथि पर कोई राशि भुगतान नहीं की जाती है तो 17 दिसम्बर 2004 तक 20 प्रतिशत वार्षिक की दर एवं 18 दिसम्बर 2004 से प्रभावी 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज के साथ ही भू-राजस्व के बकाया के रूप में संग्रह किया जावेगा। यह सम्बन्धित नियमों के अधीन ठेके के निरस्तीकरण या शास्ति के अधिरोपण के लिए किसी अन्य कार्यवाही के अतिरिक्त है।

राजसमन्द मण्डल-I एवं जयपुर में (अक्टूबर व नवम्बर 2006 के मध्य) यह प्रकट हुआ कि तीन ई.आर.सी.सी. में, वार्षिक ठेका राशि को 12 मासिक किश्तों में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अग्रिम रूप से ठेकेदारों द्वारा भुगतान करना था जिसे देय तिथि को भुगतान नहीं किया गया। 52.35 लाख रुपये की ब्याज राशि या तो वसूल नहीं की या

[9] राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड एवं भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड

[10] गणना: कुल अनुत्पादक महीने = 244 x 40,000 = 97,60,000

कम वसूल की गई जैसा नीचे दर्शित है:

क्र.सं.	मण्डल का नाम	खनिज का नाम एवं ठेका राशि	ठेका अवधि	ब्याज राशि (लाख रुपयों में)		
				अधिरोपण योग्य	अधिरोपित	कम अधिरोपित
1	खनि अभियन्ता, राजसमन्द-I	संगमरमर, (24.51 करोड़ रुपये)	31.12.01 से 31.12.03	27.42	15.44	11.98
2	खनि अभियन्ता, राजसमन्द-I	संगमरमर, (36.52 करोड़ रुपये)	18.7.03 से 31.3.05	8.79	3.50	5.29
टिप्पणी:-प्रकरण ध्यान दिलाये जाने के पश्चात् सरकार ने अप्रेल 2007 में बताया कि दोनों प्रकरणों में मांग कायम कर दी गई है एवं भू राजस्व अधिनियम के तहत वसूली प्रारम्भ की जा रही थी।						
3.	खनि अभियन्ता, जयपुर	संगमरमर, चूना पत्थर, संगमरमर खण्डा एवं डोलोमाइट (5.11 करोड़ रुपये)	21.6.02 से 31.3.04	35.08	शून्य	35.08
टिप्पणी:-प्रकरण ध्यान दिलाये जाने के पश्चात् सरकार ने अप्रेल 2007 में बताया कि मांग कायम कर दी गई।						
	योग			**71.29**	**18.94**	**52.35**

6.12.2 खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 64 अ में प्रावधान है कि देय रायल्टी पर नियत दिनांक की समाप्ति के 60 वें दिन से जब तक कि भुगतान किया जाता है, राज्य सरकार 24 प्रतिशत की दर पर साधारण ब्याज प्रभारित कर सकेगी।

श्रीगंगानगर में, दिसम्बर 2006 में ध्यान में आया कि मई 1996 से जिप्सम के लिए खनन पट्टे आर.एस.एम.एम. लिमिटेड को स्वीकृत थे। लेखापरीक्षा की सूक्ष्म जांच में प्रकट हुआ कि वर्ष 2003-04 से 2005-06 तक की संबन्धित रायल्टी का भुगतान 60 दिनों के पश्चात् 28 से 669 दिनों तक की देरी से किया गया। लेकिन सहायक खनि अभियन्ता ने विलम्बित भुगतानों के लिए ब्याज आरोपित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप 12.84 लाख रुपये के ब्याज की अवसूली रही।

प्रकरण ध्यान दिलाये जाने के पश्चात् खनि अभियन्ता ने बताया कि रायल्टी के देरी से भुगतान पर पट्टेधारियों को आरोपणीय ब्याज जमा कराने को कहा गया हैं।

मामला विभाग के ध्यान में लाया गया (जनवरी 2007) एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2007); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2007)।

6.13 देय रायल्टी के विरूद्ध आयकर के समायोजन के कारण हानि

आयकर अधिनियम की धारा 206 सी(1 सी) में दिनांक 1 अक्टूबर 2004 के संशोधन के अनुसार कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति, प्रावधानों के अनुरूप इसे संग्रहण करने में असफल रहने पर, एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज के साथ कर संदाय करने का दायी है। राज्य सरकार ने निदेशक, खान एवं भू विज्ञान, राजस्थान, उदयपुर को खनन पट्टों से रायल्टी पर ही दो प्रतिशत आयकर स्रोत पर वसूल करने को 9 मार्च 2006 को अधिकृत किया।

राजसमन्द में, यह ज्ञात हुआ कि एक ई.आर.सी.सी. एक ठेकेदार "अ" को 18 जुलाई 2003 एवं 31 मार्च 2005 के मध्य की अविध के लिए आवंटित हुआ। 1 अक्टूबर 2004 से 31 मार्च 2005 की अवधि के लिए संविदा राशि 21.18 करोड़ रुपये थी। ठेकेदार से आयकर के 42.36 लाख रुपये खान विभाग को संग्रह करने थे। तथापि, खनि अभियन्ता द्वारा इसे संग्रहित नहीं किया। इसके उपरान्त आयकर विभाग ने मार्च 2005 में 42.36 लाख रुपये की मांग कायमी कर दी एवं स्रोत पर ही कर संग्रहित करने एवं केन्द्र सरकार के लेखें में इसे जमा कराने हेतु खनि अभियन्ता को निर्देशित किया। तथापि, संबंधित खनि अभियन्ता द्वारा न तो कर का संग्रहण किया और न ही जमा कराया गया। यह अभिलेख में कही भी अभिलिखित नहीं था कि निदेशक, खान एवं भू विज्ञान ने खनि अभियन्ता को कर राशि संग्रहण के लिए मार्च 2006 तक कभी निर्देशित किया हों। अतः ठेकेदार "अ" से वसूली योग्य आयकर वसूल नहीं हुआ। ठेका 31 मार्च 2005 को समाप्त हो गया।

अन्य ठेकेदार "ब" ने विभाग के साथ उसी क्षेत्र के लिए ई.आर.सी.सी. अनुबन्ध किया। इससे आयकर विभाग द्वारा कहा गया कि प्रथम ठेकेदार "अ" के विरूद्ध बकाया देय आयकर का भुगतान करे जो कि खान एवं भू विज्ञान विभाग द्वारा संग्रहित किया जाना अपेक्षित था। ठेकेदार "ब" द्वारा खनि अभियन्ता को यह सूचित करते हुए राशि जमा करा दी कि उक्त वर्णित राशि भविष्य की किश्तों मार्च एवं अप्रेल 2006 के विरूद्ध उसके द्वारा समायोजित कर ली जावेगी। खनि अभियन्ता ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस प्रकार देय रायल्टी के विरूद्ध आयकर के समायोजन करने के फलस्वरूप 51.05 लाख रुपये की ब्याज सहित हानि हुई।

प्रकरण ध्यान में लाये जाने के पश्चात् सरकार ने जुलाई 2007 में सूचित किया कि आयकर आयुक्त, उदयपुर द्वारा अपील खारिज करने के कारण माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई।

6.14 बिना रवन्नाओं के खनिज संप्रेषण के कारण राजस्व की कम वसूली

ई.आर.सी.सी. के अनुबन्ध के अनुसार ठेकेदार केवल पट्टेधारी द्वारा जारी मान्य रवन्नाओं[11] धारित वाहनों से ही राशि संग्रहण करेगा। बिना रवन्ना के खनिज ले जाने वाले वाहनों के मामलें में, ठेकेदार ऐसे वाहनों को खनि अभियन्ता को सुपुर्द करेगा। अनाधिकृत खनिज के संप्रेषण के मामले में, विभाग खनिज के अधिशुल्क का 10 गुणा वसूली हेतु अधिकृत हैं।

भीलवाड़ा में, फरवरी 2007 में ज्ञात हुआ कि तहसील कोटड़ी से खनिज संगमरमर के संप्रेषण के लिए ई.आर.सी.सी. 28 अप्रेल 2004 से 31 मार्च 2006 तक की अवधि हेतु एक फर्म को दिया गया। ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत अधिशुल्क की रिटर्न से प्रकट हुआ कि बिना रवन्ना के खनिज ले जाने वाले 73 वाहनों से अधिशुल्क संग्रह कर लिया गया। विभाग द्वारा उच्च दर पर अधिशुल्क आरोपण करने हेतु ठेकेदार ने इन वाहनों को खनि अभियन्ता को सुपुर्द नहीं किया। रिटर्नों की जांच के समय गलती का पता लगाने में विभाग असफल रहा। इसके परिणामस्वरूप खनिज के अनाधिकृत संप्रेषण के रूप में 29.37 लाख रुपये की अवसूली रही।

मामला विभाग के ध्यान में मार्च 2007 में लाया गया तथा सरकार को अप्रेल 2007 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (सितम्बर 2007)।

6.15 दोषी ठेकेदारों से रायल्टी की कम वसूली

एम.एम.आर.डी. अधिनियम या उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों में, खान विभाग में अधिशुल्क निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिशुल्क निर्धारण को निर्णीत करने की समय सीमा का कोई प्रावधान नहीं है। पट्टा अनुबन्ध शर्तो के किसी भी उल्लंघन पर सक्षम प्राधिकारी खनन पट्टे को समाप्त कर सकता है।

सोजत शहर एवं अजमेर में, जुलाई 2006 एवं सितम्बर 2006 के मध्य यह ज्ञात हुआ कि चूना पत्थर एवं संगमरमर खनिज के सात खनन पट्टे वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान शर्तो के उल्लंघन पर यथा स्थिर भाटक का भुगतान न करना, प्रतिभूति राशि प्रस्तुत नहीं करना, खनन पट्टों के नवीनीकरण के लिए औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं करना आदि के कारण निरस्त/अस्वीकार कर दिये गये थें। अवधि 2001-02 से 2004-05 की अवधि के लिए खनिज चूना पत्थर एवं संगमरमर के उत्खनन के लिए इन खनन पट्टेधारियों द्वारा अधिशुल्क राशि के 70.08 लाख रुपये भुगतान करने योग्य थे। इस अवधि में पट्टेधारियों ने केवल 50.23 लाख रुपये का

[11] खानों से खनिज निर्गमन या हटाने के लिए डिलीवरी चालान

भुगतान किया। तथापि, विभाग ने अधिशुल्क निर्धारण को अंतिम रूप नहीं दिया। अतः इस अवधि की मांग कायमी नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप 19.85 लाख रुपये की कम वसूली हुई।

प्रकरणों को ध्यान दिलाये जाने के पश्चात् विभाग ने सितम्बर 2007 में बताया कि खनि अभियन्ता (अजमेर) द्वारा 2.58 लाख रुपये वसूल कर लिए तथा शेष प्रकरणों में मांग कायमी कर दी गई है।

मामला सरकार को सितम्बर 2006 तथा मार्च 2007 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2007)।

6.16 ईंट-भट्टों द्वारा अनाधिकृत उत्खनन

आर.एम.एम.सी. नियमों के नियम 48 में प्रावधान है कि जब कभी कोई व्यक्ति किसी भूमि से खनिज उठाता है एवं ऐसा उठाया गया खनिज बिना किसी विधिक प्राधिकार के पहले ही संप्रेषित या उपयोग कर लिया गया है, तो वह ऐसे उत्खनित खनिज के मूल्य के संदाय के लिए दायी होगा। खनिज के मूल्य की गणना प्रचलित दरों पर संदेय अधिशुल्क के 10 गुणा से होती है।

जयपुर में, नवम्बर 2006 में यह ज्ञात हुआ कि एक ईट-भट्टा के तीन निरीक्षण फरवरी 2004 व अप्रेल 2005 के मध्य विभाग द्वारा किये गये। इन सभी निरीक्षणों में ईट-भट्टा संचालन में पाया गया तथा बिना किसी विधिक प्राधिकार के चल रहा था। सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर भट्टे की वार्षिक क्षमता 15,750 मैट्रिक टन[12] (30 घोड़ियां) ईट मिट्टी की थी। अभिलेखों से कही पर यह इंगित नहीं होता कि ईट-भट्टा इस अवधि के दौरान कभी भी बंद रहा हों। भट्टे से 4 फरवरी 2004 एवं 9 अप्रेल 2005 के मध्य अनाधिकृत उत्खनित खनिज के मूल्य के रूप में 13.89 लाख रुपये भुगतान करने हेतु उत्तरदायी था। विभाग ने नियमों के अन्तर्गत खनिज के मूल्य निर्धारण के कोई प्रयत्न नहीं किये। इसके बजाय, स्थल पर पाई गई 4.45 लाख ईंटों के मूल्य के रूप में केवल एक लाख रुपये की मांग की गई। इसके परिणामस्वरूप 12.89 लाख रुपये की कम वसूली हुई।

[12] ईंट-भट्टे की क्षमता मैट्रिक टनों में = 150 x डब्ल्यू x एन = (150 x 3.5 x 30 = 15,750 मैट्रिक टन) जहाँ पर 'डब्ल्यू' से मानक माप की 1,000 ईंटों का टनों में वजन व 'एन' भट्टे में उर्ध्व स्तम्भों (घोड़ी) से अभिप्रेत है।

प्रकरण ध्यान दिलाये जाने के पश्चात् खनि अभियन्ता ने जुलाई 2007 में 12.89 लाख रुपये की मांग कायमी कर दी तथा सूचित किया कि भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत वसूली की जा रही थी।

मामला विभाग के ध्यान में नवम्बर 2006 में लाया गया तथा सरकार को मार्च 2007 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2007)।

सतीश लूम्बा

जयपुर
दिनांक 22 Feb. 2008 फरवरी

(सतीश लूम्बा)
महालेखाकार
(वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 25 Feb. 2008 फरवरी

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट-अ
(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.13)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाये गये अनुच्छेद एवं जो 30 सितम्बर 2007 को जन लेखा समिति में चर्चा हेतु बकाया थे, की स्थितिः

कर का नाम		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	योग
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	15	7	6	14	42
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	7	6	14	27
मोटर वाहनों पर कर	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	7	3	8	6	24
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	-	8	6	14
भू-राजस्व	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	2	2	4	2	10
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	-	4	2	6
मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	1	4	3	3	11
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	4	3	3	10
राज्य आबकारी शुल्क	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	5	3	4	2	14
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	-	-	2	2
भूमि एवं भवन कर	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	3	5	-	-	8
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	5	-	-	5
खनन	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	8	5	1	9	23
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	5	1	9	15
अन्य	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	4	2	1	3	10
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	1	2	-	3	6
योग	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	45	31	27	39	142
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	1	23	22	39	85

परिशिष्ट-ब

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.13)

30 सितम्बर 2007 को विभागों से बकाया क्रियान्विति विषयक प्रतिवेदनों की स्थितिः

क्र. सं.	जन लेखा समिति के प्रतिवेदनो के क्रमांक	विधानसभा में उपस्थापित दिनांक	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	बकाया क्रियान्विति विषयक प्रतिवेदन
1.	31वां प्रतिवेदन 1999-2000	31.3.2000	खान	1991-92	3
2.	32वां प्रतिवेदन 1999-2000	31.3.2000	खान	1992-93	1
3.	36वां प्रतिवेदन 1999-2000	31.3.2000	खान	1996-97	1
4.	119वां प्रतिवेदन 1997-98	27.7.2000	परिवहन	1994-95 एवं 1995-96	45
5	134वां प्रतिवेदन 2002-03	1.7.2003	खान	1997-98	5
6.	135वां प्रतिवेदन 2002-03	1.7.2003	खान	1998-99	6
7.	208वां प्रतिवेदन 2003-04	22.7.2003	खान	1999-2000	10
8.	209वां प्रतिवेदन 2003-04	22.7.2003	खान	2000-01	5
9.	210वां प्रतिवेदन 2003-04	25.8.2003	देवस्थान	1997-98	14
10.	216वां प्रतिवेदन 2003-04	25.8.2003	भू-राजस्व	1998-99	14
11.	217वां प्रतिवेदन 2003-04	25.8.2003	बिक्री कर	1998-99	15
12.	219वां प्रतिवेदन 2003-04	8.8.2003	सिंचाई	1998-99 एवं 2000-01	8
13.	75वां प्रतिवेदन 2004-05	16.7.2004	बिक्री कर	2000-01	4
14.	88वां प्रतिवेदन 2004-05	2.12.2004	बिक्री कर	2001-02	3
15.	89वां प्रतिवेदन 2004-05	2.12.2004	भू-राजस्व	2000-01	3
16.	98वां प्रतिवेदन 2004-05	31.3.2005	राज्य आबकारी	2001-02	5
17.	132 वां प्रतिवेदन 2005-06	4.3.2006	परिवहन	2001-02	4
18.	133 वां प्रतिवेदन 2005-06	4.3.2006	परिवहन	2002-03	7
19.	116 वां प्रतिवदेन 2005-06	4.3.2006	भूमि भवन कर	2000-01 एवं 2001-02	11
20.	119 वां प्रतिवेदन 2005-06	4.3.2006	परिवहन	2000-01	6
21.	138 वां प्रतिवेदन 2005-06	27.3.2006	पंजीयन एवं मुद्रांक	2000-01	4
22.	139वां प्रतिवेदन 2005-06	27.3.2006	पंजीयन एवं मुद्रांक	2001-02	5
23.	168 प्रतिवेदन 2006-07	4.10.2006	राज्य आबकारी	2002-03	15
24.	167वां प्रतिवेदन 2006-07	4.10.2006	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	2003-04 एवं 2004-05	1
25.	187 वां प्रतिवेदन 2006-07	29.3.2007	आबकारी	2003-04 एवं 2004-05	7
26.	189 वां प्रतिवेदन 2006-07	29.3.2007	भूमि भवन कर	1999-2000	6
27.	190 वां प्रतिवेदन 2006-07	29.3.2007	भू-राजस्व	1999-2000	12
28.	191 वां प्रतिवेदन 2006-07	29.3.2007	पंजीयन एवं मुद्रांक	2002-03	17
29.	193 वां प्रतिवेदन 2006-07	29.3.2007	ब्याज प्राप्ति एवं गारन्टी कमीशन	2002-03	12
30.	194 वां प्रतिवेदन 2006-07	29.3.2007	भू राजस्व	2002-03	4
			योग		253